लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र
Fifth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 20— सोमवार, 28 अगस्त 1972/6 भाद्र, 1894 (शक)

No. 20,— *Monday, August* 28, 1972/*Bhadra* 6, 1894 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन संबंधी उल्लेख	OBITUARY REFERENCE	
श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi .	1
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . .	2
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Vishwanathan . .	2
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi . .	2
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta . . .	2
प्रो मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate . .	2
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar . . .	2
*ता०प्र० संख्या प्रश्नों के मौखिक उत्तर S. Q. Nos.	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
363 बन सम्पदा का उपयोग करने संबंधी योजना	Scheme for Exploitation of Forests	2-5
364 महानगरों में कैंसर रोग के अस्पताल	Cancer Hospitals in Metropolitan Cities	5-7
365 राजस्थान में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Improvement of Slums in Rajasthan .	7-9
366 आयुर्वेदिक और यूनानी डाक्टरों द्वारा जारी किये गये डाक्टरी प्रमाण पत्रों को एलोपथिक डाक्टरों द्वारा जारी किये जाने वाली डाक्टरी प्रमाण पत्रों के बराबर मान्यता देना	Treatment of Medical Certificates issued by Ayurvedic and Unani Doctors at par with the Allopathic Doctors	10-11
367 भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव	Proposal from Andhra Pradesh to amend Land Acquisition Act .	11.12
368 शिक्षा और रोजगार अवसरों में तालमेल बिठाना	Correlating Education to Job Opportunities	12-14
372 आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी खंड बनाना	Opening of Tribal Blocks in Adivasi Regions	14-16

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
373	नई दिल्ली स्थित 'कपूरथला प्लाट' का केरल सरकार को दिया जाना	Release of 'Kapurthala Plot' New Delhi to Kerala Government .	16-17
374	उज्जैन स्थित दुर्गादास राठौर की छत्री और कालियादह महल	Canopy and Kaliyadah Palace of Durgadas Rathore in Ujjain .	17
376	दिल्ली दुग्ध योजना के भूतपूर्व अध्यक्ष की परिसम्पत्तियों के बारे में जांच	Inquiry into Assets possesed by former Chairman of Delhi Milk Scheme . . .	17-18
	अल्पसूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
4	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल तथा कलावतीसरन बाल अस्पताल नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by Employees of Lady Hardinge Medical College and Hospital and Kalavati Saran Children's Hospital, New Delhi.	18
ता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
361	अरब सागर में 'दामोदर मांडोवी' माल जहाज का डूब जाना	Sinking of a Freighter "Damodar Mandovi" in Arabian Sea .	18-19
362	भारतीय खाद्य निगम को घाटा	Loss sustained by FCI .	19
369	डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में पानी की कमी	Scarcity of Water in DIZ Area, New Delhi	19-20
370	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक युवक संगठनों की स्थापना	Setting up of Voluntary Youth Organisations to increase Agricultural Production . . .	20
371	तराई विकास निगम के निदेशक बोर्ड के सदस्यों की भूमि और अधिकतम सीमा कानून का लागू होना ।	Land held by Members of Board of Directors of Tarai Development Corporation and operation of Ceiling Law . . .	20.21
375	वर्ष 1970 से 1972 तक भूख से मरे व्यक्ति	Persons died of starvation during 1970 to 1972	21
377	कीट नाशक दवाइयों में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in Insecticides .	22
378	सरकारी मुद्रणालयों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास	Efforts to increase capacity of Government Printing Presses .	22
379	गुजरात राज्य में पीने का पानी	Drinking Water in Gujarat State	22-23
380	चिकित्सा क्षेत्रों के लिये डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करना	Introduction of Diploma Course for Medical Students . .	23
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
3580	आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्कूल खोलना	Opening of Central School at INA Colony, New Delhi . .	23-24
3581	आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली के केन्द्रीय स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में और अधिक सेक्शन खोलना	Opening of more sections of various Classes in Central School, INA Colony, New Delhi . .	24-25

अता० प्र० संख्या U..Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3582	कृषिक वित्त व्यवस्था को अधिकतम सीमा सम्बन्धी नई विधियों से पुनः सम्बद्ध करने की नीति	Policy of Realignment of Agricultural Finance to New Ceiling Laws	25-26
3583	दिल्ली के मेडिकल कालेजों में दूसरी पारी	Second Shift in Medical Colleges in Delhi	26
3584	भूमि की अधिकतम सीमा में कमी करने के परिणामस्वरूप किसानों को सहायता	Help to Farmers consequent on Lowering of Land Ceiling .	26
3585	केन्द्रीय भूमि सुधार समिति द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार	Considerations for Fixing Ceiling on Land by Central Land Reforms	26-27
3586	केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के निर्णय के अनुसार भूमि कि अधिकतम सीमा निर्धारित करने का आधार	Basis of Fixing Ceiling on Land as decided by Central Land Reforms Commission . .	27
3587	न्यू फ्रेंड्स सहकारी गृह निर्माण समिति, नई दिल्ली को भूमि का आबंटन	Allotment of Land to New Friend's Co-operative House Building Society, New Delhi . . .	27-28
3588	वृद्धावस्था पेंशन	Old Age Pension . . .	28
3589	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को लाभ	Benefits to Scheduled Caste Persons	28
3590	पौड़ी गढ़वाल के सामुदायिक विकास खण्डों का सीमावर्ती जिलों में शामिल किया जाना	Inclusion of Community Development Blocks of Pauri Garhwal in Border Districts . . .	28-29
3591	उर्वरक का आयात	Imports of Fertilisers . .	29
3592	ग्रामीण रोजगार हेतु द्रुत योजना पर खर्च की गई राशी	Amount spent on cash scheme for rural employment . . .	29-30
3593	प्रोफेसर ब्लू को राजस्थान में अनुसंधान कार्य करने की अनुमति देना	Permission to Prof. Blue to carry out Research work in Rajasthan	30
3594	केरल में हिलमैन (आदिवासी) की स्थिति में सुधार करना	Betterment of Hillmen (Adivasis) (in Kerla)	30
3595	आयुर्वेदिक औषधियों का वैज्ञानिक ढंग पर संवर्धन एवं प्रचार	Scientific Promotion and Propagation of Ayurvedic Medicines .	31
3596	चम्बल के बीहडो को कृषि योग्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh for Reclamation of Chambal Ravines . . .	31
3597	बरौनी तथा बेगूसराय क्षेत्र के विकास के लिए बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar for Development of Barauni and Begusarai Area . . .	31-32

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3598	मरहम ट्यूबों में औषधियों की मात्रा	Quantity of Medicines in Ointment Tubes	32
3599	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में नियुक्ति तथा परीक्षा निदेशक का पद	Post of Director, Recuritment and Examination CAR	32-33
3600	दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary Proceeding against Students of Delhi University	33
3601	छोटे किसान विकास एजेंसी तथा सीमान्त किसान विकास एजेंसी पर व्यय	Expenditure on Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers Developed Agency	33
3602	हृदय रोग से पीड़ित युवक	Youth Suffering from Heart Ailment	33-34
3603	कलकत्ता पत्तन में लाइसेंस प्राप्त बंगाली कुली	Licensed Bengali Porters in Calcutta Port.	34
3604	मुर्शिदाबाद में भूख से मृत्यु	Death due to starvation in Murshidabad	34
3605	मरुस्थल के नीचे पानी के भण्डार	Reserve of Water Resources Underneath the Desert	35
3606	मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिये रूस के साथ करार	Agreement with U.S.S.R. for Development of Fishing Industry	35
3607	विकलांगों के प्रशिक्षण के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु विशेष उपकर लगाना	Levy of special Cess to meet the provision for Training of Handicapped	35
3608	भूजल सर्वेक्षण के आधार पर पांच वर्ष की योजना	Five year Scheme on the Basis of Ground Water Surveys	36
3609	वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान निर्यात किया गया चावल	Rice Exported during 1971-72 and 1972-73	36
3610	केला विकास निगम की स्थापना	Setting up of Bananas Development Corporation	36-37
3611	गत दो वर्षों में आयात किए गए ट्रैक्टर	Tractors Imported during last Two years	37-38
3612	सहकारी उठाऊ-सिंचाई योजनाओं का परिचालन	Operation of Co-operative Lift Irrigation Schemes	38
3613	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में पिछड़ी जातियों को सम्मिलित करना	Inclusion of Backward Classes in the List of S.C. and S.T.	38
3614	लद्दाख के किसानों के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था	Provision of Tractor for Farmers of Ladakh	39
3615	लद्दाख के गांवों में जलाशयों का निर्माण	Construction of Water Reservoirs in the Villages of Ladakh	39

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3616	लद्दाख़ के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई	Supply of Drinking Water to Village in Ladakh . . .	39
3617	दिल्ली में एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका की मृत्यु	Death of Headmistress of Secondary School of Delhi . .	39-40
3618	उद्योग को लकड़ी सप्लाई करने के बारे में अध्ययन दल का अन्दमान का दौरा	Visit of study Team to Andmans regarding Timber Supply to Industry	40
3619	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा लागू होने पर मंत्रियों के बंगलों का उपयोग	Utilisation of Ministerial Bungalows after imposition of Ceiling on urban property . . .	40-41
3620	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के निर्धारण आशंका से संपत्तियों का हस्तांतरण	Transfer of Properties in Anticipation of Ceiling on Urban Property	41
3621	विभिन्न राज्यों में निर्धारित किए गए चीनी के मूल्य	Prices of sugar fixed in different States	41
3622	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के होस्टल में चोरी	Thefts in Maulana Azad Medical College Hostel . . .	42
3623	मध्य प्रदेश के गांवों में रोजगार के अवसर	Rural Employment in M. P. .	42
3624	दिल्ली को सुन्दर बनाने पर व्यय	Expenditure on Beautification of Delhi	42-43
3625	राज्यों में आयुर्वेदिक कालेजों के लिए केन्द्रीय अनुदान	Central grants for Ayurvedic Colleges in States . . .	43-44
3626	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा संगणक प्रणाली का आरम्भ किया जाना	Computer system scheme introduced by Indian Institute of Management, Ahmedabad .	45
3627	खाद्य तेलों का दुरुपयोग	Misuse of edible Oil . .	45-46
3628	दिल्ली में उर्वरकों के वितरण संबंधी नीति	Distribution Policy for Fertilizers in Delhi	46
3629	हरिजनों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश को धनराशि का नियतन	Allocations to Madhya Pradesh for Welfare of Harijans .	46
3630	उड़ीसा के कोणार्क मन्दिर में अप्लावी प्रकाश की व्यवस्था का प्रस्ताव	Proposal for providing Flood Lights for Konarak Temple in Orissa	47
3631	गुजरात में उत्पादित उर्वरक का अन्य स्थान को भेजा जाना	Diversion of Fertilizer production of Gujarat	47

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3632	जामनगर गुजरात में सलाया पत्तन का विकास	Development of Port Salaya in Jamnagar, Gujarat . .	48
3633	मूंगफली के तेल के मुल्य में वृद्धि को रोकने के लिये गुजरात राज्य द्वारा अनुरोध	Request from Gujarat State to Curb rise in price of Groundnut oil	48
3634	दिल्ली परिवहन की आय तथा व्यय	Income and Expenditure of Delhi Transport	48-49
3635	भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं का पुनर्विलोकन	Review of Scheme undertaken by F.C.I.	49
3636	भारतीय खाद्य निगम द्वारा तमिल-नाडु में धान सुखाने के लिए यंत्रीकृत केन्द्रों की स्थापना	Mechanical Paddy Drying Centres by F.C.I. in Tamil Nadu. .	49
3637	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़ा उर्वरक का भंडार और उसका अनियमित वितरण	Fertiliser held in stock in godowns of Food Corporation of India and its irregular distribution . .	50
3638	कोका कोला निर्यात निगम के बारे में शिकायतें	Complaints Regarding Coca Cola Export Corporation . . .	50
3639	ट्रैक्टरों की मांग	Demand for Tractors . .	50-51
3640	भाण्डागार निगम, मैसूर की भण्डार क्षमता	Storage Capacity of Warehousing Corporation, Mysore. . .	51
3641	भारत तथा अन्य देशों में दुधारू-पशुओं से दूध की प्राप्ति	Milk Yield per Milch Cattle in India and other Countries .	51-52
3642	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था का कार्य तथा इसके द्वारा शुरू की गई अनुसंधान योजना	Working and Research Scheme Undertaken by National Dairy Research Institute . . .	52-53
3643	आयातित ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की कमी	Shortage of spare parts of Imported Tractors	54
3644	गांवों में पीने के पानी की सप्लाई के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सरकार से धन दिया जाना	Funds by Central Government to Rajasthan for Water Supply to Villages	54
3645	राज्यों में गेहूँ के वसूली तथा विक्रय मूल्य	Procurement and Selling Prices of wheat in States . . .	55
3646	सूखाग्रस्त राज्यों की अनाज सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना	Assessment for Food Requirements to Drought Affected States. .	55-56
3647	जल की सप्लाई के बारे में मध्य प्रदेश के गांवों में सर्वेक्षण	Survey of Villages in Madhya Pradesh for Water Supply . .	56

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
3648	अल्लप्पी मेडिकल कालेज, केरल में रूसी सहायता से 100 बिस्तरे वाले एक बाल चिकित्सा वार्ड की स्थापना पर खर्च	Cost of Setting up of Soviet aid 100 Bed Paediatric Ward in Allepy Medical College, Kerala	56
3649	स्कूल जाने से छोटी आयु वाले बच्चों के लिए पोषक आहार तथा स्वास्थ्य-वर्धन कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Nutrition and Health Building Programme for pre-school Age children .	57
3650	गर्भ चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम	Medical Termination of Pregnancy Act.	58
3651	दिल्ली विश्वविद्यालय में डिग्री स्तर पर परीक्षा की नई प्रणाली	New Examination system at Degree Level in Delhi University . .	58
3652	उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में कृषि विकास की क्रियान्विति के लिए विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan for Implementation of Agricultural Development in Orissa and other States .	58-59
3653	विदेशों को भेजे गये शिक्षा दल	Education Teams sent Abroad .	59
3654	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति का प्रतिवेदन	Report of the High Level Committee on National Health Scheme for Rural Area . . .	59-60
3655	दिल्ली के कुतब रोड चौराहे पर यातायात	Traffic at Qutab Road Crossing Delhi	60-61
3656	खाद्य अपमिश्रण	Implementation of Food Adulternation Law	61
3657	दन्त चिकित्सा सेवा के लिए राज्यों को अनुदान	Grants to States for Dental Clinic Service	61
3658	देश में बी० सी० जी० टीमों का कार्यकरण	Functioning of BCG Team in the Country	62
3659	नाविकों (सीमैन) को बकाया धनराशि के भुगतान के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय	Judgment of High Court, Calcutta regarding Payment of Dues to Seamen	62
3660	नाविकों (सीमैन) का रजिस्ट्रेशन रद्द करना	Cancellation of Registrations of Seamen	63
3661	दिल्ली के उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	Number of Fair Prices shops in Delhi	63
3662	चीनी का आयात	Import of Sugar.	64
3663	दिल्ली परिवहन निगम की बसों की सेवा को रामकृष्णपुरम में स्वामी मलाई मन्दिर तब बढ़ाना	Extension of Service of DTC Buses upto Swami Malai Mandir, RK Puram	64

U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
3664	दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर चीनी का न मिलना	Non-availability of Sugar at Fair Prices Shops in Delhi . .	64-65
3665	पांचवी योजना में शिक्षा के विकास के लिए राशि	Amount for Development of Education in Fifth Plan . . .	65
3666	रुमानिया द्वारा जलपोतों की डि ि-वरी	Delivery of Shops by Rumania .	65-66
3667	उर्दू के विकास के लिए समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee for Promotion of Urdu . . .	66
3668	बाल-संसद् प्रतियोगिता	Mock Parliament Competition .	66
3669	जर्मन जनवादी गणराज्य से आयात किए दोषपूर्ण ट्रैक्टरों को लौटाना तथा उनके बदले में किसानों को दी गई राहत	Return of Defective Tractors Imported From GDR and Relief Provided in lieu thereof . .	67
3670	कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग का प्रतिवेदन	Report by National Commission on Agriculture . . .	67-68
3671	भारतीय चिकित्सा प्रणाली के ग्रामीण चिकित्सकों की सेवायें	Services of Village Based Practitioners of Indigenous system of Medicine.	68
3672	पेय जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए राज्यों को अनुदान	Grants to States for drinking water supply programme . . .	68-69
3673	उच्च शिक्षा और अनुसंधान कार्य करने के लिए भारतीय छात्रों को ब्रिटन द्वारा छात्रवृत्तियां दिया जाना	UK Scholarships for Indian students for higher education and Research work . . .	69-70
3674	हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण की लागत	Cost of construction of second bridge over River Hooghly. .	70
3675	कृषि विकास के लिए उच्चतम संस्थान के रुप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का पुनर्गठन	Re-constitution of National Co-operative Development Corporation as apex body for Agricultural Development . . .	70-71
3676	गुजरात में मूगफली के तेल का उत्पादन और आरक्षित भंडार	Production and buffer stock of Groundnut oil in Gujarat . .	71
3677	गुजरात में डेयरी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता	Central Aid for Dairy Projects in Gujarat	71-72
3678	मछली पालन उद्योग में एक गैर-सरकारी कम्पनी की प्रभुत्व की स्थिति	Dominant Position of a private company in Fishing Industry .	72
3679	खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के कोटे में कमी करने के बारे में राज्य सरकारों से अनुरोध	Request from States to reduce Free Market Quota of Sugar . .	72

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	UBJECT	पृष्ठ PAGES
3680	चेचक उन्मूलन कार्यक्रम	Small-pox eradication programme	72-73
3681	स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुर्वेद परामर्श-दाता द्वारा केन्द्रीय भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद् के निदेशक के पद पर भी कार्य किया जाना	Ayurvedic advisor to work on the post of Director, Central Council for Research in Indian Medicine	73
3682	उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से गुजरने वाली ग्रांट ट्रक रोड के विकास की योजना	Scheme for Development of GT Road passing through Varanasi District, UP	74
3683	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of UGC .	74
3684	ब्रज और अवध की स्थानीय संस्कृति की रक्षा	Preservation of Culture of Brij and Oudh (Awadh) . . .	74
3685	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत विशिष्ट योजनायें	Specific Schemes submitted by Andhra Pradesh Government under Crash Programme for Rural Employment.	75
3686	ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की कमी	Shortage of DTC Buses in Rural Areas	75
3687	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम	Probation of Offenders Act .	75-76
3688	तटवर्ती यातायात के लिए जहाज	Ships for Coastal Traffic . .	76
3689	दिल्ली में बाढ़ग्रस्त ग्रामों में हरिजनों की दयनीय स्थिति	Plight of Harijans in Flooded Villages in Delhi	76
3690	सोयाबीन की खेती	Soyabean Cultivation . .	77
3691	दिल्ली प्रशासन का हरिजन कल्याण संगठनों को अनुदान बन्द करने का निर्णय	Delhi Administration Decision to stop grants to Harijans Welfare Organisation . . .	77-78
3692	गत तीन वर्षों में खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains during last three years	78
3693	सड़क सुरक्षा के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Group on Road Safety	78
3694	निर्धन लोगों के लिए "पोषाहार पैकेट"	'Energy Packet' for Poor People .	78-79
3695	दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर अनाज उपलब्ध न होना	Non-availability of Cereals at Fair Price Shops in Delhi . . .	79
3696	दिल्ली परिवहन निगम की बसों के रंग का बदला जाना	Change in colour of DTC Buses .	79

तारांकित प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3697	नई दिल्ली में सरकारी कालोनियों में लानों का रख-रखाव	Maintenance of Lawns in Government Colonies, New Delhi . .	79-80
3698	'न लाभ और न हानि' के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि तथा फ्लैट बेचना	Disposal of land and Flats on "No Profit and No Loss" basis by DDA	80
3699	हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम का आधुनिकीकरण तथा विस्तार	Modernisation and expansion of Hindustan Shipyard, Visakhapatnam	80-81
3700	हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम द्वारा प्राप्त जहाज बनाने के क्रयादेश	Orders secured for construction of ships by Hindustan Shipyard, Visakhapatnam	81
3701	राजनीतिक दलों से ग्रामीण सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापन	Memoranda received on Rural ceiling from Political Parties .	81
3702	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में राजनीतिक दलों से प्राप्त ज्ञापन	Memoranda on Urban Ceiling received from Political Parties .	82
3703	राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Permanency to Employee on NF Corps	82
3704	भारतीय खाद्य निगम द्वारा चना और सरसों के तेल की खरीद के बारे में आरोप	Charges against purchase of Grams and Mustard Oil by FCI .	82-83
3705	सामाजिक सुरक्षा की योजना	Scheme of Social Security . .	83
3706	ग्रामीण सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में अन्तिम निर्णय	Final decision on Ceiling of Rural Properties	84
3707	नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में दुकानों के आबंटन पर नियंत्रण	Control over allotment of shops in Government Colonies in New Delhi	84
3708	सूखा पीड़ित किसानों को सहायता करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय निर्देश	Central Directive to States to help Drought effected Farmers . .	84-85
3709	नई दिल्ली बृहत योजना के अन्तर्गत नये होटलों के निर्माण हेतु नियत किये गये स्थल	Sites Earmarked for Constructing new Hotels in New Delhi Master Plan	85
3710	सभी बड़े नगरों में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	CHSS in all major Cities . .	86
3711	पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए कृषि योजना	Agricultural Plan for States of Eastern Region . . .	86-87

	विषय	SUBJECT	
3712	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय छात्र संघ के विधान का प्रारुप	Draft Constitution of BHU Students Union	87
3713	चौथी योजना के दौरान भू संरक्षण के लिए नियत की गई राशि	Allocation for Soil Conservation during fourth Plan . . .	87-88
3714	प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में एकरुपता	Uniformity in Primary Secondary and University Educational Pattern	88
3715	धर्मशाला में सेंट्रल तिब्बतन लायब्रेरी एंड आर्काइव्हस की स्थापना और रख-रखाव	Establishment and Maintenance of Central Tibetan Library and Archives at Dharmasala . .	88
3716	इंजीनियरिंग कालेज रहित राज्यों के लिए इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों का आरक्षण	Reservation of Seats in Engineering Colleges for States having no Engineering College . . .	89
3717	कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त सहायता	Aid received from International Agencies for Agricultural and Allied Fields . . .	89
3718	बंगलौर में अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान की स्थापना	Setting up of All India Medical Institute at Bangalore	89-90
3719	चिकित्सा व्यवसाइयों के लिए तीन महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	Three Months Training Course for Medical Practitioners	90
3720	ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों के उपलब्ध न होने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Non-availability of Doctors in Rural Areas .	90
3721	फसल बीमा	Crop Insurance	90-91
3722	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry .	91
3723	मादक द्रव्यों के सेवन की बुराई के बारे में विचार गोष्ठी	Seminar on Drug Abuse	91
3724	आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए बन सम्पदा का उपयोग	Exploitation of Forests for Economic Growth of Employment Opportunities	91-92
3725	नई दिल्ली में नारायणा स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट	DDA's Naraina Flats, New Delhi .	92-93
3726	भारतीय स्वतन्त्रता के रजत जयन्ती समारोह के दौरान युवक केन्द्रों के माध्यम से नेताजी की विरासत का निरुपण	Projecting the Heritage of Netaji through Youth Centre during 25th Year Celebration of Indian Independence	93

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3727	नेताजी सुभाष चन्द बोस की जीवनी	Biography of Netaji Subhas Chandra Bose	93
3729	स्वतन्त्रता के रजत जयन्ती समारोह के दौरान नेताजी जी के आजाद हिन्द आन्दोलन में राष्ट्रीय एकता की विरासत का निरुपण	Projecting the Heritage of National Integration in Netaji's Azad Hind Movement during 25th Year Celebration of Independence	93-94
3730	अन्य देशों की तुलना में भारत में चीनी की उत्पादन लागत	Cost of Production of Sugar in India as compared to other countries	94-95
3731	वर्ष 1971-72 और 1972-73 में चीनी उद्योग को हुई हानि और लाभ	Loss incurred and Profit earned by Sugar industry during the years 1971 - 72 and 1972-73 . .	95
3732	कृषि आय पर कराधान हेतु कृषि उद्पादों की उद्पादन-लागत का अध्ययन	Study of Cost of Production of Agricultural products for purposes of Taxation of Agricultural Income	95-96
3733	विदेशी सरकारों/एजेंशियों द्वारा उपहारस्वरूप दिये गये ढोर	Cattle grifted by Foreign Government Agencies . . .	96
3734	तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश में कृषि के विकास की योजना	Plan for Development of Agriculture in Telangana, Andhra Pradesh	96-97
3735	आन्ध्र प्रदेश में गन्ने की उपज तथा उसके उत्पाद	Sugarcane Yield and Production in Andhra Pradesh . . .	97
3736	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक डाक्टरों को प्रोत्सहन	Incentive to Doctors willing to work in Rural Areas . .	97-98
3737	पांचवी योजना के दौरान तीन हजार की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Civil Facilities in the Rural areas having Population of 3000 during Fifth Plan . .	98
3738	भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुछ फर्मों के साथ रियायत	Favour by FCI to certain Firms .	98-99
3739	चौथी योजना में शामिल वन-संसाधनों सम्बन्धी प्रस्तावों को कार्यरुप देना	Implementation of Proposals of Forest Resources as contained in Fourth Plan	99
3740	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनुसचिवीय पद	Ministerial Posts in Indian Council of Agricultural Research . .	99-100
3741	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिये फोरम	Forum for Ventilation of Grievances of Employees of ICAR . .	100
3742	इम्पीरियल (अब भारतीय) कृषि अनुसन्धान परिषद की स्थापना सम्बन्धी केन्द्रिय विधान मण्डल का अधिनियम	Central Legislature Act setting up imperial (now Indian) Council of Agricultural Research . .	101

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3743	कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय स्थापित करना	Setting up of an Office of Freight investigation Bureau at Cochin .	101
3744	दो राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिये बिहार सरकार को सहायता	Assistance to Bihar Government for Construction of Two National Highways . . .	101-101
3745	बिहार विश्वविद्यालय में आर्थिक संकट	Financial Crisis in Bihar University	102
3746	पांचवी योजना के लिए शिक्षा मंत्रालय की योजनायें	Schemes of Education Ministry for the Fifth Plan . . .	103
3747	मध्य प्रदेश के केंद्रीय सरकार के कार्यालय में खस की टट्टी लगाना	Installation of Khas Ki Tattis in Central Government Offices in Madhya Pradesh . . .	103
3748	मध्य प्रदेश को उर्वरक की कम सप्लाई	Lesser supply of Fertilizer to Madhya Pradesh	103
3749	छतीसगढ़ क्षेत्र (मध्य प्रदेश) के आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण-कार्य के लिये धन का आबंटन	Funds allocated for Welfare of Tribal Areas of Chhatisgarh (Madhya Pradesh) . . .	104
3750	यंत्रों से खेती करने के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्र से अनुदान	Central Grant to M.P. for mechanised farming	104
3751	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लेटों को अलाट करने में और उनकी रजिस्ट्री करने में विलम्ब	Delay in Allotment Registration of DDA Flats	104-04
3752	नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में बच्चों के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य देख-रेख प्रायोगिक परियोजना	Nutrition-*cum*-ealth Care Pilot Project for Children in NDMC Area	105-06
3753	पटना नगर के लिये गन्दी बस्ती हटाओं योजना	Slum Clearance Scheme for Patna City	106
3754	एन० सी० ई० आर० टी० में निदेशक और संयुक्त निदेशक के पद	Post of Director and Joint Director N.C.E.R.T.	106-07
3755	एन० सी० ई० आर० टी० में नियक्ति संबंधी गड़बड़ियां	Irregularities in Appointments in N.C.E.R.T.	107
3756	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन में अधिकारियों के पदनाम	Designation of Officers in National Institute of Education . .	107
3757	कीमती पाठ्यपुस्तकों का प्राइमरी शिक्षा प्रसार पर प्रभाव	Effect of Costly Text Books on spread of Primary Education .	108
3758	आंध्र प्रदेश में उर्वरकों के विक्रय की जांच	Investigation on Sale of Fertilisers in Andhra Pradesh . . .	108-09

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3759	सरोजिनी नगर के आई० ब्लाक में क्वार्टरों का आगे किराए पर चढ़ाया जाना	Sub-Letting of Quarters in "I" Block of Sarojini Nagar . .	109
3760	डा० के० आर० जगदीश का सफदर-जंग अस्पताल नई दिल्ली से पद-त्याग	Resignation of Dr. K. R. Jagdish from Safdarjung Hospital New Delhi . . .	109-10
3762	स्कूलों के बच्चों द्वारा मन्दिर मार्ग नई दिल्ली पार करने के लिये ऊपरी पुल	Overbridge for crossing Mandir Marg, New Delhi by School Children	110
3763	1971-72 के दौरान अधिक उपज वाली किस्मों के अनाज के उत्पादन का लक्ष्य	Target for Production of High Yielding variety of Cereals during 1971-72	110
3764	तटीय जहाजरानी के लिए आवश्यक छोटे जहाजों का निर्माण	Construction of Small Vessels required for Coastal Shipping .	110-11
3765	लेडी हार्डिंग अस्पताल नई दिल्ली के कार्य की दशा	Working Condition of Lady Harding Hospital, New Delhi . .	111
3766	बिहार में राष्ट्रीय राज पथों की दशा	Condition of Ntgional Highways in Bihar	111-12
3767	बिहार में अनिवार्य शिक्षा	Compulsory Education in Bihar .	112
3768	राज्यों में पीने के पानी की सुविधा	Drinking Water in States . .	112
3769	वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट में अनुसंधान	Research in Vallabhbhai Patel Chest Institute . . .	113
3770	वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट द्वारा वितरित रसायन	Chemicals, Distributed by Vallabhbhai Patel Chest Institute .	113
3771	वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट के कमचारीयों के वेतन क्रम	Pay Scale of Employees of Vallabhbhai Patel Chest Institute .	113-14
3772	एशियाई विकास बैंक द्वारा नारियल उद्योग का अध्ययन	Study of Coconut Industry by Asian Development Bank . .	114
3773	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के आधार पर राज्य विधान मंडलों की समितियों का गठन	Constitution of States Legislature Committee on Lines of Parliamentary Committee on Welfare of SC and ST	114-15
3774	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् का कायकरण	Functioning of ICSSR . .	115

अता० प्र० संख्या U.Q Nos,	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3775	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव की सेवा की शर्तें, पारिश्रमिक शक्तियों तथा कार्य	Terms and Conitditions of Service Remuneration Power and Duties of Member Secretary, ICSSR	115-16
3776	"स्वतन्त्रता किस प्रकार प्राप्त की गई" इतिहास	History of How Freedom was won	116
3777	स्वाधीनता संघर्ष सम्बन्धी एक केन्द्रीय संग्रहालय की स्थापना	Setting up of central Museum of Freedom struggle . . .	117
3778	जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक सड़क के निर्माण की अनुमति	Permission for construction of a road in District Shahjahanpur, UP	117
3779	दिल्ली प्रशासन द्वारा बांधों का निर्माण	Construction of Dams by Delhi Administration . . .	117-18
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	मद्य निषध नीति	Policy of Prohibition— . .	
	श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamanandan Mishra .	118-119-20
	श्री डी० पी० यादव	Shri D. P. Yadav . .	118-19 120
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment .	121-23
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	123-24
	सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the sittings of the House	124
	लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति— तिसरा प्रतिवेदन	Joint Committee on Officers of Profit— Third Report	125
	कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. sixteenth Report of Business Advisory Committee .	125
	इंडियन कापर कार्पोरेशन (उपक्रमों का अर्जन) विधेवक—पूरःस्थापित	Indian Copper Corporation (Acquisition of Undertaking) Bill— Introduced	125
	साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक—	General Insurance Business (Nationalisation Bill)—	
	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider as reported by Joint Committee—	
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan .	126-27, 140-41
	श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	128-30
	श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve . .	130-31

अता० प्र० संख्या U.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	131-32
	श्री सी० एम० स्टीफान	Shri C. M. Stephen . .	133
	श्री पी० ए० सामिनाथ्न	Shri P. A. Saminathan . .	133-35
	श्री रामसिंह भाई	Shri Ramsingh Bhai . .	135-36
	श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal . .	136-37
	श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	137
	श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	137-38
	श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe .	138
	श्री मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	138-39
	श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai .	139
	श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta . .	139
	खंड 2 से 40 और 1	Clause 2 to 40 and 1 . .	142-48
	संशोधित रुप म पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	148-51
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan .	148
	आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	
	सफदरजंग हवाई अड्डे के समीप रेल के ऊपरी पुल के निर्माण के बारे में—	Re. Construction of Railway Over Bridge at Safdarjang Aerodrome.	
	श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve . .	152
	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Quereshi .	152
	शाहदरा के सहारनपूर तक एस० [एस० लाइट रेलवे को पनः चालू करने के बारे में चर्चा—	Discussion on the Re-opening of S. S. Light Railway from Shahdara to Saharanpur—	
	श्री रामचन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal .	152
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	152-53
	श्री नरसिंह नारायण पाण्डे	Shri Narsingh Narain Pandey	153
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	153
	श्री मुल्कीराज सैनी	Shri Mulki Raj Saini . .	153
	श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaque Sambhali . .	153
	श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे	Shri Krishna Chandra Pandey	153
	श्री श्री सतीश चन्द	Shri Satish Chandra . .	153
	श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal . .	154
	श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh .	154
	डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya .	154
	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi .	154

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 28 अगस्त 1972/6 भाद्र, 1894 (शक)
Monday, August 28, 1972/ Bhadra 6, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बंधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि श्री एम० शंकरय्या का 22 अगस्त, 1972 को 67 वर्ष की आयु में मैसूर में देहांत हो गया।

श्री शंकरय्या वर्ष 1950–52 में अस्थाई संसद के सदस्य थे तथा वर्ष 1957–67 में मैसूर से दूसरी तथा तीसरी लोक-सभा के सदस्य रहे। वह 1952–56 के दौरान मैसूर विधान परिषद के सदस्य रहे। वह एक प्रतिष्ठित वकील थे तथा उन्होंने शिक्षा, सामुदायिक विकास तथा सरकारी समितियों के क्षेत्र में सक्रिय कार्य किया।

हमें अपने इस मित्र के निधन पर गहन दुःख है तथा मुझे विश्वास है कि उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में सभा मेरे साथ शरीक होगी।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा के दौरान हमें एक अन्य पुराने सहयोग के निधन का समाचार मिला है जिसका हमें दुःख है। श्री शंकरय्या के निधन पर आपके द्वारा की गई भावाभिव्यक्ति में मैं स्वयं और यह सदन शरीक है। आप उल्लेख कर चुके है कि वह अस्थाई संसद के सदस्य रहे, मैसूर विधान परिषद तथा इस सदन के भी सदस्य रहे तथा कुशल वकील होने के साथ-साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। श्री शंकरय्या ने अपना सामाजिक जीवन मैसूर नगर के नागरीकों के संबंधित कार्यकलापों से आरम्भ किया तथा उन्होंने मैसूर के सहकारिता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने हथकरघा बुनकरों के कल्याण के कार्य में भी विशेष रुचि ली। समाजसेवा में उनकी पूर्ण निष्ठा थी। मैं समझती हूँ देश से एक सच्चा समाजसेवी उठ गया है।

महोदय ! मैं निवेदन करती हूँ कि आप हमारी गहन संवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें ।

श्री समर मुखर्जी (हावडा) : मैं अपनी दल की ओर से श्री एम० शंकरैया के दुःखद निधन का आपके द्वारा तथा प्रधान मंत्री द्वारा, की गई भावाभिव्यक्ति में शरीक होता हूँ। उनके सामाजिक जीवन से यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि वह जनता में लोकप्रिय थे तथा उन्होंने अपने जीवन को रचनात्मक कार्यों में लगा दिया था। अतः यह स्वाभाविक है कि समाजसेवी व्यक्तियों को उनके निधन से बडी हानि हुई है। मेरा निवेदन है कि आप हमारी गहन संवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री जो० विश्वनाथन (वापडी वाश) : महोदय! हम सदन के हमारे एक अन्य पुराने सहयोगी को हमने खो दिया है। श्री शंकरैया दलित वर्ग, विशेषकर बुनकर समुदाय के हितैषी थे। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से आपके द्वारा की गई भावाभिव्यक्ति में शरीक होता हूं तथा निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुचां दे।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : Sir, on behalf of my party, I associate myself with the sentiments expressed by you, the Prime Minister and the other hon. Members on the sad demise of Shri Shankariaya, and pray that God may bless the departed soul with peace. I request you to convey our condolence to the bereaved family.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : महोदय, आपने तथा प्रधान मंत्री ने श्री शंकरैया के निधन पर जो भावनाएं व्यक्त की है उनमें अपने दल की ओर से मैं भी शरीक होता हूं तथा निवेदन करता हूँ कि आप शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचा दें।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्री शंकरैया के प्रति की गयी भावाभिव्यक्ति में मैं अपनी तथा समाजवादी दल की ओर से शरीक होता हूँ। मैं उन्हें पिछले कुछ वर्षों से जानता था। इस देश में राजनीति में दखल रखने वाले तो बहुत हैं किंतु उनमें से बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शिक्षा संबंधी गतिविधियों में रुचि है और वह ऐसे ही कुछ व्यक्तियों में से एक थे। मैं आप से निवेदन करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचा दे।

Shri Ramkanwar (Tonk) : Sir, I associate myself and my party with the sentiments expressed by you, the Prime Minister and the other hon. Members on the sad demise of Shri Shankariaya on 22 August, 1972. I request you to convey our condolence to his bereaved family.

इसके पश्चात् सदस्य गण कुछ देर मौन खडे रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वन सम्पदा का उपयोग करने संबंधी योजना

*363. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वन संपदा का न्यूनतम उपयोग करने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रही है जिससे वन विकास सुनिश्चित और विस्तृत रूप से हो सके; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वन संपदा कार्यकारी योजनाओं पर आधारित होती है जिन्हें आवश्यक रूप से प्रत्येक वन प्रभाग के लिए 10-15 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ये योजनाएं निरंतर रूप से बढते रहने वाले उत्पादन के सिद्धांतों पर तैयार की जाती हैं तथा वन संपदा को अधिकतम स्तर पर बनाय रखा जाता है।

उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप वन विकास को विस्तृत करने के लिए अनेक विकास योजनाएं आरंभ की गई हैं।

वन संपदा संबंधी कार्य केवल उत्पाद से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ही नहीं अपितु ओद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण किस्मों को पुनः उगाना है।

(ख) पंचवर्षिय योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार की अनेकों विकास योजनाएं तैयार की गई हैं:

1. वन क्षेत्र को वैधानिक संरक्षण देने के लिए वनों को समेकित करना जिसमें सर्वेक्षण और निशानदेही भी सम्मिलित है।
2. शीघ्र उगनेवाली किस्मों के पेड लगाना।
3. औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोगों के लिए आर्थिक महत्व के पेड लगाना।
4. उजडे हुए जंगलों को फिर से लगाना।
5. लघु वन उत्पादों का विकास करना।

Shri Shrikishan Modi : May I know the present total area of forests in the country and the total area that should be made forestation ? I also want to know the percentage of increase in forest likely to be effected during the next five Year Plan.

Prof. Sher Singh : At present, 75 million hectares of land is under forest and it forms 23 per cent of the total area. This percentage should be 30 because the existing area under forests is certainly on the low side.

Shri Shrikishan Modi : How much area would be added in the next plan ?

Prof. Sher Singh : I do not hope that the area can be increased. It is very difficult to convert the agricultural land into forest land. The area under forest can not be increased. But we can develop the forest, as I have said, by way of increased plantation.

Shri Shrikishan Modi : What scheme has been prepared by the Government to check the march of desert in Rajasthan ? May I know the names of the trees proposed to be grown in that area ?

Prof. Sher Singh : To control the erosion due to sand, we have a programme to have wind-breakers in that area. Tree plantation is going on.

श्री जी० विश्वनाथन : क्या मंत्री महोदय को पता है कि वन संपदा का इतना अधिक उपयोग किया गया है कि वह देश के समाप्तप्रायः हो गयी है, यदि हां, तो वनो को नष्ट होने से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

प्रो० शेर सिंह : जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, प्रत्येक वन विभाग के लिए कार्यवाही योजनाएं बनाई जाती है। उन्ही योजनाओं के अनुसार वन संपदा का उपयोग किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब कुछ पेड काटे

जाते हैं तो नए पेड भी लगाए जायें तथा नए किस्म के पेड उगाकर वन संपदा को कायम रखा जाय। अत: यह ध्यान रखा जाता है कि हमारी वन संपदा नष्ट न हो और वास्तव में उसमें वृद्धि की जाए।

Shri Narsingh Narain Pandey : The hon. Minister has said that the area under forest cannot be increased. May I know the difficulties in acquiring the forest land which has been occupied by certain people unauthorisedly and in having tree plantation on that land ?

Prof. Sher Singh : As I have mentioned in the reply to the question, we have been inviting the attention of the State Governments to the need of protecting such land. They should prevent people from resorting to illegal occupation of forest land and try to increase the forest wealth.

Shri Narendra Singh Bist : In the Agra-Mathura area in western U.P. desert is expanding. When Shri Munshi was the Governor, a scheme was prepared to check that problem. May I know whether the said scheme is being implemented and Government is spending money on that scheme ? During the British rule in war time, numerous trees were cut down in the hill areas of Uttar Pradesh. May I know whether Government have paid any need to replenish the forest wealth ?

Prof. Sher Singh : It is not correct to say that desert is expanding in Agra-Mathura area. In fact there is a danger of flood. There we have instructed the State Governments to plant new trees where more trees are cut and to see that forest wealth is not reduced. They should try to increase it.

Shri Hukam Chand Kachwai : Due to the lack of trees on the mounds in the hill areas, land is eroded during the rainy season. It also causes floods. May I know whether Government have any scheme under consideration to check such land erosion ? It was stated earlier that a scheme of Rs. 64 lakhs for planting new trees in Chambal valley was prepared. May I know the time by which the said scheme would be implemented ?

Prof. Sher Singh : Rain water causes land erosion and trees also fall as a result of that. It also affects vegetation badly. To solve this problem, we have been implementing soil conservation programmes in Madhya Pradesh and all other States. We have a programme to plant trees in Chambal and it is in progress. There is no question of starting it. We will implement it more vigorously.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir. I wanted to know whether Government was going to undertake that programme. It has not been undertaken. An assurance was given in this House that the said programme involving Rs. 64 lakhs would be undertaken. The hon. Minister has misguided the House that work is in progress there. I am well-informed about my constituency. They have not undertaken the programme. When will Government undertake the programme ?

Mr. Speaker : He has answered the general question. If you want to put any specific question you should give a separate notice for that.

Shri Ram Kanwar : Is it a fact that several leaders cheated the Harijans and Adivasis in Rajasthan saying that they would be allotted forest land ? They have formed their societies and have had correspondence with the State Government. May I know whether there is any scheme with the Government to provide them with land in the forest area under the forest Department ?

Prof. Sher Singh : I think this question relates to the State Government. I do not know about the eviction of any persons or about any assurance having been given to them. I will look in to it ?

श्री जगन्नाथ राव : रेतीली भूमि में कैसुरीना तथा काजू के पेड अच्छी तरह बढते हैं। भारत के पूर्वी तट पर उनको उगाया जाता है। क्या सरकार ने राजस्तान में रेगिस्तान को बढने से रोखने के लिए इन पेडों को लगाने का प्रयत्न किया है?

प्रो० शेर सिंह : मुझे इन विशेष प्रकार के पेडों के बारे में सही सही जानकारी नही है कि उन्हे वहां लगाया जा रहा है या नहीं। मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि क्या रेतीले क्षेत्र में ये पड उगाये जा सकते हैं। केजिढी वहां उगाया जाता है। इस विशेष पेड के बारे में मैं जानकारी प्राप्त करुंगा। यदि इन पडों को लगाया जा सका तथा यदि ये पेड तेजिसे बढने वाले हुये तो हम राज्य सरकार को यह सलाह देंगे कि वह ये पेड लगाएं।

Shri Ram Chandra Vikal : The hon. Minister has said that they have undertaken several forest development schemes. I want to know the names of a such schemes along with the States in which these schemes have been undertaken and the area to be covered under each scheme. He has also said that certain fast growing trees are being planted. May I know the names of such trees ?

Prof. Sher Singh : I want seperate notice to tell the area under development programme in each of the States. There are several kinds of fast-growing trees and we are planting all of them.

महानगरों में कैंसर रोग के अस्पताल

+

***364. श्री पम्पन गौडा :**

श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिव र नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) देश में कैंसर रोग की चिकित्सा के लिये प्रत्येक राज्य में कितने कितने अस्पताल है;

(ख) क्या सरकार कैंसर अस्पतालों की सुविधा देश के प्रत्येक महानगर में उपलब्ध करायगी; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) कैंसर अस्पतालों/संस्थानों और उन अन्य अस्पतालों, जहां कैंसर के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, के नामों और संख्या संबंधी (राज्यवार एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3513/72]**

(ख) और (ग) : देश के सभी महानगरों में कैंसर के इलाज की सुविधाएं या तो अलग से कैंसर के अस्पतालों में या आम अस्पतालों में पहले ही से उपलब्ध है। फिर भी, कुछ मौजुदा संस्थानों और अस्पतालों की साधारण और अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए भारत सरकार ने एक कैंसर अनुमान समिति की स्थापना की है ताकि इनका दर्जा बढाकर इन्हें क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्रों के रूप में परिवर्तित किया जा सके। समिति की रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है।

श्री पम्पन गौडा : मंत्री महोदय के उत्तर से यह ज्ञात होता है कि कुछ जनरल अस्पतालों में कैंसर के रोगियों को दाखिल किया जाता है। क्या उन अस्पतालों में कैंसर

के रोगियों का इलाज करने के लिए उपयुक्त उपकरण तथा विशेष जानकारी-प्राप्त डाक्टरों की भी व्यवस्था है ?

श्री ए० के० किस्कु : जी हां।

श्री पम्पन गौडा : कैंसर एसेसमेंट कमेटी कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : मेरे विचार से समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अतः शीघ्रही उसका प्रतिवेदन मिलने की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अफजलपुरकर – अनुपस्थित।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कलकत्ता मे सरकारी नियंत्रण में कैंसर अनुसंधान संस्थान से संबंद्ध चित्तरंजन कैंसर अस्पताल ने यह प्रस्ताव किया है कि उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए जिससे अनुसंधान के लिये सभी क्लिनिकल सुविधाएं प्राप्त हो सके ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : जी हां, उस संस्थान से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है किंतु इस संबंद्ध में अंतिम निर्णय हमने नहीं लेना है। वास्तविक प्रश्न सुचि के अधिग्रहण के बारे में है तथा इस मामले में संबंद्ध अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया गया है। उन्होंनें इस मामलें में रुचि दिखाई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने यह नहीं बताया कि इस बारेमें कब तक अंतिम निर्णय किया जाएगा।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह देशबंधु मैमोरियल ट्रस्ट पर निर्भर करता है। भूमि उनके अधिकार में है यदि वे इसमें हमारी सहायता करेंगे तो हम शीघ्र ही निर्णय कर सकते हैं।

श्री राम सहाय पांडे : क्या यह सच है कि दिल्ली के कुछ नागरिकों ने स्वास्थ्य मंत्री से भेंट की थी तथा कैंसर अस्पताल स्थापित करने की मांग की थी और उन्होंनें इसके लिये भारी राशि भी एकत्र की है? क्या यह सच है कि दिल्ली में शीघ्र ही एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : एक पृथक कैंसर अस्पताल तो स्थापित नहीं किया जाएगा किंतु वर्तमान अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के बारें में समयसमय पर समीक्षा की जा रही है तथा यदि आवश्यक समझा गया तो सुविधाओं में वृद्धि भी की जाएगी।

श्री राम सहाय पांडे : मेरा प्रश्न यह था कि क्या कैंसर अस्पताल की स्थापना के लिए दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण नागरीकों नें मंत्री महोदय से भेंट की थी तथा क्या उन्होनें इस प्रयोजन के लिये धन राशि भी एकत्र की है ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : गैर सरकारी कैंसर अस्पताल की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव अभी तक मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री डी० बसुमतारी : गौहाटी और असम के कुछ दानियों ने विख्यात डाक्टरों और महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय डॉ० बरुआ की स्मृति में एक कैंसर अस्पताल खोला है,

तो इस संबंध में क्या सरकार को वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मैं जानना चाहता हूं कि चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे सुगमता से चलाने के लिए क्या सरकार पर्याप्त धन की मंजूरी देगी ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे विचार में इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री के० लकप्पा : कैंसर के इलाज के लिए विद्यमान अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं जिससे कभी-कभी ठीक इलाज नहीं हो पाता है। अतः क्या भारत सरकार ने अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस कार्य के लिए कोई सहायता मांगी है ? यदि हां, तो कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए उस संगठन द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस समय तो ऐसा कोइ प्रस्ताव नहीं है। हां, इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसपर विचार किया जाएगा और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

श्री डी० बसुमतारी के प्रश्न के बारे में स्थिति यह है कि हमें ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। यदि एसा अनुरोध किया गया है तो उसकी जांच की जाएगी ।

डा० कैलाश : कैंसर अस्पताल, बम्बई में रोगियों की भीड़ कम करने के लिए नागपुर मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है जिसमें कोबाल्ट मशीन आयात करने के लिए क्या आवेदन भेजा गया है और यदि हां, तो उसे अबतक मंजूरी क्यों नहीं दी गई ? क्या सरकार को पता है कि देश भर में कुल कितनी कैंसर के रोगी हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में, विशेषकर बंबइ में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह बहुत ही व्यापक प्रश्न है। हमने यह नहीं कहा कि सुविधाएं पर्याप्त हैं । रोगियों की संख्या बढने से स्थिति बदल जाती है और इसी लिए यह समिति बनाई गई है जो इस सभी बातों पर विचार के बाद अपनी रिपोर्ट देगी और हम आवश्यक सुविधाएं जुटाएंगे ।

Central Assistance for Improvement of slums in Rajasthan

***365. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Rajasthan Government have asked the Central Government for financial assistance for the improvement of slums in the State ;

(b) the financial assistance given to the Rajasthan Government for improvement of slums during 1969-70, 1970-71 and 1972 ; and

(c) whether the Rajasthan Government have fully utilised the money given for improving the slums there ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : एक विवरण सभापटल पर रखा है।

विवरण

1956 में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के रूप में आरंभ की गई गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना 1 अप्रैल, 1969 को राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित की गई थी। उस तारीख से राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता 'खंड ऋणों' और "खंड अनुदानों" के रूप में इकट्ठी दी जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को उपलब्ध की गई "खंड" सहायता में से गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना के लिये 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के दौरान उन द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों की राशि मालूम नहीं है।

अप्रैल, 1972 में गंदी बस्ती क्षेत्रों के वातावरण संबंधी सुधार के लिये एक नई केन्द्रीय योजना आरंभ की गई है। इसमें देशके 11 नगरों में, जिनकी प्रत्येक की जनसंख्या 8 लाख से कम नहीं है, गंदी बस्ती क्षेत्रों के सुधार के लिय शत प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता देने की व्यवस्था है। जयपुर में तीन बस्तियों के सुधार कार्य के लिये ऐसी सहायता देने का एक प्रस्ताव 19 अगस्त 1972 को राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ है। फिलहाल, जयपुर इस योजना के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए जयपुर में इन कार्यों के लिये पृथक वित्तीय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri M. C. Daga : What is the nature of the Schemes sent by Rajasthan Government to the Centre and what is the amount received by the State Government in this regard ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : 1969 तक ये योजनाएं राज्य सरकार की योजनाओं में आ जाती है। इसके बाद से अब हम इकट्ठे अनुदान और ऋण दे रहे हैं। राजस्थान सरकार से हमें कुछ विशिष्ट परियोजनाएं 19 अगस्त, 1972 को ही प्राप्त हुई हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान गंदी बस्ती हटाओ योजना के अन्तर्गत केन्द्र ने किसी भी रुपमें कितनी सहायता प्रदान की है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होनें अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री के० एस० चावडा : 1956 से 1969 तक तो यह केन्द्र की ही योजना थी।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : हम से सहायता का पूरा इतिहास बताने को नहीं कहा गया था प्रश्न तो हाल में दी गई सहायता से संबंधित है।...

अध्यक्ष महोदय : गत तीन वर्षों में।

श्री उमा शंकर दीक्षित : अब तक का सरकारी निर्णय 11 महानगरों पर लागू होता है जिनमें जयपुर नहीं है। आवास मंत्रियों के गत सम्मेलन में आम राय यह थी कि प्रत्येक राज्य में से एक नगर अवश्य होना चाहिए यदि यह बात मान ली गइ तो जयपुर को शामिल कर लिया जाएगा। यह प्रश्न अब योजना आयोग को सौंपा गया है और उसके विचाराधीन है।

Shri M. C. Daga : Will relief be provided for cities having more than 8 lakh population or will the cities having less than 8 lakh population be also covered ?

Shri Uma Shankar Dixit : It has already been answered. Metropolitan Centres should have at least 10 lakh population, whereas Jaipur has only 8 lakhs. How the question under consideration is whether one city in each State should be covered, though it may have a population of less than ten lakhs.

श्री के० एस० चावडा : प्रश्न तो सर्वदा भिन्न है। कृपया इसका (क) भाग देखे।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के० एस० चावडा : विवरण में बताया गया है कि गत तीन वर्षों में इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा व्यय की गई राशि की जानकारी हमें नहीं है। तो यह जानते हुए भी कि राज्य सरकारें इस योजना को पूरा नहीं करना चाहतीं, यह कार्य उन्हें क्यों सौंपा गया है ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : सदस्य महोदय को पता होना चाहिये कि ये मामले राष्ट्रीय विकास परिषद राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सलाह से तय करती है, इसीलिए ऐसा किया गया है। विचार यह था कि स्वास्थ्य संबंधी उन मामलों पर भी जहां केन्द्र सहायता या ऋण देता है, वह धन भी अन्य योजनाओं पर लगाया जाय या नहीं, यह मामला भी राज्य सरकारों के स्वविवेक पर छोड दिया गया है। पता नहीं यह प्रश्न मूल प्रश्न में से कैसे निकलता है, फिर भी केन्द्रीय सरकार ने उस समय गन्दी बस्ती सुधार की कोइ योजना प्रारंभ नहीं की थी।

श्री के० एस० चावडा : मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं। केन्द्र ने ही पहले ....

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई तर्क वितर्क या विवाद नहीं उठाया जा सकता।

श्री डी० पी० जदेजा : विवरण के अनुसार, यह योजना देश के 11 केन्द्रों में लागू की जाएगी, मैं उनके नाम जानना चाहता हूं। क्या सरकार का विचार अन्य नगरों में भी यह योजना लागू करने का है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इन 11 नगरों के नामों की सूची सभापटल पर रख दूंगा।

डा० हरिप्रसाद शर्मा : एक ओर तो सरकार की नीति विभिन्न क्षेत्रों में विषमता समाप्त करने की है और दूसरी ओर जनसंख्या का तकनीकी मानदण्ड अपनाया जा रहा है....

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा प्रश्न पूछिए।

डा० हरिप्रसाद शर्मा : यह मानदंड अपनाने से अल्पविकसित क्षेत्र और पिछड जाएंगे। तो इस नीति के अनुसार क्या सरकार प्रत्येक राज्य का कम से कम एक नगर इस योजना में शामिल करेगी।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

Treatment of Medical Certificates issued by Ayurvedic and Unani Doctors at par with the Allopathic Doctors

+

*366. **Shri R. R. Sharma :**
Shri Lalji Bhai :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the certificates issued by the Ayurvedic, Unani or Homoeopathic Doctors are treated at par with those issued by the Allopathic doctors in Government offices and the Life Insurance Corporation throughout the country ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken by Govèrnment in this regard ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) : एक विवरणसभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को भर्ती के समय तथा डाक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी लने के समय किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से डाक्टरी प्रमाण पत्र लेकर पेश करने होते है। मौजूदा नियमों के अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी अथवा होम्योपैथी के पंजीकृत चिकित्सकों अर्थात् पंजीकृत वैद्यों, हकीमों और होम्योपैथ्यों द्वारा जारी किए गए डाक्टरी प्रमाण पत्र और आरोग्यता प्रमाण पत्र क्रमशः बीमारी के कारण ली गई छुट्टी तथा ड्यूटी पर लौटने आदि के लिए स्वीकार किय जाते है बशर्ते कि जिस राज्य में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमार हुआ हो अथवा उपचार कराने के लिए गया हो वह राज्य सरकार ऐसे प्रमाण पत्रों को इन्हीं प्रयोजनों के लिए अपने कर्मचारियों के बारे में स्वीकार करती हो। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहन वाले केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये सर्टिफिकेट स्वीकार किये जाते हैं भले ही उस चिकित्सा अधिकारी का संबंध किसी भी चिकित्सा पद्धति से हो।

2. जहां तक सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का संबंध है, राजपत्रित अधिकारियों को मेडिकल बोर्ड से अराजपत्रित कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी के अलावा) को सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी से, चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारियों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102 वां) की अनुसूचियों में दर्ज चिकित्सा अर्हताधारी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से, तथा जहां कहीं ऐसा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी न हो, वहां समीपस्थ डिस्पेंसरी अथवा अस्पताल के उपयुक्त अर्हताधारी चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणपत्र लेना होता है।

3. भारतीय जीवन बीमा निगम अपने कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर करने के लिए ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा दिये गए प्रमाणपत्रों का स्वीकार करता है। तथापि भरती के लिए चुने गये उम्मीदवारों को उन ऐलोपैथिक डाक्टरों के पास भेजा जाता है जिनके नाम जीवन बीमा करवाने वाले व्यक्तियों की जांच करने वाले डाक्टरों की सूची में होते हैं। इसका कारण यह है कि जिन प्रभागी मुख्यालयों में, आम तौर से भर्ती की जाती है, वहां ऐसे डाक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।

Shri R. R. Sharma : The statement has not coverd part (b) and (c) of the question. It says that in certain cases the certificates issued by the Homoeopathic and Ayurvedic practitioners are recognised which in certain cases they are not recognised. I wanted to know the reasons for this.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों कि उनके प्रमाणपत्र विभिन्न प्रयोजनों के लिए माने जाते हैं, जैसे छुट्टी नियुक्ति और स्वस्थता आदि के बारे में। जहां तक छुट्टी और स्वस्थता का संबंध है, देशीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के प्रमाणपत्रों की कई राज्य सरकारें और विभाग बराबर की मान्यता देते है परंतु जीवन बीमा निगम में नियुक्ति के लिए प्रशासनिक कारणों तथा अन्य कठिनाईयों से केवल एलोपैथिक डाक्टरों के प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाते है वे भी सभी मामलों में नहीं। अतः भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri R. R. Sharma : I had asked whether they would be treated at par and in part (c) I wanted to know the action proposed to be taken in that regard.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि छुटी के लिए स्वस्थता संबंधी प्रमाणपत्रों को बराबर की मान्यता दी जाती है परंतु कुछेक विभागों, जैसे जीवन बीमा निगम आदि में भेदभाव के कारण नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उन क्षेत्रों में एलोपेथिक डाक्टर पर्याप्त संख्या में होने के कारण ऐसा किया जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या उन्हें पता है कि होमियोपेथिक डाक्टरों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों के मामलें में कुछ राज्यों में भेदभाव बरता जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में इन्हें माना जाता है जब कि उत्तर प्रदेश में नहीं माना जाता? क्या इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को समान आदश दिए जाएंगे?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमारे लिए देश की सभी राज्य सरकारों द्वारा दिए गए निदेशों का ब्यौरा प्राप्त करना आसान नहीं है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव

*367. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार से भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किये जाने का अनुरोध किया है जिससे खेतिहर मजदूरों के मकानों के लिए भूमि का सरलता और शीघ्रता से अधिग्रहण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मैं अभी प्राप्त सुचना के आधार पर यह कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य में लागू अधिनियम में यह व्यवस्था है कि निर्धन व्यक्तियों के लिए मकान बनाने तथा आपात स्थिति और आवश्यकता पडने पर धारा 17 की विशेष अधिकारों के अंतर्गत किसी भी भूमि पर अधिकार किया जा सकता है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सरकार का ध्यान आंध्र प्रदश की विधान सभा के हाल ही में हुए उस वादविवाद की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बात उठाई गई थी कि भूमि अधिग्रहण करने के मार्ग में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया बाधक बन रही है और

मंत्री महोदय ने इस संबंध में यह आश्वासन दिया था कि संबंधित प्रकिया में अपेक्षित संशोधन करने हेतु केन्द्रीय सरकार को अनुरोध दिया जायेगा ?

श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि भूमि अधिग्रहण एक समवर्ती विषय है जो सातवीं सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और हम सभी अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे, इस में कोई कठिनाई नही होनी चाहिए। परन्तु मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वहां पहले ही आंध्र प्रदेश भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 है जिसके अनुसार राज्य सरकार को समाज के निर्धन व्यक्तियों के लिए आपात खंड के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है।

श्री पो० नरसिम्हा रेड्डी : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और आश्वासन, कि आवश्यकता पडने पर संशोधन करने में वे सहयोग देंगे, को ध्यान में रखते हुए मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस महत्वपूर्ण विषय की प्रगति की गति से संतुष्ट है और यदि प्रक्रिया संबंधी यह रूकावट मार्ग में आती है तो क्या वे इस प्रक्रिया को सरल बनायेगी तथा इस प्रकार की अन्य कार्यवाही करेंगी जो खेतिहर मजदूरों के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य में शीघ्रता लाने के लिए अपेक्षित है।

श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे : यदि राज्य सरकार प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम का संशोधन करना चाहती है तो उसमें हम सहयोग देंगे, जहां तक केन्द्र का संबंध है, अभी हाल ही में श्री मुल्ला की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण समीक्षा समिति ने सम्पूर्ण समस्या की जांच की तथा इस संबंध में कई सिफारिशें की है, हम इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श कर रहे है और उसके आधर पर कार्यवाही करेंगे।

Shri M. C. Daga : As the section 17 of Land Acquisition Act provides for the acquisition of land, so has the Andhra Pradesh Government taken any action to acquire land? When you are saying that land can be acquired under Section 17, so has the State Government utilized it or not for her purpose.

श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे : मैंने आंध्र प्रदेश भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 का उल्लेख किया था। मेरे पास अन्य कोई सूचना है, उचित नोटिस देने पर आंध्र प्रदेश सरकार से सूचना मांगी जा सकती है।

शिक्षा और रोजगार अवसरों में तालमेल बिठाना

+

***368. श्री अरविन्द नेताम :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से गठित, रोजगार उपन्न करने से संबंधित संयुक्त वर्कशाप ने सरकार तथा योजना आयोग से शिक्षा और रोजगार के अवसरों में तालमेल बिठान के उपाय खोजने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : रोजगार उत्पन्न करने से संबंधित संयुक्त वर्कशाप की रिपोर्ट बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति को

प्रस्तुत कर दी गई है तथा यह उसके विचाराधीन है। समिति से प्राप्त हो जाने पर सरकार इन प्रस्तावों की यथासमय जांच करेगी।

Shri Arvind Netam : The problem of unemployment is getting serious day by day. The Hon. Minister has stated that the matter has been referred to the Expert Committee, So I want to know when it was referred and whether the Government have taken initiative to ask the Committee to present its report immediately?

प्रो० एस० नुरुल हसन : शिक्षा मंत्रालय ने समिति की नियुक्ति नहीं की है परन्तु मुझे संदेह नहीं है कि मेरे सहयोगी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त कार्यवाही कर रहे है कि प्रतिवेदन यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत किया जाय।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार भारत में शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ला रही है ताकि शिक्षा की नई व्यवस्था ऐसी हो जिसमें शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का निवारण किया जा सके और यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कानून बनाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है, परंतु आप अब इससे बाहर जा रहे है, यह एक विशिष्ट प्रश्न है, फिर भी यदि आप उन्हें बता सकते है ....

प्रो० एस० नुरुल हसन : यदि ऐसी मांग है तो मैं शैक्षणिक सुधार के समूचे प्रश्न पर विचार विमर्श कर सकता हूं ....

अध्यक्ष महोदय : यह किसी और दिन किया जा सकता है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : यदि मुझे ऐसा करने को कहा जाये तो मैं उसे प्रसन्नता से करूंगा।

श्री डी० डी० देसाई : समिति के विचारार्थ विषय क्या है और क्या मैं जान सकता हूं कि समिति रोजगार प्रधान आवश्यकताओं के आधार पर, विशेषकर रोजगार के कई क्षेत्रों में विद्यमान कमी को ध्यान में रखते हुए लोगों को प्रशिक्षण देने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि समिति के विचारार्थ विषय क्या है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जैसा कि मैंने कहा है, यह मेरे मंत्रालय से संबद्ध नहीं है।

श्री बी० वी० नायक : मैं केवल यह पूछ रहा हूँ कि क्या शिक्षा मंत्रालय, रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित संयुक्त वर्कशाप की शिफारिशों को देखते हुए, कम से कम उन सिफारिशों पर विचार कर रही है जो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है और क्या बेरोजगार संबंधी विशेषज्ञ समिति—

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना प्रश्न पुछेंगे ?

श्री बी० वी० नायक : क्या इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा तथा श्रम मंत्रालय बेरोजगारी की समस्या के निवारण के लिए तब तक निर्णय नहीं लेगा जब तक उन्हे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाते है अथवा इस विशेष विषय पर बारह महीने तक विचार करेगी ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : संयुक्त वर्कशाप पर एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था, यह संयुक्त वर्कशाप शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में नहीं गठित किया गया था, यह अंतर-

राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति के कहने पर गठित किया गया था । इसने चार समस्याओं पर विचार किया था, यह मामला बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है और जब उनकी सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी तो हम निश्चय ही उन पर विचार करेंगे । परन्तु शिक्षा मंत्रालय स्वयं इस प्रश्न के बारे में अति उत्सुक है, हमें आशा है कि सितंबर में होने वाली केन्द्रीय परमार्शदायी बोर्ड की बैठक में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री इस बारे में कोई निर्णय कर सकेंगे।

आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी खण्ड बनाना

*372. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी खंड बनाने के लिये क्या कसोटी अपनाई गई है ;

(ख) एक बार मंजूरी देने के बाद आदिवासी खंड बनाने में क्या बाधायें है; और

(ग) मध्य प्रदेश के सिधी जिले में अभी तक कुछ आदिवासी खंड क्यों नहीं बनाये गये जब कि उनकी मंजूरी दे दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) नए आदिमजाति विकास खंडों को खोलने के लिए निम्नलिखित कसौटियां है :

1. 150–200 वर्ग मील का क्षेत्रफल
2. 25,000 की कुल आबादी,
3. आदिमजातियों की जनसंख्या $66\frac{2}{3}\%$
4. एक सामान्य प्रशासनिक एकक के रूप में चलाए जाने की क्षमता।

(ख) मध्य प्रदेश में स्वालमेन्डा (बेतुला जिला) में स्थित आदिम जाति विकास खण्ड को छोड़ कर सभी मंजूर शुदा आदिमजाति विकास खण्ड खोल दिए गए है । इस सीमाओं का निर्धारण न कर सकने के कारण मध्य प्रदेश की राज्य सरकार इस खण्ड को खोल नहीं सकी है ।

(ग) सिधी जिल के लिए मंजूर किए गए एक मात्र आदिमजाति विकास खण्ड को 1966-67 में खोला गया था और तब से यह चल रहा है ।

श्री रणबहादुर सिंह : आदिमजाति विकास खंड स्थापित करने की कसौटी इस पर भी लागू होती है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे खंड, जो सामान्य खंडों की भांति कार्य कर रहे है, परंतु इस कसौटी को पूरा करते है, आदिमजाति खंडों में बदले जाएंगे जो कि आदिमजाति लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ?

श्री डी० पी० यादव : जहां तक आदिम जाति खंडों का संबंध है, निश्चय ही उन्हें सामान्य खंडों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है और हाल ही में हमने सामान्य खंडों को अनुमानत: 7 लाख रुपये दिये है, अतएव उनकी उपेक्षा करने का प्रश्न ही नही उठता है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : बेतुल जिला में स्वालमेन्डा खंड को न बनाने के सही-सही क्या कारण है जब कि यह मंत्री महोदय द्वारा उल्लिखित कसौटी पर ठीक उतरते है ? क्या वे सभा को यह आश्वासन दे सकते है कि जब यह खंड खोला जाएगा तो इससे अन्य वर्तमान आदिमजाति खंड प्रभावित नहीं होंगे ?

श्री डी० पी० यादव : मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आदिमजाति विकास खंड है । लगभग 127 खंडों की मंजूरी दी गई थी जिसमें से 126 खंड कार्य कर रहे है, दुर्भाग्य-वश केवल एक खंड खोला नहीं गया है। भारत सरकार को इस बारे में सहानुभूति है और योजना आयोग ने वर्तमान खंडों को सुदृढ बनान के लिए एक फार्मूला प्रस्तुत किया है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या यह मेरे प्रश्न का उत्तर है? मुझे आपका संरक्षण चाहिए, वे गिनती बता रहे है कि इतने खंड पहले ही खोले जा चुके है। मेरा प्रश्न है कि क्या यह निर्धारित कसोटी पर ठीक उतरता है और आप इसे क्यों नहीं खोल रहे हैं? मैं कारण जानना चाहता हूँ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मेरे सहयोगी ने पहलेही उत्तर दे दिया है कि वे खंड की सीमाओं का सीमांकन नहीं कर सके है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या कसौटी यही है? मैं जान सकता हूं कि खंड क्यों नहीं खोला जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तेजीत मत होइये।

Shri Bhagirath Bhanwar : The hon. Minister has stated in his reply that more funds are given to Tribal Development Blocks in comparison with the General Development Blocks. I want to ask whether besides the allotment of funds by the Central Government to the Tribal Development Blocks, part of funds, which are spent by the State Governments on the Community Development Blocks, are given to the Tribal Development Blocks?

श्री डी० पी० यादव : यह एक विशेष प्रश्न है जिसके लिए मुझे नोटिस चाहिए।

Shri Bhagirath Bhanwar : My question is since Tribal Development Blocks are allocated special funds, so whether the State Government also allocates their funds to these Blocks? The practice till now is that Government allocates the funds.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उन खंडो का प्रशासन चलाने के लिए क्या आप राज्य सरकारों के साथ व्यय में हिस्सा बटा रहे हैं?

Shri D. P. Yadav : The funds, which we have allotted to State Governments are sufficient for expenditure. If the State Governments demand more funds to be spent on tribals, the Centre is always willing to help.

Shri Bhagirath Bhanwar : What is the meaning of opening new Development Blocks?

Shri D. P. Yadav : If the funds allotted by us are spent fully, then we will consider the demands of State Governments, if made, for more funds.

श्री बी० एल० मूर्ति : क्या ऐसे सभी क्षेत्रों में जो मंत्री द्वारा बताये गये कसौटियों पर ठीक उतरते है जनजाति खंडों के अन्तर्गत लाया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

श्री० डी० पी० यादव : मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं।

श्री डी० बसुमतारी : क्या मंत्री महोदय का ध्यान जनजाति खंडों के बारे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें विशिष्ट रूप से बताया गया है कि जनजाति खंड स्थापित करने का उद्देश्य—उनकी संख्या लगभग 489 है—समाप्त हो गया है और जनजातियों के नाम पर अन्य लोग लाभ प्राप्त कर रहे है। ऐसी स्थिति में सरकार किस प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था कर रही है जिससे जनजातियों के लोग शोषण से बचकर स्वयं अपना विकास कर सकें?

प्रो० एस० नुरुल हसन : यह अनुसुचित जनजातियों के विकास के बारे में सामान्य प्रश्न है। यदि वह कोई विशिष्ट प्रश्न पूछे तो मैं उसका उत्तर देने के लिये तैयार हूं। यह प्रश्न मध्य प्रदेश में जनजाति विकास खंडों के बारे में है।

Shri Hukum Chand Kachwai : May I know the location and number of blocks opened at each place? Is it a fact that the amount sanctioned for the development of these blocks is not being utilised by the State Governments for this purpose ? Do the Central Government take any action against the State Governments in such cases?

अध्यक्ष महोदय : यदि इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाता तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये आपके पास कुछ शक्तियां है ताकि वे उस राशि को व्यर्थ न गंवाएं और उस राशि को ठीक ढंग से खर्च किया जाये ?

Shri D. P. Yadav : We shall definitely pursue it and request the State Government to this effect.

Shri Hukum Chand Kachwai: I seek your protection, Sir. The hon'ble Minister has replied that there are 127 blocks. I wanted to know the places where they have been situated. Kindly get me answer to this question.

Shri D.P. Yadav : There are 504 tribal blocks in the country as a whole and out of them 126 are in Madhya Pradesh. In case Shri Kachwai wants district-wise break-up of those blocks, I shall give this information to him. I have got it.

Shri R. S. Pandey : Every second man in Madhya Pradesh is a tribal. The blocks have been opened to get funds from the Centre and to spend the same to raise the economic and social standard of life of tribals. I wanted to know whether any provision has been made in the draft Five Year Plan because the assistance being given at present is too meagre?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से भिन्न है।

नई दिल्ली स्थित 'कपूरथला प्लाट' का केरल सरकार को दिया जाना

\+

***373. श्री एन० श्रीकान्तन नायर :**

श्री वयालार राव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कपूरथला प्लाट' जो कि केरल सरकार का है केरल सरकार को दे दिया गया है जैसा कि उक्त सरकार द्वारा अनुरोध किया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख): कपूरथला प्लाट में से 2.164 एकड भूमि केरल एज्युकेशन सोसाइटी द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने के लिये केरल सरकार को दे दी गई है। भूमि का शेष भाग दिल्ली प्रशासन की सिक्योरिटी पुलिस लाइन्स द्वारा इसे खाली किये जाने के बाद दिया जायेगा, जिन्हे मामले में लिखा जा रहा है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाई स्कूल स्थापित हो चुका है और वह बहुत अच्छा चल रहा है, क्या सरकार उक्त प्लाट शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कर देगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैंने बताया है, इस मामले में कार्यवाही की जा रही है और इस मामले को शीघ्र से शीघ्र निपटाने का प्रयत्न किया जायेगा।

Canopy and Kaliyadah Palace of Durgadas Rathore in Ujjain

*374. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Canopy and Kaliyadah Palace of Durgadas Rathore in Ujjain have been declared as preserved monuments by the Central Government or the State Government; and

(b) the steps taken by the Central Government for the safety and maintenance of the said monuments?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The Canopy of Durgadas Rathore at Ujjain is protected by the Government of Madhya Pradesh. The Kaliyadah Palace is not protected either by the State or the Central Government.

(b) In respect of the Canopy we are informed that the State Government has already taken necessary measures for its proper preservation and maintenance. The Kaliyadah Palace is the property of the Maharaja of Gwalior. It is reported to be in a good state of preservation.

Shri Hukam Chand Kachwai : The reply given by the Hon'ble Minister is incorrect. I belong to the same town in which the canpoy is situated and it is just half a mile from my residence. May I know whether Hon'ble Minister is aware that Durgadas Rathore of Rajasthan is known for his bravery? This canopy is situated at the bank of a river. It is affected by the erosion by river water at the time of floods. The Hon'ble Minister has stated that necessary steps have been taken by the State Government for the protection of the canopy. But I know that no amount has been spent for this purpose. Only wrong information has been furnished to us. I would like to know the steps being taken to see that canopy is not affected by erosions.

Mr. Speaker : You can organise it by voluntary efforts. You are living near by this canopy.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether there is any scheme to declare it a national monument?

Shri D. P. Yadav: It has been stated in the information furnished by the State Government that they have spent Rs. 43572 on the construction of a dam on Chhipra river and a wall in order to protect the canopy.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I want to know the details of the steps taken to protect the canopy I would like to point out that wrong information have been furnished that so much amount has been spent will the Hon'ble Minister look into this matter?

Shri D. P. Yadav : Whatever has been stated by Shri Kachwai.....

Mr. Speaker : You can visit that place at your convenience, let us proceed further.

दिल्ली दुग्ध योजना के भूतपूर्व अध्यक्ष की परिसम्पत्तियों के बारे में जांच

*376. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या कृषि मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना के भूतपूर्व अध्यक्ष की परिसंपत्तियों की जांच के बारे में 3 अप्रैल, 1972 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1745 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के भूतपूर्व अध्यक्ष की औचित्य से अधिक परिसंपत्तियों की जांच के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करन का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा आरंभिक जांच पूरी कर ली गई है और उनकी रिपोर्ट पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) मामला अभी उस स्थिति पर नहीं पहुंचा है कि सरकार कोई कार्यवाही करे।

Shri Krishna Chandra Pandey : I would like to know as to when C.B.I. report was sent to the Vigilance Commission?

Prof. Sher Singh : It was sent on 14th July.

Shri Krishna Chandra Pandey : Sir, May I know as to when the report of Vigilance Com mission is expected and whether the house will be informed about it?

Prof. Sher Sing : We have asked the Vigilance Commission to submit their report early. The Commission has informed that they would try to submit the report as early a possible and thereafter action will be taken.

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 4 के बारे में
RE : SHORT NOTICE QUESTION NO. 4.

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4 — डा० रानेन सेन। वह उपस्थित नहीं है। तो हम ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि रेलगाडी देर से आ रही हो तो क्या किया जायगा उन्होंनें गाडी पर आना था। कृपया इसको किसी अन्य दिन के लिये स्थागित कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है, यह महत्वपूर्ण विषय है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

..... अरब सागर में "दामोदर मांडोवी" माल जहाज का डूब जाना

***361. श्री नानजीभाई रावजीभाई वेकारिया :**
श्री एस० मुहम्मद शरीफ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में "दामोदर मांडोवी" माल जहाज अरब सागर में डूब गया था, यदि हां, तो उस में कितने व्यक्ति डूब गये;

(ख) क्या कोई जाँच की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। माल जहाज़ 29 जूलाई, 1972 को डूबा था। कर्मी दल के 31 सदस्य अभी भी लापता हैं।

(ख) तथा (ग): व्यापार नौवहन अधिनियमन, 1958 की धारा 359 के अन्तर्गत जाँच चल रही है। इसके शीघ्र ही पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है।

भारतीय खाद्य निगम को घाटा

*362. **श्री वी० मायावन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम को कितने प्रतिशत परिचालन घाटे की अनुमति है ;

(ख) गत वर्ष कितना वास्तविक घाटा हुआ और यदि कोई असाधारण घाटा हुआ था तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रकार के घाटे को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की वित्त प्रभाग की सहमति से 'बट्टे खाते में' डालने की मंजूरी देने के लिये शक्तियों को बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है (विवरण-1) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3514/72]**

(ख) वर्ष 1970-71 के दौरान 1413 करोड़ रुपये की कुल खरीद और बिक्री के प्रति मार्ग, भण्डारण और समुद्र यात्रा पर लगभग 15 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। कुछ विशिष्ट मामलों में असाधारण हानि हुई थी जिनके कारण सभा के पटल पर रखे जा रहे विवरण में दिए जाते हैं (विवरण-2) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3514/72]**

(ग) हानी कम से कम हो, यह सुनिश्चित करने के लिए निगम ने जो उपाय किए है और/अथवा कर रहा है उन्हें सभा के पटल पर रखे जा रहे विवरण में दिया जाता है (विवरण -3) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3514/72]**

डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली, में पानी की कमी

*369. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका से डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली, में श्रेणी II के 192 तथा श्रेणी III के 168 क्वार्टरों के लिये पानी की सप्लाई की स्वीकृति मांगी गयी थी तथा प्रदान भी कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो नई दिल्ली नगर पालिका से यथा शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने तथा उस क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी, हां ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने 17-6-71 को उद्यान मार्ग के साथ वाली अपनी 12" की बड़ी पाइप से 3 इंच के टो कनेक्शन की स्वीकृति दी थी, जिस से निम्नलिखित क्वाटरों की आवश्यकता पूरी होती है :—

टाईप		क्वार्टरों की संख्या
टाईप I	. . . . . .	64
टाईप II	. . . . . .	192
टाईप III	. . . . . .	168
	कुल	424

(ग) प्रश्न हो नहीं उठता ।

Setting up of Voluntary Youth Organisations to Increase Agricultural Production

*370. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government porpose to set up any voluntary youth organisation such as the "Bhagirath Sena" to increase agricultural production and to bring new land under cultivation and which could make significant contribution in changing the course of rivers, digging earth, deepening of canals, maintenance of wells and ponds and repaire of power operated pumps; and.

(b) if so, the main features thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

तराई विकास निगम के निदेशक बोर्ड के सदस्यों की भूमि और अधिकतम सीमा कानून का लागू होना

*371. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री तराई विकास निगम के बारे में 8 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि तराई विकास निगम के निदेशक बोर्ड के सदस्यों की भूमि पर उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि की वर्तमान अधिकतम सीमा लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : "उत्तर प्रदेश भू-जोत उच्चतम सीमा निर्धारण अधिनियम, 1960" को क्रियान्वित करना पूर्णतः राज्य सरकार का उत्तर-दायित्व है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4240 के भाग (क) के उत्तर में 8 जुलाई, 1971 को यह कहा गया था कि तराई विकास निगम के निदेशक मंडल में 6 कृषक थे। इनमें से अब तीन कृषक सेवा निवृत्त हो चुके हैं और तीन कृषक अभी भी निदेशक मंडल पर विद्यमान

हैं। तराई विकास निगम के सदस्यों को अपने स्वामित्व में विद्यमान कुल भूमि की सूचना निगम को देने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रत्येक सदस्य को केवल अपने अथवा अपने सहकारी के अधिकार में विद्यमान उसी भूमि के क्षेत्र की सूचना देनी होती है, जिसे वे बीज उत्पादन के लिये प्रयोग में लाना चाहते हैं। तीन कृषकों द्वारा तराई बीज निगम को दी गई जानकारी जोकि निदेशक मंडल में अभी भी विद्यमान है, निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	उनके तथा उनके सहकारियो द्वारा धारित क्षेत्र
1.	श्री गुरबाज सिंह तथा सहकारी ग्राम-सरोवरनगर, डा० भटखेर जिला—रामपुर	200
2.	श्री पी० एन० मेहता तथा सहकारी, सितारामपुर फार्म, काशिपुर, जिला—नैनिताल	31
3.	श्री के० एन० अग्रवाल तथा सहकारी, पराग कृषि फार्म, डा० गोकुलनगर, तहसील किच्छा, जिला—नैनिताल,	3800

इन व्यक्तियों के स्वामित्व में विद्यमान भूमि तथा उनपर उच्चतम सीमा कानून लागू करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है, जोकि निम्न प्रकार है :—

श्री गुरबाज सिंह : तराई विकास निगम को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में यद्यपि उन्होंने अपने तथा अपने सहकारी के अधिकार में 200 एकड़ भूमि होने की सूचना दी है, किन्तु राज्य सरकारने सूचना दी है कि एक सहकारी समिति के सदस्य के नाते स्वयं श्री गुरबाज सिंह के अधिकार में केवल 47 बीघे तथा 17 बिस्वे भूमि है। उनके अधिकार में विद्यमान कुल भूमि क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ संदेह है, अत: जिले के कलेक्टर ने इस मामले में जांच प्रारम्भ कर दी है।

श्री पी० एन० मेहता : श्री मेहता ने निगम को दिये गये अपने आवेदन पत्र में अपने तथा अपने सहकारियों के अधिकार में 31 एकड़ भूमि होने की सूचना दी है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्री मेहता के पास कुल मिलाकर 53.34 एकड़ भूमि है। यह भी सूचित किया गया है कि श्री मेहता के पास वर्तमान कानून के अन्तर्गत लागू की गई उच्चतम सीमा से अधिक भूमि नहीं है।

श्री के० एन० अग्रवाल : 3879.84 एकड़ क्षेत्र में फैले पराग कृषि फार्म नामक एक फार्म में श्री के० एन० अग्रवाल का छटा भाग है। श्री के० एन० अग्रवाल का अंश 646.64 एकड़ निकलता है। श्री अग्रवाल तथा पराग कृषि फार्म के अन्य व्यक्तियों के अधिकार में विद्यमान कुल भूमि में से 1520.24 एकड़ भूमि अधिशेष घोषित कर दी गई है। किन्तु इन लोगों ने ेक आदेश प्राप्त कर लिये हैं और मामला उच्च न्यायालय में अभी अनिर्णीत पड़ा है।

वर्ष 1970 से 1972 तक भूख से मरे व्यक्ति

***375. चौध ी राम प्रकाश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970, 1971 और जनवरी से जुलाई 1972 तक की अवधि में राज्यवार, भूख से कितने व्यक्तियों की मृत्यू हुई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : सूखे से हुई कथित मृत्यु के सभी मामलों को सदैव संबंधित राज्य सरकारों को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए भेजा जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 1970, 1971 और 1972 में भूख से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है।

कीट नाशक दवाइयों में आत्म-निर्भरता

*377. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि और उद्यान सम्बन्धी कार्यों में प्रयोग होने वाली कीटनाशक दवाइयों में आत्म-निर्भर और देश के अन्य राज्यों को उसे सप्लाई कर सकने में समर्थ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : प्रश्न से यह साफ़ पता नहीं चलता कि सदस्य महोदय उत्पादन में आत्म-निर्भरता का उल्लेख कर रहे हैं अथवा उपलब्धि का । कीटनाशकों के उत्पादन और उपलब्धि के सम्बन्ध में स्थिति निम्नलिखित है । उत्पादन और निर्माण करने वाले एकक अनेक राज्यों में स्थित हैं । कीटनाशक तकनीकी ग्रेड के माल को निर्मित करने वाले मध्यम और बड़े आकार के एकक कुछ थोड़े राज्यों में ही स्थित हैं जिन्हें अपने कुल उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत भाग असम्बद्ध और लघु औद्योगिक एककों में वितरित करना पड़ता है ।

भारत सरकार देश में सामायिक रूप से कीटनाशक औषधियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिये उपाय करती है । राज्य सरकारें पहले ही अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगाती हैं और विभिन्न एजेंसियों (जिनमें प्राइवेट व्यापार भी सम्मिलित है) के माध्यम से आपूर्ति का प्रबन्ध करती हैं । इस समय देश के अन्दर विभिन्न प्रकार की 39 कीटनाशक औषधियों का उत्पादन हो रहा है और इस उद्योग को "कोर उद्योग" समझा जाता है तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे कि देश में कीटनाशक औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति होती रहे । उन कीटनाशक औषधियों को जो अभी देश में तैयार नहीं हो रही है और जिनकी वनस्पति संरक्षण के लिये आवश्यकता है, पर्याप्त मात्रा में आयात किया जा रहा है । आम तौर पर देखा जाये तो वर्ष 1972-73 के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कीटनाशकों की आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है ।

Efforts to Increase Capacity of Government printing presses

*378. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether on account of Government Presses being overburdened with Government printing jobs, many printing jobs have to be got printed by the private presses; and

(b) if so, the efforts being made by Government to increase the capacity of the Government Presses?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit): (a) Whenever the load of work is in excess of printing capacity in the Government presses, printing jobs are got done by outside printers.

(b) In order to increase the capacity of the Government of India Presses, multiple shifts are being introduced in a number of presses and installed capacity is also being increased by adding new machines.

गुजरात राज्य में पीने का पानी

*379. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां गांव की एक बड़ी संख्या के लिए अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की कुल संख्या कितनी है जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ग) इनमें से कितने गांवों में चौथी पंचवर्षीय योजना में तथा कितने गांवों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी की सुविधायें उपलब्ध कर दी जायेंगी ; और

(घ) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन गांवों में पीने के पानी की सुविधाये उपलब्ध कराने के लिये राज्य को धन राशि दी जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू में गुजरात में लगभग 3000 गांव ऐसे थे जिनमें एक मील की परिधि में अथवा 50 फीट की गहराई तक पानी नहीं था। अनेक अन्य राज्यों में भी इस बारे में स्थिति या तो वैसी ही है अथवा इससे भी अधिक खराब है ।

(ग) आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इनमें से लगभग 1,200 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हो जायगी। राज्य की पंचवर्षीय योजना के अभी तैयार न होने के कारण इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि पांचवीं योजना में कितने और गांव इसके अन्तर्गत आ जायेंगे किन्तु राज्य सरकार द्वारा बनाई गई 1974 से 1984 तक की प्रस्तुत योजना के अनुसार पांचवीं योजना में 1,500 गांवों को जल पूर्ति योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है।

(घ) आशा है कि राज्यों को सामान्य रूप से दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी दी जाती रहेगी।

Introduction of Diploma Course for Medical Students

*380. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a Diploma Course for medical students in view of the shortage of doctors in various States especially in rural areas ; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dixit) : (a) and (b): There is no such proposal under consideration of Government at present. However an expert Committee of medical educationists is being appointed to study the system of medical education and suggest such changes as may be necessary in the light of various factors, including the need for meeting the shortage of doctors in rural areas.

आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली में केंद्रीय स्कूल खोलना

3580. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्कूल संगठन आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली में एक नया केन्द्रीय स्कूल खोल रहा है ; यदि हां, तो क्या स्कूल में सभी ग्यारहओं कक्षाएं होंगी ;

(ख) प्रत्येक कक्षा में कितने सेक्शन होंगे; और

(ग) जुलाई, 1972 के अन्तिम सप्ताह में हुई दाखले की परीक्षा में कितने छात्र ने भाग लिया, उनमें से प्रत्येक कक्षा के लिये कितने-कितने छात्र उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्यक कक्षा में कितने छात्रों को दाखिल किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी, हां। शुरू में स्कूल में केवल 1 से 7 तक की कक्षाएं ही होंगी।

(ख) प्रत्येक कक्षा में सेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है ;

कक्षा 1	2 सेक्शन
,, 2	2 ,,
,, 3	1 ,,
,, 4	1 ,,
,, 5	1 ,,
,, 6	2 ,,
,, 7	1 ,,

(ग)

	कक्षा शामिल होने वाले छात्रों की संख्या	योग्यता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या
1	*	*	67
2	199	80	71
3	139	92	34
4	143	97	32
5	131	64	34
6	91	61	61
7	62	42	36

*7 मई, 1972 को सभी स्थानीय केन्द्रीय विद्यालयों के लिए आयोजित किए गए संयुक्त-टेस्ट के आधार पर ही पहली कक्षा में दाखिले दिए गए हैं। चूंकि उक्त टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वाले ऐसे अनेक छात्र थे, जिन्हे विद्यमान स्थानीय केन्द्रीय विद्यालयों में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण दाखिला नहीं दिया गया था, अत: निर्णय किया गया था कि आई० एन० ए० के केन्द्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में दाखिले के लिए गए टेस्ट न लिखे जाएं और 7 मई, 1972 को आयोजित किए गए टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वाले बच्चों में से ही लिए जाएं। आई० एन० ए० केन्द्रीय विद्यालय को पहली कक्षा में दाखिल किए गए छात्रों की कुल संख्या 67 है।

आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली के केन्द्रीय स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में और अधिक सेक्शन खोलना

3581. श्री एस० सी० सोमसुन्दरम : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्कूल संगठन ने आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली में खोले जाने वाले नये केन्द्रीय स्कूल की सात कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा एक-एक सेक्शन खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या जुलाई, 1972 के अन्तिम सप्ताह में हुई दाखिले की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के अभिभावकों ने केन्द्रीय स्कूल संगठन तथा मंत्रालय को अभ्यावेदन दिये है जिनमें अनुरोध किया गया है कि दाखिले की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों का स्कूल में दाखिल करने के लिए सातों कक्षाओं के और अधिक सक्शन खोले जायें ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली के नए केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) में निम्नलिखित सेक्शन होंगे।

कक्षा	सेक्शन की संख्या
i	दो
ii	दो
iii	एक
iv	एक
v	एक
vi	दो
vii	एक

(ख) और (ग) : केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास (सेन्ट्रल स्कूल आर्गनाइजेशन) विद्यार्थियों के अभिभावकों की और से और अधिक अनुभाग खोलने के लिये अभ्यावदन आए थे ताकि उन विद्यार्थियों को भी दाखिला मिल सके, जिन्होंने प्रवश परीक्षा पास कर ली है। परन्तु सीमित भौतिकी सुविधाओं के कारण और अधिक सेक्शन खोलना केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए सम्भव नहीं है।

कृषक वित्त व्यवस्था को अधिकतम सीमा सम्बन्धी नई विधियों से पुनः सम्बद्ध करने की नीति

3582. **श्री रण बहादूर सिंह** : क्या कृषी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषक वित्त व्यवस्था को अधिकतम सीमा संबंधी नई विधियों से सम्बद्ध करने की नीतियों को पुनः निर्धारित करने का है ताकि एक किसान 35,000 पये मूल्य का ट्रक्टर खरीद सके ;

(ख) यदि हां, तो इन नीतियों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में बन रहे ट्रैक्टर कैसे बिकेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : ऋणों की स्वीकृति देने के लिये वित्तीय संस्थानों की ऋण नीति में मुख्यतः कृषक अथवा कृषक वर्गों की वृद्धिशील आय के आधार पर उनकी पुनःअदायगी की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। पुर्नअदायगी की क्षमता कृषि क्षेत्र, उगाई गई फसलों, प्रयोग में लाई जाने वाली टेक्नोलाजी आदि से सम्बन्धित रहती है। ऋणदाता संस्थान विभिन्न कृषकों अथवा कृषक वर्गों अथवा सहकारी समितियों अथवा कृषि उद्योग निगमों जसे अन्य संस्थानों को देशीय तथा दूसरे ट्रक्टरों की खरीद के लिये

ऋण प्रदान कर रहे हैं। सतत बढ़ती जा रही कृषि क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भूमि विकास बैंक, कृषि पुनर्वित निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दीर्घ कालीन ऋण जारी करने के कार्यक्रम को प्रति वर्ष बढ़ाया जा रहा है।

दिल्ली के मेडिकल कालेजों में दूसरी पारी

3583. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मेडिकल कालेजों में दूसरी पारी आरम्भ करने के सम्बन्ध में 30 जुलाई, 1972 को दिल्ली अभिभावक संघ के 100 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल पर सरकार के कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं। दिल्ली के मेडिकल कालेजों में दूसरी पारी आरम्भ करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि की अधिकतम सीमा में कमी करने के परिणामस्वरूप किसानों को सहायता

3584. **श्री रण बहादुर सिंह :**
श्री जो० वाई० कृष्णन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि की अधिकतम सीमा में कमी करने के परिणामस्वरूप जिन किसानों का जोतिकोपार्जन समाप्त हो जायेगा उनके पुनर्वास के लिये राज्यों द्वारा सहायता दिय जाने की सिफारिश करने के रूप में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे) : भूमि स्वामियों के पास अधिकतम सीमा तक भूमि का स्वामित्व रहेगा। राज्य में निहित भूमि के लिये उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। अतः कृषकों का अपनी आजीविका खोने का प्रश्न ही नहीं होता।

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार

3585. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने इस बात पर विचार किया है कि (I) एक सामान्य किसान के लिए कितने मूल्य की अति-आवश्यक वस्तुएं आवश्यक हैं ; (II) किसान के बच्चों की शिक्षा पर विशेषतया कालेज तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा पर कितना व्यय आवश्यक है; (III) एक सामान्य पृथक परिवार की चिकित्सा के लिए कितनी धन राशि की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है अर्थात् सामान्य व्यय के रूप में प्रत्येक मद के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय विभिन्न बातों, अर्थात् किस सीमा तक एक औसत परिवार खेती कर सकता है, एक जोड़े बैल आदि से कितने क्षेत्र पर खेती की जा सकती है, आदि पर जांच की है। फार्म को आय के कुछ न्यूनतम स्तर पर जोत को अधिकतम सीमा लगाना सम्भव नहीं समझा गया। इस बात पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निरूपन करते समय जांच की गई थी और निम्नलिखित कारणों से असम्भव समझे गई :—

भूमि के किसी क्षेत्र की आय, उगाई जाने वाली फसल, कृषि क्षमता के स्तर तथा किये जाने वाले विनियोजन पर निर्भर करती है। भूमि के किसी क्षेत्र से विभिन्न व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न आय प्राप्त हो सकती है, जो उसकी कुशलता, क्षमता तथा संसदनों पर निर्भर करती है। उन्नत कृषि प्रणालियां अपनाई जा रही हैं और कृषि में अधिक रक्षता तथा विविधता आ रही है, अतः भूमि की प्रति इकाई से धीरे-धीरे आय बढ़नी चाहिये। इस प्रकार एक परिवार की जोत की मूल्यों के अनुमानित स्तर से सहयोजित किसी आय के स्तर तक सहसम्बन्धित करना कठिन है।'

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के निर्णय के अनुसार भूमि को अधिकतम सीमा निर्धारित करने का आधार

3586. श्री रण बहादुर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि को अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धि केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों फार्मों की आय से सम्बन्धित किन्हीं आर्थिक आंकड़ों पर आधारित हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भूमि को अधिकतम सीमा किस आधार पर निर्धारित की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) अधिकतम जोत सीमा निर्धारण के क्षेत्रों के सम्बन्ध में सुझाव देते समय जल, मृदा उर्वरकता आदि उपलब्धि को ध्यान में रखा गया है।

न्यू फ्रेंड्स सहकारी गृह निर्माण समिति, नई दिल्ली को भूमि का आवंटन

3587. श्री के० सूर्यनारायण : क्या निर्माण और आवास मंत्री न्यू फ्रेंड्स सहकारी गृह निर्माण समिति, नई दिल्ली को भूमि के आवंटन के बारे में 31 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू फ्रेंड्स सहकारी गृह निर्माण समिति, नई दिल्ली को अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या बढ़ती हुई निर्माण लागत को देखते हुए उक्त समिति को भूमि के आवंटन तथा तत्पश्चात् सदस्यों को इसके आवंटन में विलम्ब से सदस्यों को बहुत चिन्ता हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो आवंटन को अन्तिम रूप देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और ऐसा कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख), जी, नहीं। न्यू फ्रेंड्स सहकारी गृह निर्माण समिति को भूमि का आवंटन पहले से ही किया जा चुका है तथा समिति ने प्लाट अपने सदस्यों को आवंटित भी कर दिये हैं, परन्तु न्यायालयों के रोक-आदेशों के कारण सदस्यों के नाम प्लाटों के उप-पट्टों का निष्पादन रुका हुआ है।

(ग) न्यायालय के रोक-आदेशों के समाप्त होते ही सदस्यों के नाम उप-पदों का निष्पादन करवाने की कार्यवाही की जायगी।

उत्तर देने की तारीख 28 अगस्त, 1972 वृद्धावस्था पेंशन

3588. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में 29 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7684 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1820 आवेदकों में से अभी तक किसी व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के क्या नाम हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1828 आवदकों की संख्या नहीं बल्कि लाभ प्राप्त कर्ताओं की संख्या है, जिन्हें वृद्धावस्था पशन मंजूर की गई थी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को लाभ

3589. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को लाभ के बारे में 31 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8067 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या इस मामले की इस बीच जांच कर ली गई है और कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : जी, हां। सरकार को सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के मामलों के लिए कोई सामान्य कानन निश्चित नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोष के अनुसार विचार करना होगा। तो भी, साधारणतया पुनः अपने पहले ही धर्म को अपना लेने पर एक व्यक्ति उन्हीं विशेषाधिकारों का दावा करने का पात्र होगा, जिन्हें अनूसूचित-जाति के लोग पाने के हकदार होंग, यदि उसे उस विशिष्ट जाति द्वारा अपने एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

पौड़ी गढ़वाल के सामुदायिक विकास खण्डों का सीमावर्ती जिलों में शामिल किया जाना

3590. **श्री रामसूरत प्रसाद** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसमें पौडी गढ़वाल के कुछ सामदायिक विकास खण्डों को सीमावर्ती जिलों में शामिल करने की सिफारिश की गई है ;

(ख) क्या पौड़ी जिले के प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तथा चमोली के सीमावर्ती जिले के कणप्रयाग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के खिरसू सामुदायिक विकास खण्ड के "पट्टी" धानपुर तथा बछनसयून की स्थानीय जनता को वहां के सम्बन्ध अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि उन "पट्टियों" को भी सीमावर्ती क्षत्रों में शामिल किया जायेगा जिससे कि भविष्य में उन्हें भी विकास कार्यक्रमों का उचित भाग मिल सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) स्थानीय जनता को दिए गए ऐसे किसी आश्वासन की जानकारी भारत सरकार को नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक का आयात

3591. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में कितने उर्वरक का आयात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : वास्तविक आमद के आधार पर पिछले तीन सालों के दौरान आयातित, पोषकतत्वों के रूप में, उर्वरकों की मात्रा नीचे दी गई है :—

	1969–70	1970–71	1971–72
एन०	6,67,188	4,77,457	4,80,445
पी०	93,510	32,103	2,47,511
के०	1,20,232	1,20,000	2,67,570

ग्रामीण रोजगार हेतु द्रुत योजना पर खर्च की गई राशि

3592. श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार हेतु द्रुत योजना पर वर्ष 1971–72 से 2964.18 लाख रुपए की राशि खर्च की गई ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के परिणामस्वरूप रोजगार के कितने जन दिन बनाए जा सके ; और

(ग) क्या यह योजना सरकार द्वारा अपेक्षित स्तर की सिद्ध हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) : सरकार यह मानती है कि पूर्ण रूप से विचार करने पर ग्राम रोजगार की त्वरित योजना अपेक्षित स्तर की सिद्ध हुई है ।

इस योजना में 50 करोड़ रुपए के व्यय से 10 महिने की पूरी कार्य-अवधि में 875 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, वर्ष 1971–72 में काम केवल अक्तूबर में ही आरम्भ किया जा सका था, क्योंकि वर्ष का पूर्व भाग

कार्यान्वित के लिये परियोजनाएं तैयार करने और अपेक्षित प्रशासनिक तथा अन्य प्रबन्ध करने में लग गया था। उसके बाद बरसात आरम्भ हो गई। इस प्रकार केवल छः महीने की कार्य-अवधि ही वास्तव में उपलब्ध थी। अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस अवधि में 32.37 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और इससे 808.22 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि रोजगार संबंधी सूचना श्रमदिनों के रूप में एकत्र की जाती है, न कि काम में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या के रूप में, क्योंकि काम की अवधि हर व्यक्ति और हर परियोजना के लिए भिन्न-भिन्न होती है। मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष 3.2 लाख से अधिक व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए काम में लगाया गया है। यह उन 348 जिलों, जिनके लिए प्रस्ताव मंजूर किए गए थे, के बारे में प्रति जिला औसतन 957 व्यक्ति बनते हैं। तथापि, वास्तव में स्थिति हर राज्य तथा हर जिले में भिन्न-भिन्न है। आशा है कि प्रशासनिक प्रबंधों के पूरे होने से 1972–73 के लिए दी गई 50 करोड़ रुपए की राशि का पूरा-पूरा उपयोग किया जाएगा।

प्रोफसर ब्लू को राजस्थान में अनुसंधान कार्य करने की अनुमति देना

3593. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक अमरीकी विद्वान, प्रोफसर एन० ब्लू को राजस्थान में कृषि परियोजनाओं पर अनुसंधान कार्य करने की अनुमति नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : प्रो० एन० ब्लू और प्रो० फोहरिव, जिन्होंने एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उनको राजस्थान नहर के क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं पर अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, आंशिक रूप से क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण और अंशतः क्यों कि जिन दो भारतीय विद्वानों (प्रो० इकबाल नारायण और डा० के० एन० शर्मा) ने परियोजना में सहयोग देना था, उन्होंने अपने नाम प्रस्ताव से वापिस ले लिये।

करल में हिलमैन (आदिवासी) की स्थिति में सुधार करना

3594. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने, उच्च न्यायालय द्वारा केरल हिलमेन नियम, 1964 को रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप केरल में हिलमेन (आदिवासी) की स्थिति में सुधार करने हेतु कानून बनाने के लिये विधि मंत्रालय से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केरल के अतिरिक्त बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिल नाडु, महाराष्ट्र, मैसूर तथा पश्चिम बंगाल में भी वन ग्राम पर्याप्त संख्या में हैं, अतः इस विधेयक में इन राज्यों की भी रुचि हो सकती है। इससे पूर्व कि सरकार इस विधयक को संसद में प्रस्तुत करने का निश्चय करे, इस सम्बन्ध में उपरोक्त राज्यों के विचारों को भी प्राप्त किया जायगा।

आयुर्वेदिक ओषधियों का वैज्ञानिक ढंग पर संवर्धन एवं प्रचार

3595. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में आयुर्वेदिक औषधियों के वैज्ञानिक ढंग पर संवर्धन एवं प्रचार के मामले में सफलता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डो० पी० चट्टोपाध्याय) : भारतीय चिकित्सा पद्धतियों होम्योपैथी और योग के मूलभूत तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान शुरू करने, उसकी सहायता करने, उसे विकसित करने और उनमें ताल-मेल बिठाने के अभिप्राय से भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपथी अनुसंधान की एक स्वायत्त केन्द्रीय परिषद् की स्थापना की है। परिषद् ने विविध प्रकार के एककों जैसे केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों, क्लिनिकल अनुसंधानात्मक एककों, तथा तथ्यों का पता लगाने वाले चलते फिरते क्लिनिकल अनुसंधान वाले एककों, औषध अनुसंधान एककों, और चिकित्सकीय पादकों के सर्वेक्षण संबंधी एककों की स्थापना की है। विभिन्न बिमारियों के इलाज के लिये उत्तम, सस्ती और अधिक प्रभावशाली दवाइयां तैयार करने के विचार से इन एककों ने अनुसंधान कार्य करने आरम्भ कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की केन्द्रीय परिषद् जिसका गठन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन किया गया है, शिक्षा का एक जैसा मानक तैयार करेगी और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अर्हताप्राप्त चिकित्सकों का एक अखिल भारतीय रजिस्टर बनायेगी। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में स्नात्तकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान विभागों का दर्जा बढ़ाने के लिये और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के स्नात्तकपूर्व कालेजों में भवन-निर्माण, छात्रवास, प्रयोगशाला, औषधशाला, जड़ी बूटी उद्यान और अनिवार्य उपकरणों जैसी सुविधायें उप- लब्ध कराने के लिये, आवश्यक कदम भी उठाये गये हैं ताकि इन कालेजों को अपेक्षित स्तर पर लाया जा सके।

Financial Assistance to Madhya Pradesh for Reclamation of Chambal Ravines

3596. Dr. Sankata Prasad : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh Government have asked the Central Government for providing financial assistance for the reclamation of Chambal ravines; and

(b) if so, the amount thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) and (b): The Government of Madhya Pradesh have forwarded a scheme for reclamation of 3000 acres of ravine land annually at a total cost of Rs. 199.20 lakhs in the first year and Rs. 55.56 lakhs during the subsequent years, to be processed for World Bank assistance.

The State Government has been advised to revise the scheme in accordance with the latest ideas and methodology with regard to ravine reclamation.

Financial Assistance to Bihar for development of Barauni and Begusarai area

3597. Shri K. M. Madhukar : Willthe Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether State Government of Bihar have asked for financial assistance from the Central Government for the implementation of the Master Plan for the development of Barauni and Begusarai areas; and

(b) if so, the amount asked for and the amount likely to be provided by the Central Government?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) No.

(b) Does not arise.

मरहम ट्यूबों में औषधियों की मात्रा

3598. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि साराभाई केमिकल्स की मरहम ट्यूबों में "कनीलाग" तथा 'माइकोस्टेटिन' औषधियों की उतनी मात्रा नहीं भरी जाती है जितनी ट्यूबों पर लिखी होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त औषधियों की ट्यूबों के नमूने बाजार से लेकर उनकी जांच करने तथा निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) साराभाई केमिकल्स, बड़ोदा द्वारा निर्मित 'कनालौग-एस' और 'माइकोस्टेटिन' दोनों प्रकार की मरहम ट्यूबों की यादच्छिक जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि जांची गई 'कनालौग-एस' की 11 ट्यूबों में मरहम की मात्रा उन ट्यूबों में दर्शायी गई मात्रा से अधिक थी और दो ट्यूबों में थोड़ा कम अर्थात् 98.83 और 99.79 प्रतिशत थी। यह यू० एस० फार्मेकोपिया में अनुमत प्रतिशत के अन्दर आ जाता है। मा को-स्टेटिन के मामले में जांची गई सभी 8 ट्यूबों में उन पर लिखी मात्रा से अधिक मरहम पायी गई।

(ख) वह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में नियुक्ति तथा परीक्षा निदेशक का पद

3599. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिके विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में भर्ती तथा परीक्षा निदेशक के पद के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित करने हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के मध्य इसका प्रचार किया था और क्या इस पद पर कार्य कर रहे वर्तमान व्यक्ति का नाम भारत सरकार में उप सचिव के पद हेतु पेनल में आ गया है ;

(ख) क्या इस पद को समाप्त करके इसके स्थान पर इस स्वायत्त परिषद् में सरकार की ओर से उप-सचिव का एक पद बनाने का प्रयास किया जा रहा है ;

(ग) क्या जिस पद के लिये उस व्यक्ति को नियुक्त करना स्वीकार किया गया, उस पर इस समय ऐसा व्यक्ति नियुक्त है जिसका नाम उप-सचिवों के पेनल में नहीं है ; और

(घ) क्या परिषद् में भर्ती तथा परीक्षा निदेशक का पद अनुसंधान क्षेत्र से सम्बन्धित पद है और इस पर सदैव ही कोई सरकारी अधिकारी नियुक्त रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में गजेन्द्रगडकर जांच समिति सम्बन्धी मामलों की देख भाल के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सरकारी कक्ष में 6 महीने की अवधि के लिये अपर सचिव का (जो भारत सरकार के उप-सचिव के समान है) एक पद स्वीकृत

किया गया था। मितव्ययता के उपाय के रूप में इस अवधि के लिये भर्ती तथा परीक्षा नियंत्रक निदेशक का पद आस्थागत रखा गया।

(ग) उन्होंने विस्तार निदेशालय में प्रशासन निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिसके लिये उनकी नियुक्ति स्वीकृत की गई थी। उनके कार्यभार ग्रहण करने से पहले, अपने कार्य के अतिरिक्त, इस पद का कार्य करने के लिये पूर्णत: अल्पावधि की व्यवस्था के रूप में एक अवर सचिव नियुक्त किया गया था। बाद का व्यक्ति उप सचिव के पेनल में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(घ) जी हां।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

3600. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1972 के 'हिन्दुस्थान टाइम्स' में 'पोलिटिकल प्रेशर ऑन यूनिव्हरसिटी एल्जिड' ("विश्वविद्यालय पर राजनैतिक दबाव का आरोप") शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) क्या राजनतिक दबाव तथा मंत्री महोदय के हस्तक्षेप ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को अनशासनहीन छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द करने के लिये विवश किया था, और यदि, हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग): छात्रों में अनुशासन रखने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के पास मामले की स्थिति को देखते हुए उचित कार्यवाही करने के अधिकार हैं। इस विशेष घटना में कुलपति ने विश्वविद्यालय के बड़े हित को ध्यान में रखते हुए तथा छात्रों से प्राप्त हुए 'कारण बताओ नोटिस' के उत्तरों पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया कि अच्छे आचरण के लिए तीनों छात्रों को प्रतिबन्धित किया जाए तथा छः अन्य छात्रों को चेतावनी दी जाए।

Expenditure on Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers Developed Agency

3601. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the project-wise allocations made after the commencement of the schemes for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers and Agricultural labourers?

The Minister of State in the Ministery of Agriculture (Prof. Sher Singh): A statement is laid on the table of the Sabha. [*Placed in Library See No. L.T.* 35,15/72]

हृदय रोग से पीड़ित युवक

3602. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री हृदय रोग से पीड़ित युवकों के बारे में 29 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2851 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विचार विमर्शों का मंगाया गया अग्रेतर प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० वी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रेस रिपोर्ट (1) कार्डियोलाजिकल सोसायटी आफ इण्डिया, बम्बई (2) ईण्डियन हार्ट जरनल और (3) कारोनरी क्लब आफ रोटरी वेस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "हार्ट क्विज़" कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप प्रकाशित हुई थी। हृदय रोग में यह वृद्धि देश में बदलती हुई समाजार्थिक स्थितियों के कारण हो सकती है, तथापि भारत में इसका प्रकोप पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम है। श्रव्य-दृश्य साधनों अर्थात टेलीविजन कार्यक्रमों, भाषणों समाचारपत्रों, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से लोगों की हृदय-रोग की रोकथाम सम्बन्धी पहलओं की जानकारी देने के लिये कदम उठाए जा रहे है। देश के बडे अस्पतालों में हृदय-रोग क्लिनिक खोले जा रहे हैं।

कलकत्ता पत्तन में लाईसेंस लाने प्राप्त बंगाली कुली

3603. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स समय कलकत्ता पत्तन पर कार्य करने वाले लाइसेंस प्राप्त बंगाली कुलियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार कलकत्ता पत्तन पर कुलियों को ठेकेदारों के माध्यम से भरती करने के बजाये स्थानीय रोजगार दफ्तरों के माध्यम से भर्ती करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) : अब कोई भर्ती नहीं की जा रही है, क्योंकि कलकत्ता पत्तन के पास फालतू श्रमिक हैं जो यातायात की आवश्यकता को देख रहे हैं। जब कभी श्रमिकों की भर्ती की जायगी तो वह रोजगार कार्यालयों द्वारा ही की जायेगी।

Death Due to Starvation in Murshidabad

3604. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to states;

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in 'Vir Arjun' dated the 29th July, 1972 to the effect that a Congress legislator has stated in the West Bengal Legislative Assembly that three persons have died of starvation in Murshidabad;

(b) whether Government have investigated into this allegation through its own source; and

(c) if so, the factual position in this regard and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahed P. Shinde) : (a) Yes Sir.

(b) and (c) : The Government of West Bengal has reported that it has ascertained from the District Magistrate, Murshidabad, that no person has died of starvation in Murshidabad

मरुस्थल के नीचे पानी के भण्डार

3605. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विज्ञान अध्ययन के अनुसार मरुस्थल के नीचे पानी के विशाल भंडार हैं और इन साधनों से प्रतिदिन 320 लाख लिटर पानी निकालना संभव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस साधन से पानी निकालने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की सहायता से किये गए जल-विज्ञान संबंधी अध्ययनों के अनुसार राजस्थान में रेगिस्तान के नीचे पानी का कोई विस्तृत भंडार नहीं है। परंतु, पश्चिमी राजस्थान के लाठी बेसिन क्षेत्र से (जैसलमेर-बाड़मर क्षेत्र) प्रतिदिन 320 लाख लीटर पानी निकाला जा सकता है।

(ख) और (ग) : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) से सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत तैयार की गई रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है तथा राज्य सरकार इस क्षेत्र में उपलब्ध भूमिगत जल के उपभोग के लिए योजनाएं तैयार कर रही है।

मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिये रूस के साथ करार

3606. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मत्स्यपालन उद्योग के विकास के लिये भारत सरकार तथा रूस के बीच एक करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : समुद्रीय तथा अंतर्देशस्थ मात्स्यकी के क्षेत्र में सहयोग के लिये एक समझौते के संबंध में रूस सरकार के प्राधिकारियों से बातचीत चल रही है।

Levy of Special Cess to Meet the Provision for Training of Handicapped

3607. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a suggestion to levy special cess to meet the provision for training of handicapped was given on the occasion of inauguration of the Handicapped Training Centre at Bangalore;

(b) whether a suggestion to enact a legislation in this regard was also made; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D. P. Yadav): (a) and (b): Yes, Sir.

(c) The suggestion has considerable implications in terms of finances, administrative machinery, trained personnel and equipment needed for providing training facilities for the handicapped. The Government does not, therefore, find it possible at the present stage to implement this suggestion.

भूजल सर्वेक्षण के आधार पर पांच वर्ष की योजना

3608. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू सर्वेक्षण, केन्द्रीय नलकूप संगठन तथा राज्य सरकार के उठाऊ सिंचाई विभाग द्वारा संयुक्त आधार पर किये गये भूजल सर्वेक्षण के आधार पर एक पांच वर्ष की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उसमें कितनी लागत आयेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नही होते।

Rice Exported during 1971-72 and 1972-73

3609. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of rice exported to foreign countries during the financial years 1971-72 and 1972-73 so far; and

(b) the amount of foreign exchange earned by Government thereby during the ssaid period?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b) :

	Quantity (In Metric Tons)	Value (Rs.)
1971—72	9864	169.58 lakhs
1972—73 (Upto 17-8-72)	4624	79.44 lakhs

केला विकास निगम की स्थापना

3610. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात किये जाने वाली किस्म के केले मैसूर राज्य में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये स्वीकृत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उगाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देशीय तथा विदेश व्यापार के लिये उत्पादन कार्यक्रम तथा विपणन में संपर्क स्थापित करने हेतु केला विकास निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इस उददेश्य के लिये केला विकास निगम स्थापित करने का विचार है।

(ग) यह निगम, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में जिन क्षेत्रों में केला की खेती के लिय पैकेज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है उन क्षेत्रों से केलों का आंतरिक विपणन तथा निर्यात प्रारंभ करेगा। प्रस्तावित निगम के प्रमुख कार्य निम्न पर प्रकार हैं :—

(1) पैकेज क्षेत्रों से केलों (निर्यात सहित) के विपणन की व्यवस्था करना।

(2) दीर्घ अवधि के आधार पर केलों की सप्लाई के लिये उत्पादकों या उत्पादक सहकारी समितियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना।

(3) वैज्ञानिक खेती, परिवहन तथा फलों के संचलन के मामलों में उत्पादकों को तकनीकी मार्गदर्शन देना।

(4) पैकिंग भंडारों की स्थापना तथा आवश्यक आवस्थापना (सप्लाई सडक, परिवहन, रज्जु मार्ग आदि) की व्यवस्था।

(5) उत्पादक/उत्पादक संस्थाओं को आवश्यक आदान, वित्तीय सहायता तथा ऋण की व्यवस्था।

(6) पैकेजिंग के लिये अच्छी प्रकार के बक्सों के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करना।

(7) सुपुर्दगी अनुसूची तथा समुद्रीय भाडा दरों में पूर्ण मितव्ययता के लिये दीर्घ अवधि के आधार पर केलों की नावों को तैयार करना।

(8) चुनींदा विदेशी खरीददारों के साथ प्रतिबद्ध विक्रय करार करना।

(9) प्रभावी वर्धन तथा प्रचार के लिये कदम उठाना।

प्रस्तावित निगम की शेयर पूंजी 50 लाख रुपये होगी; जिसमें केन्द्रीय सरकार का योगदान 40 लाख रुपये तथा भागीदार राज्यों का योगदान 10 लाख रुपये होगा। आशा है कि नया निगम शीघ्र ही कार्य करना प्रारंभ कर देगा।

[गत दो वर्षों में आयात किए गए ट्रैक्टर]

3611. श्री सतपाल कपूर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में 30 जून, 1972 तक वर्षवार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कुल कितने ट्रैक्टर आयात किये गये; और

(ख) इस अवधि में विदेशों से ट्रैक्टर उपहार योजना के अन्तर्गत लोगों को कुल कितने ट्रैक्टर प्राप्त हुये ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान 30 जून, 1972 तक परियोजना और उपकरण निगम (राज्य व्यापार निगम) के माध्यम से नौवाहित/आयातित ट्रैक्टरों की वर्षवार संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	नौवाहित/आयातित ट्रैक्टरों की संख्या
1970	12,954
1971 . . .	16,891
1972 (जून तक) . .	4,548

(ख) उपहार योजना के अन्तर्गत जनता द्वारा विदेशों से प्राप्त ट्रैक्टरों की संख्या के बारे मे जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, योजना के आरंभ होने से, आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने 2031 ट्रैक्टरों के लिये सीमा-शुल्क निकासी परमिट जारी कर दिये है।

सहकारी उठाऊ-सिंचाई योजनाओं का परिचालन

3612. श्री बी० वी० नायक : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सहकारी उठाऊ–सिंचाई योजनाओं का परिचालन संतोषप्रद रहा है, और यदि हां, तो अब तक इन योजनाओं से कुल कितनी भूमि में सिंचाई की गई है ;

(ख) क्या उठाऊ–सिंचाई सहकारी समितियों को जो ऋण दिए गए है वे पर्याप्त है ;

(ग) क्या ऋणों का उपयोग तथा भुगतान संतोषप्रद है; और

(घ) यदि हां, तो दोषियों की प्रतिशतता क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में पिछड़ी जातियों को सम्मिलित करना

3613. श्री बी० वी० नायक : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या सरकार का विचार संविधान में आवश्यक संशोधन करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में पिछडी जातियों को सम्मिलित करने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : पिछडे वर्गों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल किया जाना उनके द्वारा निम्नलिखित कुछ कसौटियों को पूरा करने पर निर्भर करता है :

अनुसूचित जातियां : अस्पृश्यता के परंपरागत आचरण से उत्पन्न अत्यंत सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछडापन।

अनुसूचित आदिम जातियां : आदिवासी विशेषताओं, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक प्रथकता शेष समुदाय के साथ संपर्क में संकोच तथा पिछडापन।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियां की सूची के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

"अन्य पिछडे वर्गों" के संबंध में आर्थिक जांच को लागू करना बेहतर होगा ऐसे वर्गों को उल्लिखित करने के लिए उपयुक्त कसौटियों का निश्चय अलबत्ता राज्य सरकारों को करना है।

लद्दाख के किसानों के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था

3614. श्री कुशोक बाकुला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि लद्दाख कृषि उत्पादन में बहु पीछे है; और

(ख) क्या सरकार का विचार लद्दाख के किसानों को न्यायोचित किराये पर ट्रैक्टर प्रदान करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) इस समय लद्दाख में ट्रैक्टर चलाने अथवा उस क्षेत्र में किराए के आधार पर ट्रैक्टर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लद्दाख के गांवों में जलाशयों का निर्माण

3615. श्री कुशोक बाकुला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार लद्दाख में गांवों के निकट जलाशयों के निर्माण में सहायता करने का है और क्या इस उद्देश्य के लिये आवश्यक सर्वेक्षण कराये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : जानकारी एकत्रित की जा रही हैं और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

लद्दाख के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई

3616. श्री कुशोक बाकुला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लद्दाख के गांवों के पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने का है क्योंकि यह मानव की मूलभूत आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन त ा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : जलपूर्ति कार्यक्रमों को राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी महसूस की जाती है उन के लिए जलपूर्ति योजनाएं तैयार कर उन्हे अपेक्षिप प्राथमिकता देना तथा राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध स्त्रोतों में से उन्हे क्रियान्वित करना राज्य सरकार का काम है। वैसे इस प्रश्न के विषय में वास्तविक सूचना जम्मू व कश्मीर राज्य से एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली में एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका की मृत्यु

3617. श्री लम्बोदर बलियार : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका की असमय मृत्यु के कारण शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की लापरवाही तथा उसकी ज्यादतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) श्रीमती गुणवती की मृत्यु ग्रीष्म अवकाश में हुई, जब कि स्कूल बंद थे। उनकी मृत्यु की परिस्थितियों से दिल्ली शिक्षा निदेशालय अवगत नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग को लकड़ी सप्लाई करने के बारे में अध्ययन दल का अन्दमान का दौरा

3618. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन उप-महानिरीक्षक श्री हैजमाडी के नेतृत्व में एक अध्ययन दल वन विभाग के कार्यकरण का ब्यौरेवार अध्ययन करने और उद्योग को सप्लाई की गई लकडी के मूल्य के आधार पर अध्ययन करन के लिये अन्दमान द्वीपसूमह गया था;

(ख) क्या अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) अध्ययन दल ने मुख्य रूप से अन्दमान वन विभाग द्वारा अपनाई जा रही गणना प्रक्रिया का अध्ययन किया है और इस दिशा में सही रीति अपनाने के विषय में उपाय सुझाए है। दल ने अन्य बातों के साथ साथ यह भी सिफारिश की है कि अन्दमान वन विभाग को 'सेवा विभाग' समझा जाना चाहिए। दल की सिफारिशों पर अन्य संबद्ध मन्त्रालयों के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा लागू होने पर मंत्रियों के बंगलों का उपयोग

3619. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्यों में मंत्रियों को रहने के लिये जो स्थान दिया गया है वह क्षेत्रफल में शहरी संपत्ति को अधिकतम सीमा जिसके बारे मे कानून बनाने का प्रस्ताव है, के अनुसार है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान बंगलों का उपयोग किस प्रकार करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन इमारतों को सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा ऐसे अन्य निर्धारित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलाट करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : इस का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि नगरीय संपत्ति के स्वामित्व की अधिकतम सीमा पर पाबंदी उस क्षेत्र के वास्तविक आकार के संदर्भ में

लागू करना प्रस्तावित नहीं, है, जो दखलाकार द्वारा रिहाइश और कार्यालय के उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया हो। तथापि, केन्द्रीय सरकार के सामान्य पल में निर्माण के वर्तमान कार्यक्रम में उच्चतम टाईप के निवास-स्थानों का निर्माण शामिल नहीं है।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के निर्धारण की आशंका से संपत्तियों का हस्तान्तरण

3620. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा के निर्धारण की आशंका से धनी व्यक्तियों ने अपनी संपत्ति को न्यासों अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बदलना आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि जिस प्रयोजनार्थ अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है वह निष्फल न हो?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इस मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल तथा उत्तर प्रदेश राज्यों ने शहरी क्षेत्रों आदि में शहरी संपत्ति/खाली भूमि का हस्तांतरण न करने के लिए कानून या तो पेश कर दिया है अथवा उसे पारित कर दिया हैं। केन्द्र ने अभी तक अपन विचार को अंतिम रूप नहीं दिया है। तथापि, अधिकतम सीमा के कानून के उद्देश्य को निष्फल करने की दृष्टि से किए जाने वाले शहरी संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय कानून में उपयुक्त उपबन्ध बनाये जाने का प्रस्ताव है।

Prices of Sugar Fixed in Different States

3621. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government fixed the price of a quintal of sugar at Rs. 128.59 in Gujarat, Rs. 125.50 in Bombay and Rs. 183.77 in Madhya Pradesh, if so, when;

(b) if so, the reasons for which higher price of sugar was fixed for Madhya Pradesh; and

(c) the quantity of sugar imported in Madhya Pradesh from outside during the year 1970-71?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh : (a) The ex-factory prices of levy sugar for 1971-72 season have been fixed under the Sugar (Price Determination) Order, 1972, dated the 15th June, 1972, for the three zones as under:

Zone	Rs. per quintal for D-30 grade (exclusive of excise duty)
Madhya Pradesh	183.77
Gujarat	124.59
Maharashtra	125.80

(b) The prices of levy sugar are fixed in accordance with the Cost Schedules recommended by the Tariff Commission. As the conversion charges provided in the Cost Schedules for Madhya Pradesh are much higher than those of Gujarat and Maharashtra, the price of levy sugar in the zone of Madhya Pradesh is higher.

(c) A quantity of 1.39 lakh tonnes of sugar (both levy and free sale) was imported into Madhya Pradesh from other States in the country during 1970-71 (October to September following).

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के होस्टल में चोरी

3622. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के होस्टल में गत छः महीनों के दौरान चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बार में सरकारने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं। यह कहना ठीक नहीं है कि गत : छः महीनों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(ख) लडकियों तथा लडकों के छात्रावासों में चोरी की कुछ क घटनाएं जरूर हुई है तथा स्थानीय पुलिस की सलाह से रात की ड्यूटी पर अतिरिक्त चौकीदार लगा दिय गय है और इमारत में घुसने के रास्ते बंद किये जा रहे है। तब से चोरी की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

Rural Employment in M. P.

3623. **Shri Shrikrishna Agarwal:**
Shri Martand Singh :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether rural employment projects on the pattern of study and action taken projects are proposed to be undertaken in the villages of Madhya Pradesh for providing employment during 1972-73;

(b) if so, the broad features of the schemes; and

(c) the names of the areas where these projects would be undertaken?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) : A scheme entitled "Pilot Intensive Rural Employment Project (PIREP)" is proposed to be launched in 15 selected blocks of the country in November, 1972. In Madhya Pradesh the Alirajpur T.D. Block in Jhabua district has been selected for this purpose. A statement explaining the Project is laid on the Table of the House. (*Placed in Library. See No. L. T.* 3616/72)

दिल्ली को सुन्दर बनाने पर व्यय

3624. **श्री विजयपाल सिंह :**
श्री लालजी भाई :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली को सुंदर बनाने पर व्यय के बारे में 17 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2918 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) सुन्दर बनाने के लिए शुल्क और ग्रामविकास प्रभारी के नाम पर (एक) प्रीतमपुरा, (दो) रोहतक रोड, और (तीन) शाहदरा क्षेत्र की सहकारी गृह-निर्माण समितियों से कितना धन एकत्र किया गया और इन क्षेत्रों को सुंदर बनाने पर पृथक् पथक कितना धन खर्च किया गया;

(ख) क्या दिल्ली में भूमि के बडे पैमाने पर अर्जन, पुनर्विकास और निपटान संबंधी योजना के अन्तर्गत सुंदर बनाने संबंधी शुल्क लगाने के दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) दिल्ली / नई दिल्ली की उन गृह-निर्माण सहकारी समितियों के नाम क्या है जिन्हे दिल्ली विकास प्राधिकारी ने भूमि अलाट कर दी थी परंतु जिनसे यह शुल्क नहीं लिया गया; और

(घ) इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) एकत्रित की गई राशि इस प्रकार थी :—

(लाख रुपयो में)

	सुन्दर बनाने के लिये प्रभार	**ग्राम के पुनर्विकास के प्रभार**
(i) प्रीतमपुरा क्षेत्र में	5.34	2.67
(ii) रोहतक रोड क्षेत्र में	14.70	7.35
(iii) शाहदरा क्षेत्र में	41.62	20.81
कुल	61.66	30.83

मई, 1972 तक सौंदर्य संबंधी योजनाओं पर 1,44,302 रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(ख) आदेश अप्रैल, 1969 में जारी किये गये थे। वे अनुलग्नक 'क' में दिये गये हैं **(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3517/72)**

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किसी सहकारी आवास निर्माण समिति को भूमि का आबंटन नहीं किया है। भूमि दिल्ली प्रशासन द्वारा आबंटित की गई है। उन समितियों पर सुंदरता शुल्क नहीं लगाया जा सका जिन के साथ अप्रील, 1969 से पूर्व इकरार नामा निष्पादित किया गया था, जब सुंदरता शुल्क लेने का निर्णय किया गया था। उन पांच समितियों की सुची अनुलग्नक 'ख' में दी गई है जिन्हे अप्रैल 1969 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त भूमि का आबंटन किया गया था और जिन पर सुन्दरता शुल्क लगाया गया था।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, मामले में कोई भेदभाव नहीं किया गया।

Central Grants for Ayurvedic Colleges in States

3625. Dr. Sankata Prasad : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given grants to the Ayurvedic Colleges of Maharashtra, if so, the amount thereof;

(b) whether Ayurvedic Colleges of other States have also been given any grants, if so, the names of those States and the amount of grants given to them; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) An amount of Rs. 1.50 lakhs has been allocated to the Government of Maharashtra during 1972-73 for the upgrading of a department for Post-graduate Training and Research in Kayachikitsa at the R. A. Poddar (Ayurvedic) Medical College, Bombay, under the Centrally sponsored scheme. The question with regard to the financial assistance to the under-graduate

colleges of Indian Systems of Medicine run by Voluntary Organisations in Maharashtra for providing facilities like construction of building of College, hostel, laboratories, pharmacy, herb-garden and essential equipment will be considered on receipt of the applications in the proper form and duly recommended by the Government of Maharashtra.

(b) and (c) : The position with regard to the amounts allocated to the various States during 1972-73, for the upgrading of departments for Post-graduate Training and Research in Indian Systems of Medicine, under the Centrally sponsored scheme is as indicated below :

(Rs. lakhs)

S.No.	State	Amount allocated during 1972-73
1	Andhra Pradesh (2) Deptts. (one Ayurveda and one Unani)	5.00
2	Kerala	3.00
3	Madhya Pradesh	1.50
4	Maharashtra	1.50
5	Mysore	2.00
6	Rajasthan	1.50
7	Uttar Pradesh	2.00
8	Punjab	1.50
New Schemes:		
9	Bihar	1.00
10	Jammu and Kashmir	1.00
11	Madhya Pradesh	1.50
12	Rajasthan	2.00 (Sanctioned an amount of Rs. 1,81,350).
13	Tamil Nadu (2 Deptts. in Siddha)	Rs. 3.00 lakhs (sanctioned an amount of Rs. 2,37,021).
14	West Bengal	0.50
15	Delhi	0.50
	TOTAL	28.00 lakhs

In addition to the above, grants-in-aid to the extent of Rs. 22,29,300/- (to be paid in three instalments) have been approved to the following under-graduate Colleges of Indian Systems of Medicine run by Voluntary Organisations, during the year 1971-72 for providing facilities like construction of building of college, hostel, laboratories, pharmacy, herb-garden and essential equipment for improving the standard of education:

Sl.No.	Name of College	Amount approved
1	Shri Narayan Ayurvedic College, Jodhpur (Rajasthan)	Rs. 4,00,000.00
2	Ayurvedic College, Udipi, Mysore	Rs. 4,58,000.00
3	Ayurvedic College, Hubli (Mysore)	Rs. 4,90,000.00
4	Ayurvedic College, Bijapur (Mysore)	Rs. 4,00,000.00
5	Ayurvedic College, Atarra (U.P.)	Rs. 4,81,300.00
	TOTAL	Rs. 22,29,300.00

Partial assistance to the extent of Rs. 4.75 lakhs has been released to the above colleges during 1971-72.

भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा संगणक प्रणाली का आरम्भ किया जाना

3626. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, ने आर्थिक विकास संबंधी समस्याओं के मामले में संगणकों के प्रयोग द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) संगणक प्रणाली के प्रयोग से आर्थिक समस्याओं को हल करने में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि कार्यरत संगणक प्रणाली राज्य तथा जिला स्तरों पर आयोजकों की प्रभावशाली ता को आंकने में तथा भावी विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारित करने में किस प्रकार से सहायता कर सकती है।

330 जिलों में प्रत्येक जिले के लिये लगभग 300 आकडा घटकों सहित एक आंकडें बैंक का प्रयोग किया जायेगा। किसी भी अध्ययन के लिये सुसंगत जिलों के उप समूह की तत्काल परिभाषाएं प्रदान करने के लिये निर्देशिकाएं तथा शब्दकोशों के एक पुस्तकालय को तैयार करने का प्रस्ताव है। इस सूचना में जिलों की विशिष्टताओं की विविधता के तथा प्रत्येक जिले के कार्यकलापों की अनेकरूपता तथा कार्यक्षमता के आंकडे भी शामिल होंगे। ये आंकडे ऐसे अनुपातों का परिकलन कर सकते है जो इस प्रकार के माप दंड के सेट प्रदान करेंगे जिन पर अन्य जिलों के अनुरुप प्रत्येक जिले का स्थान निर्धारित किया जायेगा। विकास के खर्च के प्रभाव को प्रस्तावित क्षेत्रीय लक्ष्यों के खर्चों का हिसाब लगान से और इस प्रणाली में सम्मिलित अर्थगणितीय तथा सांख्यिकी कार्यकलापों को प्रयोग करने से आंका जा सकता है। जब यह प्रणाली पूरी तौर से विकसित हो जायेगी, तो यह उन विशेषताओं पर प्रत्येक जिले की प्रगति को आंकने और मूल्यांकन करने के लिये काम आयेगी, जिनका थोडे समय में ही युक्तियुक्त रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। जिला योजना के मूल्यांकन के लिये प्रत्येक मानदंड पर जिलों की सुसंगत स्थिति का एक आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

प्रारंभिक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार की पद्धति को विकसित किया जाये। तथापि और ब्यौरो को तैयार करने के हेतु पर्याप्त रूप से आगे अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। जब कि मिश्रित सूचना सुधार तथा विकास आयोजना के विश्लेषण के लिये बडी वास्तविक समय संगणक प्रणालियों के लिये भारत में उपयोग की पर्याप्त रूप से संभावना हो सकती है, किंतु इस प्रकार की प्रणालियों की प्रायोज्यता का मूल्यांकन केवल उनके विकसित तथा उनकी जांच पडताल करने के पश्चात किया जा सकता है।

खाद्य तेलों का दुरुपयोग

3627. **श्री पी० के० दासचौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य तेलों का दुरुपयोग हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य तेलों के दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) खाद्य तेल दुरुपयोग के संबंध में सरकार द्वारा कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नही होता।

दिल्ली में उर्वरकों के वितरण संबंधी नीति

3628. चौधरी दलीप सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उर्वरकों के वितरण संबंधी नीति क्या है; और

(ख) कितने अधिकृत अभिकरणों को उर्वरकों के वितरण का कार्य सौंपा गया है और उनके पते क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) किसी राज्य या स्थानीय क्षेत्र में उर्वरक के आंतरिक वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन का है। फिर भी, दिल्ली प्रशासन ने सुचित किया है कि केन्द्रीय उर्वरक पूल से प्राप्त होने वाले समस्त उर्वरक का संचालन दिल्ली राज्य सहकारी विपणन एवं आपूर्ति संघ लिमिटेड, नांगलोई द्वारा किया जाता है जो ग्रामीण स्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से उसे वितरित करते हैं। जहां तक घरेलू उर्वरक का संबंध है, उसका वितरण विनिर्माता अपने एजेंटों के माध्यम से करते हैं जिन्हे उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 के अन्तर्गत व्यापारी के रूप में अपने को पंजीकृत कराना होता है।

(ख) दिल्ली प्रशासन की, दिल्ली राज्य सहकारी विपणन और आपूर्ति संघ लिमिटेड, नांगलोई, नामक केवल एक प्राधिकृत एजेंसी है जो 33 ग्राम सहकारी समितियों, (जिनके नाम और पते अनुबंध 'क' में विहित हैं) **(ग्रंथालय म रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3518/72)** के माध्यम से उर्वरक वितरित करती हैं।

Allocations to Madhya Pradesh for Welfare of Harijans

3629. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total amount earmarked by the Central Government for the welfare of Harijans of Madhya Pradesh during the last three years and the amount spent by Madhya Pradesh on the Harijan welfare works ; and

(b) the schemes for which that amount was spent?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D. P. Yadav) : (a) A sum of Rs. 257.14 lakhs was allocated under the Plan by Government of India for the welfare of Harijans of Madhya Pradesh for the last three years i. e., 1969-70 to 1971-72. A sum of Rs. 243.07 lakhs was spent by the Government of Madhya Pradesh during these three years.

(b) The schemes are shown in Statement laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See No. LT.* 3519/72].

उड़ीसा के कोणार्क मन्दिर में अप्लावी प्रकाश की व्यवस्था का प्रस्ताव

3630. श्री अर्जुन सेठी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोणार्क मंदिर (उडीसा) में अप्लावी प्रकाश (फ्लड लाइट) की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने कोई प्रस्ताव तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो स बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव)

(क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर मंगवा कर किसी ठेकेदार को कार्य देने के लिए कदम उठाए गए है ।

गजरात में उत्पादित उर्वरक का अन्य स्थान को भेजा जाना

3631. श्री बेकारिया :
श्री डी० पी० जडेजा :

क्या कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य उर्वरक कंपनियों में उत्पादित उर्वरकों को अन्य राज्यों में भेजने का निर्णय किया है;

(ख) गुजरात राज्य में उर्वरक का कुल उत्पादन कितना है; और

(ग) अन्य राज्यों को उसका कितने प्रतिशत उर्वरक भेजा जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अन्य उत्पादकों की भांति गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी से भी आशा की जाति जाती है कि वह अपने आर्थिक विपणन क्षेत्र में अपने उर्वरकों का वितरण विभिन्न राज्यों में करेगी और इस कंपनी ने पहले भी गुजरात के साथ साथ अनकों ऐसे राज्यों को उर्वरकों का वितरण किया है। विभिन्न राज्यों की मांग के आधार पर भारत सरकार ने गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी से, खरीफ 1972 के दौरान गुजरात को 34000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 12300 मीटरी टन पोटाश, हरियाणा को 7900 मीटरी टन नाइट्रोजन, उत्तर प्रदेश को 2000 टन नाइट्रोजन, मध्य प्रदेश को 6000 मीटरी टन नाइट्रोजन, राजस्थान को 2600 मीटरी टन नाइट्रोजन, पंजाब को 5100 मीटरी टन नाइट्रोजन तथा महाराष्ट्र को 33000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 7700 मीटरी टन पोटाश सप्लाई करन का अनुरोध किया था ।

(ख) तथा (ग) : गुजरात स्थित गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी, आदर्श केमिकल्स एण्ड फर्टिलायइजर्स लि०, अलेंबिक केमिकल्स वर्क्स कंपनी लि० तथा अनिल स्टार्च प्रॉडक्टस् लि० का खरीफ 1972 के दौरान कुल उत्पादन लगभग 91000 मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 35000 मीटरी टन पोटाश होने की संभावना है। इसमें से लगभग 56000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 14000 मीटरी टन पोटाश अन्य राज्यों को तथा शेष गुजरात को भेजा जाएगा। प्रतिशतता के रूप में गुजरात में उत्पादित कुल नाइट्रोजन का 40 प्रतिशत तथा कुल पोटाश का 60 प्रतिशत गुजरात में तथा शेष अन्य राज्यों में खपत होगा।

जामनगर, गुजरात में सलाया पत्तन का विकास

3632. **श्री बेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जामनगर, गुजरात में सलाया पत्तन का विकास करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) : बडे बडे पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। परंतु, भारत सरकार प्रत्येक समुद्री राज्य में एक चुने गए पत्तन के विकास के लिये, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को ऋण दती है। इस प्रयोजनार्थ, गुजरात में पोरबंदर का चुनाव किया गया है। जहां तक सलाया के विकास का ताल्लुक है, कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मूंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये गुजरात राज्य द्वारा अनुरोध

3633. **श्री बेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने मूंगफली के तेल के मूल्यों में वृद्धि को रोकन के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। गुजरात सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए है।

(ख) इन प्रस्तावों में ऋण नियंत्रण को और कडा करने, खाद्य तेलों तथा वसा के आयात द्वारा आपूर्ति को बढाने, एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यात को सुचारू रूप देने, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन विक्रय तथा वितरण नियंत्रण आदेश की घोषणा करने तथा अखिल भारतीय स्तर पर खाद्य तेल निगम की स्थापना की व्यवस्था सम्मिलित है।

(ग) गुजरात में मूंगफली तथा वनस्पति के भंडार के आधार पर ऋण देने पर लगाई गई पाबन्दियां रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा और कडी कर दी गई है। वसा का आयात करने के अतिरिक्त 90,000 से एक लाख मीटरी टन तक तोरिया बीजों के आयात की व्यवस्था की जा रही है। अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली परिवहन की आय तथा व्यय

3634. **श्री बेकारिया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जान से पूर्व तथा बाद की उसकी आय तथा व्यय का अनुपात क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : 3-11-1971 से दिल्ली परिवहन निगम के बन जाने के बाद, आय की तुलना में व्यय की मासिक अनुपात (मूल्य ह्रास और ऋण प्रभार को छोडकर) लगभग 117% है जबकि पहले लगभग 130% था। यह अनुपात चालू वित्तीय वर्ष में और घटकर लगभग 113% हो गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं का पुनर्विलोकन

3635. **श्री वी० मयावन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं का उनके वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन करने के लिये समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुनर्विलोकनों के क्या परिणाम निकले ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) आधुनिक चावल मिलों जोकि अब कुछ समय से कार्य कर रही हैं के बारे में की गई समीक्षा से पता चलता है कि अब तक ये मिलें विभिन्न कार्यचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण अपनी पूरी क्षमता पर कार्य नहीं कर सकीं है। इन मिलों के कार्य-चालन के लाभालाभ का वास्तविक मूल्यांकन करना तभी सम्भव हो पाएगा जबकि ये मिलें अपनी पूरी क्षमतानुसार कार्य करना शुरू कर देंगी। जहां तक अन्य परियोजनाओं का संबंध है, संयंत्रों को या तो हाल ही में स्थापित किया गया है या उन्हें अभी स्थापित करना है। उनके कार्य की समीक्षा समय समय पर बाद में की जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा तमिलनाडु में धान सुखाने के लिए यंत्रीकृत केन्द्रों की स्थापना

3636. **श्री वी० मयावन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने तमिलनाडु के तन्जारन जिले से धान सुखाने के कितने यंत्रीकृत केन्द्र स्थापित किये है और उनमें से कितने केंद्र निष्क्रिय पडे है तथा इसके क्या कारण है; और

(ख) इन चावल सुखाने वाले केन्द्रों से प्रति वर्ष कितनी मात्रा में धान सुखाये जाते हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम ने तमिल नाडु के थंजावर जिले में खेत की धान सुखाने के लिए तीस यंत्रीकृत केन्द्र स्थापित किए है क्योंकि इस क्षत्र में धान की कटाई सामान्यतया वर्षा मौसम में होती है जिसमें नमीतत्व बहुत अधिक होता है। धान सुखाने की मशीनों का वास्तविक प्रयोग कटाई के समय वर्षा होन पर निभर करता है। 1969-70 और 1970-71 के दौरान क्रमश: 22,616 मीटरी टन और 24,200 मीटरी टन धान शुष्क की गयी थी। 1971-72 के दौरान कोई धान शुष्क नहीं की गयी थी।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़ा उर्वरक का भंडार और उसका अनियमित वितरण

3637. **श्री वी० मयावन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में बडी मात्रा में उर्वरक का भंडार है जिसे कई वर्षों से जारी नहीं किया गया है;

(ख) क्या 'पहले आये स्टाक को पहले जारी करना,' के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया जिसके फलस्वरुप उसके मूल्य बहुत गिर गये है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। इस विषय में यह कहना उपयुक्त होगा कि भारतीय खाद्य निगम प्रत्यक वर्ष काफी बडी मात्रा में उर्वरकों को संभालती है और देश में उनका वितरण करती है, अत: मार्ग आदि में काफी माल का रहना अपरिहार्य है;

(ख) मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम सहित समस्त संभरण एककों को स्थायी रूप से यह आदेश जारी किए हुए है कि उर्वरकों का संभारण करते समय यथा संभव "जो पहले आए पहले जाए" सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कुछ मामलों को जहां दोबारा संभालने को रोकने की आवश्यकता तथा अन्य प्रचालन संबंधी कठिनाइयां मौजूद है, छोड़कर यथा संभव इसका पालन किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

कोका-कोला निर्यात निगम के बारे में शिकायतें

3638. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोका-कोला निर्यात निगम के बारे में, जो अपनी पेय जल बनाने वाली फ़ैक्टरी के उत्पादों की बोतलों पर "फैंटा ऑरेंज" लेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : कुछ समय पहले इस संबंध में सरकार को शिकायतें मिली थी। कोका-कोला निर्यात निगम को, जो भारत के तमाम बोतल भरने वालों को "फैन्टा कन्टन्ट्रेट" सप्लाई करता है, यह सलाह दी गई थी कि वह अपने सभी बोतल भरने वालों को बता दें कि वे स्वीकृत नमने के अनुसार लेबल बदल दें। उन्होंन इस बात की पुष्टि की है कि उक्त सुझाव बोतल भरने वालों को भेज दिया गया है और वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

ट्रैक्टरों की मांग

3639. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि आगामी पांच वर्षों में ट्रैक्टरों की कितनी मांग होगी; और

(ख) सरकार देश में ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने तथा ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की संतोषजनक सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की शष अवधि तथा पंचम पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ट्रैक्टरों की मांग के निर्धारण के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर विस्तृत अध्ययन का कार्य नेशनल कान्सिल आफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च को पहले ही सौंप दिया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही हैं ।

(ख) सरकार ने 20,000 ट्रैक्टरों की अयात करने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीयों द्वारा विदेश में रहने वाले अपने संबंधियों से उपहार के रूप में ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दी गई है। ट्रैक्टरों का देशी उत्पादन बढाने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं। ट्रैक्टरों के सुगम संचलन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ट्रैक्टरों के साथ 10–15 प्रतिशत तक अतिरिक्त पुर्जे आयात करने की अनुमति दी गई है। पहले अयात किये गय पुराने माडल के ट्रैक्टरों के लिये अतिरिक्त पुर्जे आयात करने की उदारता पूर्वक अनुमति दी गई है। वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को सीमित सीमा तक अतिरिक्त पूर्जों के आयात की भी अनुमति दी गई ।

भाण्डागार निगम, मैसूर की भण्डार क्षमता

3640. **श्री पम्पन गौंडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भांडागार निगम की भंडार क्षमता मैसूर राज्य में संतोषजनक नही है और इसका पूरा उपयोग भी नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : मैसूर राज्य भांडागार निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता का उपयोग जो कि जून, 1972 के अंत में कुल क्षमता का 73.16 प्रतिशत था, संतोष जनक समझा जाता है। तथापि, निगम द्वारा भंडारण क्षमता के उपयोग और बढाने के लिए बराबर प्रयास किए जाते है और कस्टम के लिए व्यापक प्रचार, सहकारी समितियों और कृषकों को छूट देने तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भंडारण स्थान का प्रयोग करने के लिए अनुरोध करने जैसे उपाय किए गए है।

Milk Yield per Milch Cattle in India and other Countries

3641. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the average milkh yield per milcc cattle in India is much less, as compared to countries like U.S.A., U.K., Sweeden, Denmark; and

(b) if so, the percentage thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes .

(b) According to F.A.O. Production Year Book 1970 (Volume 24) the annual production of milk per cow in 1969 in India was only 450 kg. while in some of the countries advanced in dairy farming it was :

U. S. A.	4154 kg.
U. K.	3950 kg.
Sweeden	3952 kg.
Denmark	3902 kg.
Netherland	4170 kg.
Japan	4330 kg.
New Zealand	2794 kg.
Israel	5042 kg.

Thus the annual milk production per cow in India is only about 10 to 16% of the milk produced by the cows of above-mentioned countries.

Working and Research Scheme Undertaken by National Dairy Research Institute

†3642. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Since when the National Dairy Research Institute has been working in the country ;

(b) the annual expenditure being incurred thereon; and

(c) the main features of the research schemes undertaken by it and the number of schemes so far completed together with the benefits to the country therefrom?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) This Institute was established in Bangalore in 1923 and was then known as Imperial Institute of Animal Husbandry and Dairying. The headquarter of the Institute was shifted to Karnal in the year 1955 and it was named as National Dairy Research Institute.

(b) A statement showing the annual expenditure of this Institute for the period from 1955-56 to 1971-72 is attached.

(c) The National Dairy Research Institute has carried out research on various problems which are closely linked with dairy development in the country. The Institute also solves the problems of the dairy industry which are referred to them. One of the main features of the research projects is to make buffalo milk suitable for the production of condensed milk, milkpowder and cheese comparable in quality to such products prepared from cow milk. The research work on cross-breeding has led to the development of a new strain of dairy cattle combining the inheritance of Sahiwal and Brown Swiss, with the level of production of more than 3000 litres of milk per lactation.

With a view to keep the cost of milk production low, the institute has carried out research on different fodders like lucerne, berseem etc. which give high yields. The Institute has also developed relay cropping and multiple cropping which has enabled to carry more number of animals per acre of land. Basic study carried out on the biochemistry of semen has enabled deep-freezing of cow semen and development of suitable diluters for the semen. This has enabled to undertake artificial insemination programmes on a large scale. The Institute has carried out research on developing chemical and bacteriological standards for milk and milk products and suitable methods for detection of adulteration of milk, ghee and other dairy products. The development of technique for the production of butter colour has enabled the dairy industry to stop the import of this product from foreign countries. A technique developed for the production of animal and bacterial rennet will help in the production of these indigenously. Considerable emphasis has been laid on developing new variants of bacterial cultures to improve the flavour and acid development in fermented milks like dahi and youghurt, and special types of cultures for use in the production of milk products like butter, cheese etc. In the field of engineering, prototypes for continuous manufacture of khoa and ghee, milk chilling equipment for village use, equipments for can steriliser etc. have been developed. With a view to utilise milk surpluses, new

dairy products like tea complete, coffee complete, srikhand powder, dahi powder, ice-cream powder, cheese spread, edible casein and sodium caseinate have now been developed. This has also helped in the product diversification and the use of all available supplies of surplus and sub-standard milk.

221 schemes have been completed since 1955 and 143 research schemes are in progress at the National Dairy Research Institute and its Regional Stations during the year 1972.

The major benefits to the country derived through research at this Institute are :

(1) Development of high-yelding dairy cattle, averaging more than 3000 litres of milk per lactation.

(2) Production of package of practices to lower the cost of milk production.

(3) Development of techniques for the manufacture of Sweetened condensed milk, evaporated milk, cheese, edible casein, cheese spread, srikhand powder, ice-cream powder and instantised milk powder from buffalo milk.

(4) Development of some of the important dairy requisites, viz. butter colour, phosphatase reagent and Hansa serum (for detecting adulteration of cow milk with buffalo milk).

(5) Development of chemical and bacteriological standards for improving the quality of milk and milk products.

(6) Development of high yielding varities of fodder crops like berseem, Lucerne etc. and production of good quality silage.

(7) Development of techniques for the production of animal ennet and bacterial ennet.

(8) Training of large number of dairy personnel. Up-to-date, 517 graduates in different branches of dairying (Dairy Technology, Dairy Husbandry, Dairy Bacteriology, Dairy Chemistry, Dairy Extension, Dairy Economics and Dairy Engineering) have been trained.

National Dairy Research Institute

EXPENDITURE STATEMENT

1955-56 to 1971-72

Year	Expenditure (Rs. in lakhs)
1955—56	8.840
1956—57	14.328
1957—58	19.525
1958—59	20.039
1959—60	33.439
1960—61	32.030
1961—62	40.498
1962—63	47.900
1963—64	49.714
1964—65	62.606
1965—66	68.860
1966—67	65.168
1967—68	77.148
1968—69	86.309
1969—70	98.850
1970—71	112.507
1971—72	149.573
TOTAL	987.334

Shortage of spare parts of Imported Tractors

3643. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is an urgent need of spare parts of the various imported tractors in the country at present ;

(b) if so, the type of imported tractors for which spare parts are required; and

(c) whether Government have evolved any scheme to meet this requirement, and so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P, Shinde) : (a) to (c) : Spare parts are needed for smooth running of imported tractors. With a view to achieve this object, import of spare parts is allowed to the extent of 10-15% along with the tractors. Further imports are also allowed as and when necessary. Besides, import of spare parts is allowed liberally for old model tractors which were imported in the past. Import of spare parts to a limited extent is also allowed to the actual users.

The types of tractors which were imported/being imported against the import programme for 1969-70 and for which spare parts are required are Zetor-2011 (Ordinary and Rice Special), Zetor-5511, U-650/651, IMT-533/555, T-25, Dyelarus, DT-14B, Ursus-328/335, Ford-3000, International B-276, Massey Ferguson-135, David Brown-990, Deutz-4006 and Leyland-154.

Funds by Central Government to Rajasthan for Water Supply to Villages

3644. Shri M. C. Daga :
Dr. H. P. Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) Whether any funds were given by the Central Government to Rajasthan this year for water supply to villages, if so, the amount thereof and the names of the schemes together with the amount given for each of them;

(b) the names of the schemes submitted by Rajasthan State for water supply for Pali and Udaipur Districts and the amounts asked therefor separately, and the names of the schemes approved out of them by Government and the amount provided therefor; and

(c) number of villages in Rajasthan not provided with proper drinking water facility?

The Minister of State for Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) and (b) : Under the Central Scheme of Accelerated Rural Water Supply, a sum of Rs. 175 lakhs has been allocated to the State of Rajasthan for the current year. The State Government had sent schemes costing about Rs. 531 lakhs out of which schemes costing about Rs. 441 lakhs have been approved. It will be left to the State Government to select schemes of the value of Rs. 175 lakhs out of the total schemes approved for taking up during this year. Details such as the names and the amounts of the schemes sent by the State Government including those for Pali and Udaipur Districts are being compiled and the required information will be laid on the Table of the Sabha.

(c) A recent appraisal made by the Ministry of Health and Family Planning shows that initially there were 4277 villages in Rajasthan where drinking water is not available within a distance of one mile or a depth of 50 feet.

राज्यों में गेहूं के वसूली तथा विक्रय मूल्य

3645. श्री राम रतन शर्मा :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में किसानों से गेहूं आदि की वसूली किन किन दरों पर की गई;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने इसे उपभोक्ताओं तथा आटा मिलों आदि को किन दरों पर बेचा;

(ग) पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष में उक्त निगम ने वसूली आदि पर प्रति क्विंटल पृथक पृथक कुल कितनी राशि खर्च की; और

(घ) इस खर्च को कम करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना बताने वाला एक विवरण संलग्न है। (विवरण 1) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3520/72]**

(ख) भारतीय खाद्य निगम सीधे उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं बेचता है। निगम राज्य सरकारों और रोलर फ्लोर मिलों को अपने गोदामों पर गंतव्य स्थान रेल स्टेशन तक निष्प्रभार 78 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं देता है और राज्य सरकारें वितरण संबंधी खर्चा जोडने के बाद विक्री मूल्य निर्धारित करती हैं जिस पर गेहूं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से दिया जाता है।

(ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। (विवरण 2) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3520/72]**

सूखाग्रस्त राज्यों की अनाज सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना

3646. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखे की स्थिति पर काबू पाने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ परामर्श करके उनकी अनाज संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो अनाज की राज्यवार आवश्यकता कितनी है, कितना अनाज उपलब्ध है और कितना सैंट्रल पूल से सप्लाई किया जायेगा और अपेक्षित अनाज भेजने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) देश में, राज्यवार, सूखे से कितनी हानि होने का अनुमान है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) : जी हां।

(ख) भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ उनकी खाद्यान्नों की समय समय पर आवश्यकताओं के बारे में लगातार संपर्क बनाए रखती है और उनकी सभी उचित मांगों को पूरा कर दिया गया है।

(ग) सूखे के कारण उत्पादन में कमी के बारे में पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है क्यों कि स्थिति बदल रही है और आगामी महीने में मानसून के आगे के से स्थिति बदलती रहेगी। देशव्यापी स्तर पर एक आपातिक उत्पादन कार्यक्रम को यह सुनिश्चित करने के लिए हाथ में लिया जा रहा है ताकि सूखे से हुई हानि को ग्रीष्म और रबी की फसलों के अतिरिक्त उत्पादन से पूरा किया जा सके।

Survey of Villages in Madhya Pradesh for Water Supply

3647. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have undertaken any survey of villages in Madhya Pradesh where the villagers have either to go more than three miles for getting water or water is available at the depth of 50 feet or more and if so, the number of such villages; and

(b) the steps being taken by the Central Government for making hygienic drinking water available to the peop e?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) According to the latest assessment made by the Ministry of Health and Family Planning, there were 6400 villages in Madhya Pradesh at the beginning of the Fourth Five Year Plan where water was not available either within a distance of one mile or within a depth of 50 feet.

(b) Water supply is a State sector programme and an outlay of Rs. 800 lakhs has been rearmarked for rural water supply for Madhya Pradesh during the Fourth Plan. It is expected that at the end of the Fourth Plan, about 5400 of the permanently disadvantaged villages will get covered under the State's programme. Apart from the normal assistance given by the Centre, an allocation of Rs. 150 lakhs has been made for Madhya Pradesh during the current year to accelerate the pace of providing drinking water to the disadvantaged villages. It is expected that with this amount, another 600 villages will get covered.

To speed up the State's programme of rural water supply, Central Government has also sanctioned two Special Investigation Divisions for carrying out preliminary surveys and two Special Planning and Design Units for preparing detailed plans and schemes with 100% grant-in-aid. Eight fast drilling rigs have also been given to the State to tackle the problem in hard rock areas and 12 more are proposed to be given during the remaining period of the Fourth Plan.

अलेपी मेडिकल कालेज करल में रुसी सहायता से 100 बिस्तरे वाले एक बाल चिकित्सा वार्ड की स्थापना पर खर्च

3648. **श्री अरविन्द नेताभ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि केरल स्थित अलेपी मेडिकल कालेज में रुस की सहायता से 100 बिस्तरों वाले एक बाल–चिकित्सा वार्ड की स्थापना पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : लागत का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस सरकार ने अलेपी मेडिकल कालेज, केरल में रुसी सहायता से 100 पलंगों वाले किसी भी बाल चिकित्सा वार्ड की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी है। वैसे, रुस से उपहार स्वरुप प्राप्त विभिन्न उपकरणों को बाल चिकित्सा विभाग में उपयोग में लाने की स्वीकृति दे दी गई है। उपहार होने के नाते इन उपकरणों की लागत का प्रश्न ही नहीं उठता।

Central aid for Nutrition and Health Building Programme for Pre-School Age Children

*3649. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the amount of financial aid to be provided to the various States by the Central Government for conducting nutrition and health building programme for pre-school age children;

(b) the names of various States, where the said programme is in progress at present and also the number of children covered thereby; and

(c) whether pregnant women and other weak persons would be covered under the said scheme?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) Provision for this purpose has been made by the Department of Family Planning and Department of Social Welfare as follows:

Department of Family Planning:

An amount of Rs. 81.28 lakhs has been provided during 1972-73 in Family Planning budget for the following Maternal and Child Health Schemes:

(i) Immunisation of Infants and Pre-School age children against Diptheria, Whooping Cough and Tetanus and immunisation of expectant mothers against Tetanus.

(ii) Prophylaxis against Nutritional anaemia among mothers and children.

(iii) Prophylaxis against blindness in children caused by Vitamin 'A' deficiency in Vitamin 'A' deficiency areas in the country.

Department of Social Welfare:

A provision of Rs. 20.00 crores has been made in the budget of Department of Social Welfare during 1972-73 for 'Special Nutritional Programme' for children and expectant and nursing mothers in Urban Slums, Tribal areas and drought prone areas. (b) Schemes Nos. (i) & (ii) in the Department of Family Planning are in operation in all the States and Union Territories and Scheme No. (iii) is being implemented at present in the States of Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, Tamil Nadu, Bihar, Orissa, West Bengal, Maharashtra, Gujarat, Haryana and L.M.A. Islands where prevalence of Vitamin 'A' deficiency is reported to be very high. The State-wise break-up of the number of children/mothers to be covered during the year is given in the Annexure I. [*Placed in Library. See No. L.T.* 3521/72]

The Scheme of the Department of Social Welfare is in operation in all the States and Union Territories excepting the State of Meghalaya and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram. A state-wise break-up of the target for 1972-73 may be seen at Annexure II. [*Placed in Library. See No. L.T.* 3571/72]

(c) (1) Pregnant and Nursing women and acceptors of Family Planning methods are being covered in addition to children in the schemes of the Department of Family Planning.

(2) In the scheme of the Department of Social Welfare, pregnant and nursing mothers are covered in addition to children of 0-6 years of age.

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम

3650. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री गर्भपात संबंधी कानून लागू करने के बारे में 3 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1788 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से, गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम लागू होने के बाद हुए गर्भपात के मामलों की जानकारी मिली है; और

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1972 तक राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार, तत्संबंधी आंकडें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सहकारों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त आंकडें संलग्न विवरण में दर्शाये गये है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3522/72]**

दिल्ली विश्वविद्यालय में डिग्री स्तर पर परीक्षा की नई प्रणाली

3651. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय को डिग्री स्तर पर परीक्षा की नई प्रणाली के बारे में उसके पूर्व निर्णय को बदलने के लिए बाध्य किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० ए स० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय द्वारा इस विषय में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में कृषि विकास की क्रियान्विति के लिए विश्व बैंक से ऋण

3652. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा राज्य के कृषि विकास कार्यक्रम को केन्द्र के सक्रिय समर्थन तथा विश्व बैंक की ऋण सहायता से लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि कार्यक्रम के लिये अन्य राज्यों को भी विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : स समय उडीसा में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कोई कृषि परियोजना क्रियान्वित न ी की जा रही है।

निम्नलिखित को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है :— **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3523/72]**

i. परियोजनायें जिनके लिये विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई हैं;

ii. विश्व बैंक को वित्तीय सहायता के लिए भेजी गई परियोजनायें जिन पर वह इस समय विचार कर रहा है; और

iii. विश्व बैंक को वित्तीय सहायता के लिए भेजने हेतु इस समय तैयार की जा रही परियोजनायें ।

समस्त राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विश्व बैंक को वित्तीय सहायता हेतु भेजने के लिए कृषि क्षेत्र से संबंधित और अधिक परियोजनायें बनायें । परियोजनायें बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को मार्गदर्शी निर्देश भी भेजे हैं ।

विदेशों को भेजे गए शिक्षा दल

3653. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और 1972 (जून तक) में भारत से कितने शिक्षा दल विदेशों में भेजे गये और ऐसे प्रत्येक दल के सदस्यों के नाम क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक दल ने किन-किन देशों का दौरा किया और उनमें से प्रत्येक दल के लिये कितने दिनों के दौरे का कार्यक्रम बनाया गया था;

(ग) प्रत्येक मामले में ऐसे दलों के सदस्यों के चयन का सिद्धांत क्या था; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये चुने गये व्यक्तिगत लोगों तथा शिक्षा संगठनों के सदस्यों के नाम क्या है जिन्हें विदेश भेजा गया था ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति का प्रतिवेदन

3654. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के मामलों की जांच करने के लिये बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों के नाम क्या है; और

(ख) उपरोक्त समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

(1) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय—अध्यक्ष ।

(2) बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री एल० चौधरी ।

(3) हरियाणा की उप-स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती शारदा रानी ।

(4) हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री एल० सी० प्रार्थी ।

(5) महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डा० रफीक जकारिया ।

(6) मैसूर के स्वास्थ्य मंत्री श्री एच० सिद्धवीरप्पा ।

(7) राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ।

(8) नागालेंड के चिकित्सा मंत्री श्री इहेजे सेमा ।

(9) तमिल नाडू के स्वास्थ्य मंत्री श्री के० अनबाझागन ।

(10) उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री धर्म दत्त वैद्य ।

(11) पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री श्री ए० के० पंजा ।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये सुझावों पर विचार करें और अपने-अपने राज्यों की स्थिति के अनुकुल योजना में संशोधन करने तथा संशोधित योजना ओं को 15 सितम्बर, 1972 तक भारत सरकार को भेज दें । इन संशोधित योजनाओं के प्राप्त होने और उनकी छान-बीन करने के बाद ही यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगी ।

दिल्ली के कुतब रोड चौराहे पर यातायात

3655. श्री निहार लास्कर : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मे सदर बाजार के कुतब रोड चौराहेपर प्राय: यातायात रुक जाता है;

(ख) क्या इस चौराहे पर दोनों ओर सडक, उन पर मोटर गाडियां और टांगे खडे किय जाने के कारण, जो यात्रियों के लिये चौराहे के आसपास चलते रहते है रुक जाती है;

(ग) क्या इस सडक पर परिवहन कंपनियों द्वारा अपने कार्यालय खोले जाने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है और सडक रुकी रहती है; और

(घ) यदि हां, तो इस महत्त्वपूर्ण व्यापार केन्द्र को यातायात के दैनिक खतरों और दुर्घटनाओं से रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी, नहीं। तथापि, कभी-कभी वर्तमान सडकों के अधिक यातायात को संभालने में समर्थ न होने के कारण भीड हो जाती है।

(ख) जी, नहीं । तथापि, बडी संख्या में धीरे चलने वाले यातायात की मौजूदगी से, यातायात की शीघ्र निकासी की सडक की वर्तमान क्षमता कम हो जाती है।

(ग) जी, हां। कुछ वाहन कंपनियों ने इस क्षेत्र में अपने कार्यालय खोल लिए हैं और कभी-कभार वे पटरी पर अपने सामान का ढेर लगा देते है, ऐसे मामलों में मुकदमें चलाने तथा सामान हटाने की कार्यवाही की जाती है।

(घ) मास्टर प्लान के उपबंधों के अनुसार कुतुब मार्ग को 100 फुट तक चौडा करना है। कुतुब मार्ग तथा सदर बाजार मार्ग के चौराहे का डिजाईन भी तैयार हो चुका है। इस बीच में अत्यधिक व्यस्त समय के दौरान यातायात के भारी वाहनों का चलना बन्द कर दिया गया है। मार्गों पर ठीक ढंग से वाहन खडा न करन तथा अनधिकृत अतिक्रमण के लिय नियमित रूप स मुकदमे चलाए जाते ह। इस महत्वपूर्ण सडक के चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा यातायात को हाथ के संकेतों द्वारा नियामत तथा नियंत्रित किया जाता है।

Implementation of Food Adulteration laws

3656. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the laws relating to food adulteration are not being implemented properly in almost all the States:

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the Central Government propose to set up a laboratory in each State with a view to ensuring proper implementation of the said laws; and

(d) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) : There have been complaints and representations regarding the implemenation of the Prevention of Food Adulteration Act in the States. The main reasons for deficiencies in this regard are inadequate inspection machinery and laboratory facilities.

(c) and (d) : Each State has already got at least one food laboratory. However, these need to be strengthened and increased. The question of giving Central assistance to States for this purpose is receiving the attention of the Government of India.

Grants to States for Dental Clinic Service

3657. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the grants given by Government to introduce Dental Clinic Service in the various States during the last two years, separately;

(b) whether the said grants have been utilized for the implementation of such service by the various States; and

(c) if so, the number of Dental Clinics set up so far in different States under the said programme?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) : Dental Care is a State Sector Scheme and block grants are given to States for all State Sector Schemes. Grants are not given schemewise.

(c) No separate figures of dental clinics established in different States under the programmes are available. However, in accordance with the survey conducted by the Dental Council of India the total number of dental clinics in the country is approximately 700.

Functioning of B. C. G. Team in the Country

3658. **Dr. Laxminarayan Pandey :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of B.C.G. teams functioning in the country at present;

(b) the number out of them connected with the T.B. Centres of the various states and the number of those working independently; and

(c) the work done by them during the last two years?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) 274 B.C.G. teams are functioning in the country at present.

(b) Out of 274 B.C.G. teams, 252 have been posted in the T. B. Centres of the variou States and the other 22 are functioning independently under the control of State B.C. G. Officers.

(c) During the last two years (from April, 1970 to March 1972) a total of 19.681 million persons were B.C.G. Vaccinated.

नाविकों (सीमैन) को बकाया धनराशि के भुगतान के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय

3659. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल, 1972 को भारत सरकार के विरुद्ध गिरिजानाथ भट्टाचार्य के सिविल रूल संख्या 6464 (डब्ल्यू) आफ़ 1968 पर अपना निर्णय दे दिया है जिसमें याचिकादाता को बहाल कर दिये जाने का आदेश है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विभाग ने अब तक उक्त निर्णय को क्रियान्वित कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या कलकत्ता के शिपिंग मास्टर ने संबंधित नाविक (सीमैन) की समूची बकाया देय-राशि का भुगतान कर दिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

(घ) समझौते के नियमों की समाप्ति के समय 74.85 रुपये की राशि को छोडकर संबंधित नाविक न सभी दातव्य राशि स्वीकार की। यह राशि जो शिपिंग मास्टर, कलकत्ता के पास जमा है, को अभी तक नाविक ने नहीं ली है।

नाविकों (सीमैन) का रजिस्ट्रेशन रद्द करना

3660. **श्रीमती विमा घोष गोस्वामी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, पत्तनवार, कितने नाविकों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया; और

(ख) इनमें से कितने नाविकों ने अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की है?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सूचना नीचे दी गई है :–

वर्ष	रद्द किये गये पंजीकरण की संख्या	
	बंबई	कलकत्ता
1969	875	285
1970	1393	300
1971	1045	441

(ख) केवल चार नाविकों ने अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की।

दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या

3661. **श्री शशि भूषण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में इस समय उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों की वर्तमान संख्या पर्याप्त है ;

(ग) क्या खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को देखते हुए दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या यह भी सुनिश्चय करने का विचार है कि उचित मूल्य की दुकानों पर केवल वही वस्तुएं बेची जायेंगी जिन्हें सरकार उचित मूल्य पर बिकवाना चाहती है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : इस समय दिल्ली म कुल 1736 उचित मूल्य की दुकानें चल रही है जोकि जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) जहां आवश्यक होता है वहां समय समय पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने मंजूरी दी जाती हैं।

(घ) जी नहीं।

चीनी का आयात

3662. **श्री शशि भूषण :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 1972 के समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर गया है कि भारत को चीनी का आयात करना पडेगा; और

(ख) इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चीनी का आयात करने का कोई विचार नहीं है ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की सेवा को रामकृष्ण पुरम् में स्वामी मलाई मन्दिर तक बढ़ाना

3663. **श्री शशि भूषण :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली जाने वाली बसें प्रायः सैक्टर-1 में ही रूक जाती है ;

(ख) क्या सैक्टर 7,8,9 तथा 12 के निवासियों को इस कारण बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) क्या सरकार इसका सुनिश्चय करेगी कि जो बसें सैक्टर-1 तक आकर रूक जाती है व कम से कम स्वामी मलाई मन्दिर तक तो अवश्य जायें ताकि सैक्टर 7,8,9 तथा 12 के निवासियों को भी सुविधा हो क्योंकि वर्तमान व्यवस्था सर्वथा अपर्याप्त है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : सैक्टर-1 पर समाप्त होने वाली सेवायें, वस्तुतः उन सेवाओं का विस्तार है जोकि सैक्टर 1 के निकट स्थित विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे लोगों की सुविधा के लिये मुख्य रूप से व्यस्ततम समय पर चलाई जाती है । स्वामी मलाई मन्दिर तक इन सेवाओं का विस्तार शक्य नहीं समझा गया ।

जहां तक सैक्टर 7, 8, 9 और 12 का सम्बन्ध है, सब मिलाकर जिन बसों की व्यवस्था की गई है वह पर्याप्त है । ये सैक्टर इस समय बारह मार्गों द्वारा सेवित है । तथापि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार सेवाओं को बढ़ा दिया जाएगा । दिल्ली परिवहन निगम के बड़े में वृद्धि हो जाने से भी ये सेवाएं बढ़ जाएंगी ।

दिल्ली म उचित दर की दुकानों पर चिनी का न मिलना

3664. **श्री शशि भूषण :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सप्ताहों से दिल्ली की उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को चीनी नहीं बेची जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने राशन कार्ड धारियों को उचित मूल्य की दुकानों से चीनी की निरन्तर सप्लाई उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं क्योंकि खुले बाजार में चीनी के दाम नियन्त्रित दामों से प्रायः दुगुने हैं और उचित मूल्यों की दुकानों में चीनी उपलब्ध न होने के कारण उपभोक्ताओं को बेहद कठिनाई होती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, लेकिन यह स्थिति केवल कुछ उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में थी।

(ख) कुछ चीनी कारखानों ने जिनकी चीनी दिल्ली को आवंटित की गई थी, सरकार को चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 लागू करने से रोकने के लिए न्यायालयों से अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिए थे लेकिन कारखानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य और वास्तव में जिस मूल्य पर चीनी बेची जाती है, के बीच के अन्तर के लिए बैंक गारंटी प्रदान की गयी है। इससे लेवी चीनी की वितरण प्रणाली के सुचारू कार्यचालन में विघ्न पड़ा।

(ग) दिल्ली प्रशासन को चीनी का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया है लेकिन इसका बाद में समायोजन कर दिया जाएगा।

पांचवी योजना में शिक्षा के विकास के लिये राशि

3665. श्री के० लकप्पा :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के विकास के लिये शिक्षा मंत्रालय ने योजना आयोग से कितनी राशि आवंटित करने की मांग की है; और

(ख) योजना आयोग ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख) : पांचवी योजना के प्रस्तावों की शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में अभी जांच की जा रही है। योजना आयोग से कोई मांग नहीं की गई है।

रूमानिया द्वारा जलपोतों की डिलीवरी

3666. श्री के० लकप्पा :
श्री पी० मंगादेव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया ने भारत को तीन जलपोत देना स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक भारत भेज दिया जायेगा ; और

(ग) उस पर कितनी लागत आयेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) अक्तूबर 1969 में रूमानिया शिपयार्डों को दस जहाजों के लिये क्रयादेश दिये गये हैं। इन जहाजों

का 1-12-1962 और 31-12-1975 के बीच सुपुर्द किये जाने का कार्यक्रम था। रूमानिया के पोत निर्माताओं ने इन जहाजों को संविदागत मूल्य पर देने की अपनी असमर्थता प्रकट की। परन्तु मित्रतापूर्ण समझौता हो गया है। यह दस जहाज अब 1-4-1973 और 15-1-1976 के बीच सुपुर्द किये जायेंगे।

उर्दू के विकास के लिए समिति का प्रतिवेदन

3667. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू के विकास के लिये गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गय हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

बाल-संसद् प्रतियोगिता

3668. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री के० मालन्ना :

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में कितनी बाल-संसद प्रतियोगितायें आयोजित की गई;

(ख) दिल्ली में तथा देश भर में आयोजित प्रतियोगिताओं की पृथक-पृथक संख्या कितनी है; और

(ग) इन प्रतियोगिताओं के आयोजन पर कितनी राशि खर्च हुई और इस संबंध में किस प्रकार की सहायता दी गई ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : वर्ष 1971-72 ने केवल एक (अर्थात् छटे) वार्षिक बाल-संसद् प्रतियोगिता का आयोजन किया गय था। देश के अन्य भागों में आयोजित को गयीं ऐसी प्रतियोगिताओं के बारे में इस विभाग के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। उन्हें केवल कार्यभारी अध्यापकों तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को संसदीय प्रक्रिया की शिक्षा में प्रशिक्षण और अभिनयों को विनिर्णीत करने में सहायता प्रदान की जाती है। यह विभाग केवल वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन करने पर आये व्यय को वहन करता है जिसमें वर्ष के दौरान अभिनय के आधार पर व्यक्तिगत विद्यार्थियों को पुरस्कार, विद्यालयों को ट्रोफियां तथा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय को शील्ड वितरण की जाती है। वर्ष 1971-72 के दौरान किया गया कुल व्यय लगभग रु० 4,500·00 है।

जर्मन जनवादी गणराज्य से आयात किए दोषपूर्ण ट्रैक्टरों को लौटाना तथा उनके बदले में किसानों को दी गई राहत

3669. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन जनवादी गणराज्य को अब तक कितने दोषपूर्ण ट्रैक्टर लौटाए गये हैं तथा प्रत्येक ट्रैक्टर के बदले खरीदारों को कितनी राशि लौटाई गई है।

(ख) क्या सरकार का विचार है कि उन किसानों को, जिन्होंने ऐसे ट्रैक्टरों को खरीद पर राशि खर्च की है जिन्हें राज्य व्यापार निगम को लौटा दिया गया है, धन राशि लौटा कर तुरन्त राहत प्रदान की जाए; और

(ग) यदि हाँ, तो राशि कब लौटाई जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) संबंधित कृषि उद्योग निगमों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) तथा (ग) : प्रथम संलेख (समझौते) के अन्तर्गत आने वाले कुछ आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के लिये कुछ राज्य कृषि उद्योग निगमों द्वारा आर० एस० 09ट्रैक्टरों के स्वामियों को उनके द्वारा वापिस किये गये ट्रैक्टरों के बदले म राशियां दी गई हैं। शेष आर०एस०-09 ट्रैक्टरों को वापसी के लिये पूर्वी जर्मनी के प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही है ।

कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग का प्रतिवेदन

3670. **श्री गिरिधर गोमांगो** :
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने सरकार को अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने आयोग से अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाये जाने से पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर सहमत हो गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। आयोग ने अभी तक निम्नलिखित विषयों पर दस रिपोर्टें प्रस्तुत की है :—

1. धान्यों की अधिक उत्पादनशील तथा संकर किस्मों के उच्च कोटीय बीजों का गुणन तथा वितरण ।
2. उर्वरक वितरण ।
3. कृषि अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण के कुछ पहलू ।
4. लघु तथा सीमान्त कृषकों एवं कृषि मजदूरों के लिये ऋण सेवाएं ।
5. लघु तथा सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन ।

6. कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि-मौसम विज्ञान-सम्बन्धी प्रभागों की स्थापना ।

7. वानिकी उत्पादन-मानव-रोपित वन ।

8. भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिये आवास भूमि ।

9. मृदा सर्वेक्षण तथा भारत-मृदा मानचित्र ।

10. आलू बीज ।

(ग) आशा है कि आयोग दिसम्बर, 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा और उक्त तारीख से पहले आयोग द्वारा कुछ अन्य विषयों पर अंतरिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत होने की संभावना है ।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली के ग्रामीण चिकित्सकों की सेवायें

3671. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के ग्रामीण चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये कोई योजना बनाई गई है;

(ख) इस योजना को संभवतः कब लागू किया जायेगा; और

(ग) इस योजना संबंधी मुख्य विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3524/72**]

पेय जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए राज्यों को अनुदान

3672. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब के पेय जल सप्लाई कार्यक्रम के लिये राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये का अनुदान देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों को भी इस प्रकार का अनुदान देने का वचन दिया गया है और राज्यों को ऐसे अनुदान देने की कसौटी क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने अनुदान के लिये अनुरोध किया है और सम्बधित राज्य को कितनी राशि देने का वचन दिया गया है; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिन्होंने अनुदान के लिये अनुरोध किया है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ) : चालू वर्ष से प्रारम्भ की गई त्वरित ग्राम जल पूर्ति की केन्द्रीय योजना के अधीन विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को असुविधाजनक क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था बढ़ाने के लिए इस वर्ष 20 करोड़ रुपये की लागत की योजनायें मंजूर की

गई है। प्रत्येक राज्य के स्थाई-असुविधा वाले गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लाने में निहित खर्च तथा हरेक राज्य को संगठनात्मक क्षमता, तत्परता आदि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों को यह धनराशि नियत कर दी गयी है। सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को संबोधित इस मंत्रालय के पत्र संख्या क्रू० 11011/3/72 ज० स्वा० ई० दिनांक 2 अगस्त, 1972 की एक प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें इस योजना तथा अलग-अलग राज्यों के लिए किये गये धन के नियतन का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3525/72]

उच्च शिक्षा और अनुसंधान कार्य करने के लिए भारतीय छात्रों को ब्रिटेन द्वारा छात्रवृत्तियां दिया जाना

3673. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अनुसंधान कार्य करने के लिये भारतीय छात्रों को किस-किस प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जिनके लिये ब्रिटिश सरकार धन देती है;

(ख) इस प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिये छात्रों का चयन किस प्रकार किया जाता है; और

(ग) क्या कुछ ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें भारत सरकार ने इस प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिये छात्रों का चयन किया हो अथवा उनकी सिफारिश की हो परन्तु ब्रिटिश सरकार ने उसका अनुमोदन न किया हो, यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत पुरस्कार (क) ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान करती है :—

(i) राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/शिक्षा वृत्ति योजना, इंग्लड की सरकार छात्रवृत्तियां,

(ii) राष्ट्रमंडल शिक्षा अध्ययन शिक्षावृत्तियां, और

(iii) राष्ट्रमंडल मेडिकल शिक्षावृत्तियां ।

(ख) उपरोक्त (i) और (ii) की योजनाओं के संबंध में :— देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा तथा इन छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों को राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों इत्यादि में परिचालन करने से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उन्हीं विषय क्षेत्रों में विशेषज्ञों सहित यथाविधि गठित प्रवरण समितियों द्वारा जिनमें मंत्रालय तथा छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां प्रदान करने वाली सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते है, आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करने के पश्चात संक्षिप्त सूचि के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जाता है। शैक्षणिक योग्यताओं अनुसंधान कार्य और प्रकाशनों व्यावसायिक/कार्यात्मक अनुभव भारत/दाता देश के ज्ञान तथा सामान्य व्यक्तित्व, सामान्य जानकारी और कुशाग्र बुद्धि के आधार पर उम्मीदवारों का साक्षात्कार और मनोनयन किया जाता है। तब मनोनीत उम्मीदवारों के नामों को इंग्लैंड में संबंधित एजेन्सियों को भेजा जाता है, जो प्राप्त मनोनीत नामों में से अन्तिम चयन करती है,

उपरोक्त योजना (iii) के संबंधमें, छात्रवृत्तियां राष्ट्रमंडल आयोग द्वारा इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल स्कूलों के (उत्तरस्नातक संकायाध्यक्षों अथवा प्रत्यक्ष रुप से विश्वविद्यालयों और मेडिकल स्कूलों के जरिये) आयोग को किये गये मनोनयन पर, और भारत में उपयुक्त सरकारी प्राधिकारियों की सम्मति सहित मेडिकल कालेजों और भारतीय विश्वविद्यालयों में मेडिकल शाखाओं द्वारा भी प्रदान की जाती है।

(ग) राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति तथा शिक्षावृत्ति योजना के अन्तर्गत ऐसे उदाहरण भी है जब भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये गये उम्मीदवारों का अन्तिम रुप से चयन नहीं किया गया है। किन्तु यह राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति और शिक्षावृत्ति योजना के सर्वकश देशों द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत अनिवार्य है। इस प्रणाली के अनुसार कोई देश जिसने ये छात्रवृत्तियां शरु की है अन्य देशों से मनोनयन आमंत्रित करता है। छात्रवृत्तियां प्रदान करने वाले देश द्वारा मनोनिति व्यक्तियों के नामों पर अन्तिम विचार करने के लिय मनोनीत व्यक्तियों की सूची को कम करने के उद्देश्य से मनोनीत करने वाले देश में प्रारंभिक प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। राष्ट्रमंडल का कोई भी देश जिसके पास अन्य सदस्यों के बीच बांटने के लिये छात्रवृत्तियों का कोटा है वह देश अपने पास उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या से लगभग दुगने नामांकन आमंत्रित करता है। इस लिय छात्रवृत्तियों दिए जाने वाले देश द्वारा जब छात्रवृत्तियों के लिये अन्तिम रुप से चयन किया जाता है तब एक लचीलेपन का मापदण्ड संभव है।

इसके अनुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल आयोग भारत से 67 मनोनीत व्यक्तियों के नाम इस आशय के साथ वार्षिक आमंत्रित करता है कि साधारण रुप से इस संख्या के आधे मनोनीत व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सके। अतः यह स्पष्ट है कि हमारे द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से केवल आधे व्यक्तियों को ही अन्तिम रुप स चयन की संभावना हो सकती है।

हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण की लागत

3674. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है और इस के लिये केन्द्रीय सरकार कितनी धन-राशि देगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : पश्चिम बंगाल सरकार, जो इस कार्य के निष्पादन संबंधी सभी मामलों से मुख्यतः संबंधित है, के प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत (पुल और इसके आसन्न पहुच मार्ग) 16.52 करोड़ रुपये है। जनवरी 1969 में राज्य सरकार को एक गैर-योजना ऋण जिसका पुल और उसके आसन्न पहुंचमार्गों पर चौथी योजना काल के दौरान पूरे व्यय को वहन करने का आशय है, की व्यवस्था करने के लिये भारत सरकार सहमत थी, राज्य सरकार द्वारा दी गई नवितम सूचना के अनुसार इस कार्य की अनुमानित लागत अब 42.27 करोड़ रुपया है। उन्होंने बताया है कि कीमतों में वृद्धि बीमा और आवश्यक समझे जाने वाले अतिरिक्त कार्य के कारण लागत को बढ़ने की संभावना है।

कृषि विकास के लिए उच्चतम संस्थान के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का पुनर्गठन

3675. **श्री प्रमुदास पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि कृषि विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए उक्त निगम का एक उच्चतम संस्था के रूप में पुनर्गठन किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जैसाकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में उपबन्धित है, निगम के वर्तमान कृत्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, विधायन विपणन, भण्डारण, निर्यात तथा आयात कार्यक्रमों का आयोजन करने, उन्हें बढ़ावा देने तथा वित्त प्रदान करने से संबंधित हैं। विशेषज्ञ समिति ने निगम के क्रियाकलापों में डेरी, कुक्कुटादिपालन, मत्स्यपालन,

वन उपज, तम्बाकू तथा नमक के विकास के सहकारी कार्यक्रम शामिल करने और विभिन्न सहकारी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक व्यापक आधार की महा परिषद गठित करने की सिफारिश की है ।

(ख) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

गुजरात में मूंगफली के तेल का उत्पादन और आरक्षित भंडार

3676. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार से मूंगफली के आगामी मौसम में मूंगफली का आरक्षित भंडार बनाने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार से मूंगफली के तेल का उत्पादन बढ़ाने की मांग भी की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को मूंगफली के तेल के स्थान पर प्रयुक्त सोयाबीन के तेल जैसे, अन्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने का भी निदेश दिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ती के लिये राज्य सरकार की सहायता करने को सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करना हमारी योजना की प्राथमिकता मदों में से एक है ।

(ग) से (ङ) : जी हां । सोयाबीन के उत्पादन के विकास के लिये गुजरात में 1971–72 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना आरंभ की गई है । राज्य सरकार को निम्नलिखित वित्तीय सहायता के लिय योजना के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है :—

(1) वनस्पति रक्षण रसायनों और संयंत्रों पर 25 प्रतिशत राज्य सहायता ।

(2) विकसित बीज पर 25 प्रतिशत राज्य सहायता जो 60 रुपये प्रति क्विन्टल से अधिक न हो ।

(3) प्रत्येक 0.4 हेक्टार (एक एकड़) क्षेत्र में प्रदर्शन के लिये 200 रुपये का अनुदान ।

(4) कर्मचारियों पर होने वाला पूर्ण व्यय तथा अन्य विविध खर्चे ।

गुजरात में वर्ष 1971–72 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 580 हैक्टर क्षेत्र था । वर्ष 1972–73 के लिये इसके अन्तर्गत 2000 हैक्टर क्षेत्र लाने का निश्चय किया गया है ।

गुजरात में डेयरी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता

3677. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य में डेयरी परियोजनाओं के लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना ऋण दिया जायेगा ; और

(ग) राज्य में कितनी डेयरी परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समस्त राज्य सरकारों को वर्ष 1969–70 से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह किसी विशेष कार्यक्रम अथवा क्षेत्र से संबंधित नहीं रहती।

भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा, आपरेशन फ्लड कार्यक्रम (विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना–618) के अन्तर्गत डेरी परियोजना के लिये 6.25 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगी।

(ग) तीन नई डेरी परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं।

मछली पालन उद्योग में एक गैर-सरकारी कम्पनी की प्रभुत्व की स्थिति

3678. श्री डी० के० पंडा : क्या कृषि मंत्री मछली पालन उद्योग में एक गैर-सरकारी कम्पनी की प्रभुत्व की स्थिति के बारे में 7 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1040 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने पी० एल० 480 निधि में से इस कम्पनी को बड़े पैमाने पर ऋण दिया है; और

(ख) क्या यह कम्पनी अमरीका में अपनी सहयोगी कम्पनी को उन दामों से काफी सस्ती दर पर झींगों (शरिम्प) का निर्यात कर रही है जो उसे जापान के खरीददार देने के लिए तैयार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) यू० एस० एड ने वर्ष 1963 में यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड को पी० एल० 480 निधि से एक ऋण दिया था। यह ऋण ट्राम्बे में कम्पनी को पोलीथीन और रासायनिक सुविधाओं के विस्तार से संबंधित था, न कि किसी मत्स्य प्रचालन से।

(ख) यह फर्म एक अमरीकी फर्म को श्रिम्प का निर्यात करती रही है। यूनियन कार्बाइड (इण्डिया) लिमिटेड विशाखापटनम पत्तन से प्रचालन कार्य कर रही है। इस पत्तन पर निर्यात के लिए जमे हुए माल की सीमित मात्रा उपलब्ध होने के कारण जापानी पत्तनों को जाने वाले भार-वाही जहाज नहीं आते।

खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के कोटे में कमी करने के बारे में राज्य सरकारों से अनुरोध

3679. श्री डी० के० पंडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के कोटे में कमी करने के लिए किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) राज्य सरकारों से अभी तक ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही न नहीं उठते।

Small-Pox Eradication Programme

3680. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether small-pox cases are continuously increasing for the last two years and the number of cases this year has been comparatively more than that in the previous two years; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government so check the failure of the National Small-pox Eradication Programme?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) (a) Yes, there has been slight increase in the number of smallpox cases during 1971 and 1972 which is mainly due to improved reporting and better surveillance.

(b) The following measures are being undertaken to achieve the ultimate objective of the eradication of the disease :

(i) Intensification of vaccination campaign particularly in the vulnerable age-group 0-14 years and labour migratory population etc.

(ii) Top priority is being accorded to reporting, surveillance and outbreak containment activities.

(iii) Multiple puncture technique of vaccination, which is more effective, less traumatic and consumers lesser quantity of vaccine is being practised, utilising potent freeze-dried smallpox vaccine.

(iv) Intensification of health education and publicity measures to enhance the voluntary acceptability of vaccination and to encourage the people to report promptly any case of 'fever with rash' to the nearest health centre.

(v) Periodic training courses/seminars for State Programme Officers and District Health Officers of the endemic districts are being organised to keep their knowledge of smallpox eradication up-to-date.

(vi) 100% Central assistance is admissible to the State/Union Territory Governments for the implementation of National Smallpox Programme since the commencement of the Fourth Five Year Plan. A provision of Rs. 325.0 lakhs has been made for this programme during the year 1972-73.

Ayurvedic Advisor to Work on the Post of Director, Central Council for Research in Indian Medicine.

3681. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have permitted the Ayurvedic Advisor in his Ministry to work also on the post of Director, Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy for years together;

(b) if so, whether Government propose to appoint a separate Director for the said Council; and

(c) if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) Yes, Rule 4 of the Memorandum of Association and Rules, Regulations and Bye-laws of Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy provides as follows :—

> "The Adviser in the Indian Systems of Medicine in the Department of Health will be Member-Secretary of the Governing Body and the Director of the Central Council".

Accordingly, the Adviser in Indian Systems of Medicine in the Department of Health is the Director of the Council.

(b) No.

(c) The question does not arise.

Schemes for Development of G. T. Road Passing Through Varanasi District, U. P.

3682. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the schemes formulated for the development and removal of bad condition of Grand Trunk Road situated in Varanasi District and the amount to be spent thereon; and

(b) whether the work has been started on these schemes and if so, the time, by which the work is likely to be completed?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta): (a) National Highway No. 2 (Grand Trunk Road) passing through Varanasi District has a total length of 111.2 Kms, excluding the length within the municipal limits of Varanasi and Mughal Sarai towns. The existing road has a single lane pavement except in short stretches where the same varies in width from 18 ft. to 20 ft. Improvement works of strengthening and widening the road to two lanes in a length of about 96 Kms and reconstruction of two minor bridges have been approved as part of the Fourth Plan programme at a cost of Rs. 184·45 lakhs.

(b) The said improvement works on the road have commenced and are in various stages of progress. These works are scheduled to be completed in the next three years.

Reorganisation of U.G.C.

*3683. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the time by which the University Grants Commission is likely to be reorganised and whether its composition would remain as it is or any radical changes are expected to be made therein?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): The Commission is likely to be reconstituted shortly in accordance with the provisions of the University Grants Commisson (Amendment) Act, 1972.

Preservation of culture of Brij and Oudh (Awadh)

3684. Shri Sudhakar Pandey: Will the Minister of **Culture** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government to preserve regional culture of Brij and Oudh (Awadh) ; and

(b) whether Government are making some efforts for collection of social and cultural folk songs prevailing from time immemorial of this regional culture and if so, the result thereof and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) As part of their regular activities, the Sangeet Natak Akademi have taken steps to record and film the arts of these regions, besides giving financial assistance to the institutions working in the field of arts and culture. Under its general programme for Hindi, the Sahitya Akademi have also recommended translations into other Indian languages of selections from Sursagaraby Surdas in Brijbhasha. Ramcharita Manal in Avadhi had also been recommended by the Sahitya Akademi to UNESCO as one of the Indian classics for translation into foreign languages.

(b) Yes, Sir. Folk songs, ballads and traditional theatre forms of these regions have been recorded by the Sangeet Natak Akademi.

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत विशिष्ट योजना

3685. श्री के० कौडंडा रामी रेड्डी : क्या कृषि मंत्री आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1972-73 वर्ष के लिए ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत योजनाओं के बारे में 15 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6024 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट योजनाएं इस बीच आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो जिलावार योजनाओं की अनुमानित राशि क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) व (ख) : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उन परियोजनाओं का ब्यौरा अभी तक नहीं भेजा है, जो उनके द्वारा 1972-73 में मंजूर की गई होंगी। इसलिए जिलावार स्वीकृत योजनाओं की अनुमानित राशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि राज्य सरकार को ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में कमी

3686. चौधरी दलीप सिंह : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की अत्यन्त कमी है और स्थानीय नेता निगम से ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों पर अधिक बसें चलाने की मांग कर रहे है; और

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली परिवहन उपक्रम को केन्द्र सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के पश्चात् कितने मार्गों पर बसें चलाई गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) : 3 नवम्बर, 1971 से पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीस मुख्य और सहायक मार्गों पर 81 बसों का बेड़ा चल रहा था। दिल्ली परिवहन निगम की स्थापना के बाद, तीन नये मार्ग प्रारम्भ किये गये है और बसों की संख्या बढ़ा कर 85 कर दी गई है। कुछ मार्गों पर फेरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और कुछ मामले में अधिक क्षेत्रों में बस सेवाएं के मार्ग बढ़ा दिये गए है।

पाँच मार्गों पर कुछ अतिरिक्त फेरे लगाने और नये मार्गों पर बस सेवा चलाने के लिये अभिवेदन प्राप्त हुए है। दिल्ली परिवहन निगम प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त फेरों संबंधि अनुरोध पर विचार किया जा रहा है, परन्तु नये मार्गों पर सेवाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न पर कुछ अतिरिक्त गाड़ियों, जिनके लिए आर्डर दे दिया गया है, की प्राप्ति के बाद ही विचार किया जा सकता है।

अपराधी अधिनियम की परिवीक्षा

3687. श्री नरसिंह नारायण पाण्डे : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने, "उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम" का निरसन किये बिना और भारत सरकार की नीति के प्रतिकुल अपने दायित्वों का पालन न करते हुए परिवीक्षा विभाग को समाप्त करने के बारे में, एक चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाया है ; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने संसद् द्वारा पारित अपराधी परिवीक्षा अधिनियम को अब तक क्रियान्वित नहीं किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश मे उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1938 लागू है। उन्होंने अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 लागू नहीं किया है । जिसे एक केन्द्रीय अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया था और जो एक राज्य में उसी तारीख से लागू हो सकता है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करेगी । राज्य सरकार ने अब तक तारीख अधिसूचित नहीं की हैं ।

1965 में किफायत के आधार पर उत्तर प्रदेश ने परिवीक्षा कार्य का पुनर्गठन किया था, जिससे अनेक जिला परिवीक्षा अधिकारी फालतू घोषित कर दिए गए थे । बताया गया है कि वह अब इस मामले पर पुनः विचार कर रही है ।

तटवर्ती यातायात के लिए जहाज

3688. **डा० रानेन सेन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय जहाज तटवर्ती यातायात के लिये प्रयोग में लाये जा रहे है ; और

(ख) क्या चौथी पन्चवर्षीय योजना के अन्त में कुल टैंकर टन भार 80,000 टन के लक्ष्य के स्थान पर मुश्किल से 20,000 टन होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) : 2,01,217 जी आर टी के 59 जहाज़ तटीय नौवहन में लगे हुए हैं । इनमें 38,552 जी आर टी के चार तेल पोत शामिल हैं । इनमें से 20,359 जी आर टी के तीन तेल पोत 31-3-1974 को चतुर्थ योजना की समाप्ति से पहले 20 वर्षों से अधिक अवधि के हो जाएंगे, और (सामान्यतः) इन्हें रद्द करने के लिये हो जायेंगे । 63,000 जी आर टी के पांच तटीय तेल पोतों के लिये दिये गए आर्डर में से 11,000 जी आर टी के एक तेल पात की, 1973 के अन्त तक, सुपुर्दगी का कार्यक्रम है । यदि चतुर्थ योजना के दौरान तीन पुराने तेल पोतों को रद्द कर दिया जाता है तो कुल तटीय टनभार लगभग 20,000 जी आर टी ही जाएगा । परन्तु दिसम्बर, 1975 तक शेष चार तेल पोत भी, जिन के लिए आर्डर दिया गया है, सुपुर्द कर दिये जाएंगे और टनभार लगभग 72,000 जी आर टी हो जाएगा ।

दिल्ली में बाढ़ग्रस्त ग्रामों में हरिजनों की दयनीय स्थिति

3689. **डा० रानेन सेन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1972 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में दिल्ली में "प्लाइट आफ हरिजन इन फ्लडेड विलेजिज" (बाढ़ग्रस्त ग्रामों में हरिजनों की दयनीय स्थिति) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो हरिजनों की जरूरतों का पूरा करने के लिये सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी०पी० यादव) : (क) हां ।

(ख) विपत्ति होने पर दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों ने प्रभावित गांवों का दौरा किया था । पीड़ित परिवारों को एक सप्ताह तक राशन, चारा और ईन्धन मुफ्त बांटा गया था । वर्षा से बचाव के लिए सिरकिया और बांस भी बांटे गए थे ।

सोयाबीन की खेती

3690. डा० रानेन सेन :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 के दौरान सोयाबीन की खेती में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सोयाबीन की खेती का वर्तमान लक्ष्य क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। वर्ष 1971-72 के दौरान सर्व प्रथम चार राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश सर्व केन्द्रीय प्रायोजित योजना अंतर्गत सोयाबीन विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था इन राज्यों में वर्ष 1971-72 के लिये निर्धारित 45,000 हैक्टार क्षेत्र के लक्ष्य की तुलना में इसके अंतर्गत 32,317-97 हैक्टार क्षेत्र (16,120-97 हक्टार शुद्ध फसल के अंतर्गत तथा 16,197 मिश्रित फसल के अंतर्गत) लिया गया।

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान कम लक्ष्य प्राप्त करने के कारण निम्नलिखित हैं।

(i) अच्छी कोटि के प्रमाणित बीजों की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धि।

(ii) प्रमाणित बीजों की अधिक लागत।

(iii) कपास में अन्तरवर्ती-फसल के लिये उपयुक्त किस्म की कमी, जो महाराष्ट्र तथा गुजरात में कार्यक्रम का प्रमुख आधार-स्तम्भ है और उत्तरी राज्यों में मौजेक प्रतिरोध किस्मों की अनुपलब्धि।

(iv) खेतों की स्थितियों के अंतर्गत बीजों के कम अंकुरण की समस्या।

(v) अधिक प्रोटीन खाद्य के उपयोग के लिए प्रोटिन खाद्य उद्योगों का कम गति से विकास, जो कि सोयाबीन के लाभकारी मूल्य बनाये रखने में सहायता करेंगे।

बीजों की उपलब्धि दृष्टि में रखते हुए उपरोक्त चारों राज्यों में वर्ष 1972-73 के दौरान सोयाबीन की खेती का लक्ष्य 59,000 हैक्टार निर्धारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है :

1. उत्तर प्रदेश	25,000 हैक्टार (शुद्ध)
2. मध्य प्रदेश	20,000 हैक्टार (शुद्ध)
3. महाराष्ट्र	12,000 हैक्टार (मिश्रित)
4. गुजरात	2,000 हैक्टार (मिश्रित)
	59,000 हैक्टार

दिल्ली प्रशासन का हरिजन कल्याण संगठनों को अनुदान बन्द करने का निर्णय

3691. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने हरिजन कल्याण संगठनों की अनुदान बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं। 1971-72 में हरिजन कल्याण संगठनों को 0·58 लाख रुपये के अनुदान बांटे गये थे। 1972-73 में इस प्रयोजन के लिए दिल्ली प्रशासन की बजट व्यवस्था 0.50 लाख रुपए है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गत तीन वर्षों में खाद्यान्नों का आयात

3692. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में उससे पहले वर्ष की तुलना में देश में कुछ अधिक खाद्यान्न का आयात किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितने खाद्यान्न का आयात किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राएं आयात की गयी थी :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

1969	38.7
1970	36.3
1971	20.5

सडक सुरक्षा के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

3693. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क सुरक्षा के बारे में अध्ययन दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदनों में क्या मुख्य सिफारिशें की गई है?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3526/72]**

निर्धन लोगों के लिए "पोषाहार पैकेट"

3694. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोषाहार के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए देश में गरीब लोगों के लिए 'पोषाहार पैकेट' वितरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बात क्या है और इस बारे में कितना धन व्यय होने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख): केन्द्रीय खाद्य ओद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान, मैसूर ने सूचित किया है कि उन्होंने लगभग 16 ग्राम प्रोटीन युक्त पूर्णतया संतुलित, तुरन्त खाने लायक, खाद्य पदार्थ तैयार किया है जिससे प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से 400 कैलोरी मिलती है। यह खाद्य पदार्थ देश में उपलब्ध सामग्री से तैयार किया जाता है। इस खाद्य पदार्थ के 50 ग्राम के पैकट की कीमत लगभग 15 पैसे होने की आशा है। उत्पादन की मात्रा और उस पर होने वाले खर्च के बारे में ब्यौरों का संस्थान द्वारा अभी हिसाब लगाया जा रहा है।

Nonavailability of cereals at fair price shops in Delhi

3695. Dr. Sankata Prasad : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether cereals are not available in Fair Price Shops in Delhi in time; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) : On a few occasions recently, there had been some delay in the supply of food grains to the Fair Price shops in Delhi due to the 'go slow' policy adopted by one section of the staff of the Food Corporation of India.

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के रंग का बदला जाना

3696. श्री लालजी भाई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर लाल रंग के स्थान पर हल्का नीला रंग करने के क्या कारण है, और

(ख) इस कार्य पर कितनी धन राशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने मौजूदा रंग योजना को बदलने का फैसला किया है, क्योंकि वे इस पुरानी का एक सुधार समझते हैं।

(ख) दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों के अंतर्गत उन बसों पर जोकि पांच वर्षों से अधिक पुरानी हो जाती हैं प्रत्येक छ: महीनों में एकबार और दूसरी बसों पर वर्ष में एक बार रंग करने की जरूरत होती है। जब भी बसों पर दोबारा रंग लगाने का समय आ जाता है तो इसके लिए नये रंग का इस्तेमाल किया जाता है और इस पर अतिरिक्त खर्च नहीं होता। यह कार्य विभागीय रूप से किया जा रहा है।

नई दिल्ली में सरकारी कालोनियों में लानों का रख-रखाव

3697. श्री सी० टी० दण्डपाणि :
श्री विजय पाल सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौरोजी नगर तथा अन्य सरकारी कालोनियों में लानों की उचित देखभाल नहीं की जा रही है और वे बहुत खराब हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नौरोजी नगर पूछताछ कार्यालय में मई मास में लानों को हमवार करने और उन्हें ठीक ठाक करने के लिए एक शिकायत दर्ज कराई गई थी परन्तु इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया; यदि हां, तो क्यों; और

(ग) नौरोजी नगर में लानों की दशा सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) नौरोजी नगर के निवासियों ने लानों को समतल करने तथा सवारने के लिये मांग की है । गर्मी के महीनों में कच्चे पानी की सप्लाई न मिलने के कारण यह कार्य केवल वर्षा ऋतु के दौरान ही आरंभ किया जा सकता था । यह कार्य अब पूरा हो चुका है ।

(ग) अन्य कालिनियों की तरह, नौरोजी नगर के लानों का सुधार वर्षा ऋतु के दौरान किया जाता है ।

'न लाभ और न हानि' के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि तथा फ्लैट बेचना

3698. श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सभा में वर्ष 1966 में इस आशय का आश्वासन दिया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण 'न लाभ और न हानि' के आधार पर भूमि और फ्लैट बेचेगी;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण आजकल प्लाट और फ्लैट बेच कर काफी लाभ अर्जित कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो पहले से घोषित नीति से भिन्न कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख): सरकार की नीति के अनुसार प्लाट आमतौर पर नीलाम द्वारा बेचे जाते ह । बिना लाभ-बिना हानि के आधार सब प्लाटों पर कुल मिला कर है न कि प्लाट या फ्लैट विशेष पर कुछ पात्र वर्गों के मामले में प्लाटों या फ्लैटों का आवंटन बिना लाभ के आधार पर किया जाता है और इस में सहायता का अंश भी हो सकता है । फ्लैटों का मूल्य-निर्धारण कुल लागत के आधार पर किया जाता है, जिस में विभागीय प्रभार जोड़े जाते है और इस प्रकार में कोई लाभ शामिल नहीं किया जाता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम का आधुनिकीकरण तथा विस्तार

3699. श्री एम० कतामुतु : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने उपकरण तथा व्यावहारिक सुविधाओं में असंतुलन को दुर करने तथा पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने के लिये शाड के आधुनिकीकरण तथा विस्तार की योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या है; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : सरकारने आधुनिकीकरण तथा विस्तार को एक समाकलित विकास कार्यक्रम की चौथी योजना काल के दौरान कार्यान्वियन के लिये 766.27 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अक्तूबर 1969 में मंजूर किया । कार्यक्रम की मुख्य बातें ये हैं :—

1. हल शाप के अतिरिक्त खंड और प्लेट वेन्टिग रोलस, कोल्डफ्रेम वेन्टिग मशीन, द्रवचालित प्रस जैसी भारी उपस्कर के कुछ मुख्य मदों की व्यवस्था ।

2. पूर्व निर्माण खंड का विस्तार, एक अतिरिक्त खंड का निर्माण, 45 टन ई०ओ०टी० क्रेनों की प्राप्ति, विद्युत शक्ति वितरण इत्यादि ।

3. निर्माण क्षेत्र और बिल्डिंग घाटों में अतिरिक्त क्रेन सुविधाओं की व्यवस्था ।

4. जेटी का सुदृढ़ीकरण और फिटिंग आउट घाट पर अतिरिक्त क्रेन सुविधा की व्यवस्था ।

5. (क) आधुनिक उपस्कर की व्यवस्था, मशीन शापों में पुराने मशीन आदि को बदलना ।

(ख) जलपान गृह, कर्मचारी आवास आदि जैसी सामाजिक सुख सुविधा ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम द्वारा प्राप्त जहाज बनाने के क्रयादेश

3700. **श्री एम० कत्तामुत्तु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम को जहाज बनाने के कितने क्रयादेश प्राप्त हुये है, इनमें से कितने क्रयादेश अब तक पूरे किये गये हैं,

(ख) क्या आधुनिकीकरण और विस्तार योजना क्रियान्वित हो जाने से आगामी कुछ वर्षों में जहाज बनाने की क्षमता काफी बढ़ जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यार्ड की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त क्रयादेश प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास किये हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) हिन्दुस्थान शिपयार्डने अभी तक कुल 4,81,982 डी०डब्लू०टी० से अधिक के 55 जहाजों का निर्माण कर उनकी सुपुर्दगी कर दी है (जिन में छोटे जहाज भी शामिल हैं) । इनमें 49 समुद्रगामी जहाज शामिल हैं जबकि शेष 9 कषनाव, लांच आदि जैसे छोटे जहाज हैं । इस समय शिपयार्ड के पास 14 जहाजों के आर्डर है और / या निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं ।

(ख) जलोय थाला को पूरा हो जाने के सहित आधुनिकीकरण कार्यक्रम के पूरा होने पर शिपयार्ड की वार्षिक उत्पादन क्षमता प्रत्येक लगभग 13,000 डी०डब्लू०टी० के 2-3 जहाजों से बढ़कर उसी आकार के लगभग 6 जहाजों तक हो जाएगी ।

(ग) इस समय हिन्दुस्तान शिपयार्ड के पास काफी आर्डर हैं । जहां कहीं भी आवश्यक है सरकार की सहायता से वह जहाजों के निर्माणार्थ और आर्डर प्राप्त करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।

राजनीतिक दलों से ग्रामीण सम्पत्ति को अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापन

3701. **श्री दिग्विजय नारायण सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामोण सम्पत्ति को अधिकतम सीमा के बारे में राज्य सरकारों से सरकार की कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये गये है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :(क) और (ख) : कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा के विभिन्न पक्षो से संबंधित अभिवेदन प्राप्त हुये थे । कुछ लोग उच्चतम सीमा में आमूल परिवर्तन के पक्ष में थे जिससे कि एक परिवार के पास इतनी ही भूमि रह जाय जिससे कि एक जोडी बैल से खेती की जा सके जबकि कुछ व्यक्तियों ने अधिक उच्चतम सीमा का समर्थन किया । केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनेसे पहले, इस समस्या के विभिन्न पक्षों की जाच की है ।

7—17 L.S./72

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में राजनीतिक दलों से प्राप्त ज्ञापन

3702. **श्री दिग्विजय नारायण सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में सरकार को राजनीतिक दलों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रत्येक ज्ञापन में क्या क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों को स्थायी बनाना

3703. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के प्रत्येक शिक्षक (इन्स्ट्रक्टर) को, उन्हें राज्य सरकारों को स्थानान्तरित करने से पूर्व, स्थाई बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा; और

(ग) क्या स्थाई बनाये बिना किसी भी व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग): सरकार ने निर्णय किया है कि राज्य सरकारों को अनुदेशकों के स्थानांतरण से पहले राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों को स्थाई करना संभव नहीं होगा, किन्तु कर्मचारियों की ओर से अनुरोध मिलने पर, संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद् ने सरकारी तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों वाली राष्ट्रीय परिषद् की समिति से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर सहित कुछ कार्यालयों के सरकारी कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने के प्रश्न पर विचार करें। राष्ट्रीय परिषद् को दी गई अपनी अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने यह नोट किया कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों के बारे में कर्मचारी तथा सरकारी पक्ष के बीच लाभप्रद निर्णय लिए गए हैं तथा यह सिफारिश की है कि ये विचार-विमर्श जारी रहने चाहिएं । समिति की इस अंतरिम रिपोर्ट पर राष्ट्रीय परिषद् द्वारा अभी विचार किया जाना है ।

भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई नवीनतम शर्तों के अधीन शैक्षिक कर्मचारियों का स्थानांतरण शुरू हो चुका है । बहुत से राज्यों ने अनुदेशकों को अपने अधिकार में ले लिया है तथा अन्य राज्य अनुदेशकों को लेने की कार्रवाई कर रहे हैं । उनमें से अभी तक किसी को भी केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी नहीं किया गया है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चना और सरसों के तेल की खरीद के बारे में आरोप

3704. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री एम० एम० जोज़फ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चना और सरसों के तेल को खरीद करने के बारे में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए चने और सरसों के तेल के बारे में कुछ आरोप प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) : इन आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जांच की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था

3705. श्री एस० एम० बनर्जी :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सामाजिक सुरक्षा की कोई समन्वित योजना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न एजेंसियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा की तदर्थ योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा की कोई विस्तृत योजना अब तक नहीं बनाई गई है।

(ख) और (ग) : एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(1) वृद्ध व्यक्ति, जिन्हें कोई आय न हो और जिनके कोई ऐसे सम्बंधी न हों, जिन पर उनके पालन पोषण का सीधा उत्तरदायित्व हो;

(2) अनाथ और ऐसे बच्चे, जिनके मां बाप उनके जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं;

(3) ऐसी विधवा स्त्रियों को, जिनकी अपनी कोई आय नहीं है, उनके वैधव्य के पहले कुछ महीनों में जब तक कि व श्रमिक फोस में भर्ती होने के लायक नहीं हो जाती; तथा

(4) ऐसे अत्यन्त विकलांग व्यक्ति जो अपनी जीविका नहीं कमा सकते और न ही जिन की अपनी कोई सम्पत्ति है।

प्रति वर्ष ऐसे व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। पांचवें वर्ष में 48.39 लाख वृद्ध और कमजोर व्यक्तियों, 11.50 लाख निराश्रित बच्चों को, 1.00 लाख विधवाओं को तथा 1.76 लाख विकलांग व्यक्तियों को प्रतिवर्ष इस योजना के अन्तर्गत लाना सम्भव होगा। पांच वर्षों में इस प्रस्ताव को लागू करने पर कुल खर्च 758 करोड़ रुपये होगा।

इस प्रस्ताव की कार्यान्विति धीरे-धीरे होगी जो धन की उपलब्धि पर निर्भर होगा।

ग्रामीण सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में अन्तिम निर्णय

3706. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) क्या इस बारे में कानून 1971 से प्रभावी होंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :(क) तथा (ख) : मुख्य मंत्रियों के संम्मेलन की सिफारिशें सरकार के विचाराधिन हैं। आशा है अंतिम निर्णय शीघ्र हो जायेगा।

(ग) जी हां ।

नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में दुकानों के आबंटन पर नियंत्रण

3707. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की कुछ सरकारी बस्तियों में दुकानों का आवंटन सम्पदा निदेशालय द्वारा किया जाता है, जब कि कुछ अन्य कालोनियों में इस कार्य पर नई दिल्ली नगर पालिका का नियंत्रण है;

(ख) क्या नई दिल्ली की सभी सरकारी कालोनियों में दुकानों का नियंत्रण नई दिल्ली नगर पालिका को हस्तान्तरित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां। सम्पदा निदेशालय उन मार्कीटों में दुकानों का आवंटन करता है, जो उसके नियंत्रण में हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूखा पीड़ित किसानों की सहायता करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय निर्देश

3708. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में जिन किसानों की फसले बरबाद हो गई हैं, उन्हें विशेष अनुदान देने के लिये धन आवंटित किया गया है और क्या राज्य सरकार को ऐसा कोई निदेश दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : सूखे अथवा किसी प्राकृतिक आपात से राहत की व्यवस्था करना प्रमुखतः राज्यों का उत्तरदायित्व है। यदि

राहत तथा पुनर्वास उपायों, आदि संबंधी व्यय, राज्य सरकार के साधनों के अन्तर्गत न हो तो वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से कहते हैं। फिर भी, कृषि मंत्रालय उर्वरक, बीज तथा कीटनाशी औषधियों की खरीद तथा वितरण के लिये राज्य सरकारों को अल्पावधि ऋण सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान सुखा पड़ने के समय से विभिन्न राज्य सरकारों स प्राप्त मांगों पर विचार किया गया और फिलहाल निम्नलिखित धन-राशि स्वीकृत की गई :—

1. पश्चिम बंगाल	2.00 करोड़ रुपये
2. मध्य प्रदेश	2.40 करोड़ रुपये
3. आन्ध्र प्रदेश	10.00 करोड़ रुपये
4. बिहार	5.00 करोड़ रुपये
5. उत्तर प्रदेश	10.00 करोड़ रुपये

2. कृषि मंत्रालय द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 1972 को राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे खरीफ की खेती, मध्यवर्ती तथा रब्बी फसलों की सम्भाव्यता को सुधारने के लिये शीघ्र प्रभावी उपायों की जांच करे। यह अनुरोध किया गया था कि सब प्रकार की आपात सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये। बीजों की सप्लाई की व्यवस्था तथा उचित खेती एवं उर्वरक उपयोग के तकनीकी के संबंध में उपाय किये जाने चाहियें। अब देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये विशष उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे ह। कृषि मंत्रालय के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने कई राज्यों का दौरा किया और राज्य सरकारों द्वारा शीघ्र कार्यान्वयन के लिये कई उपायो को स्वीकृति दी गई। इन विशेष उत्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों को विशेष धनराशि के आवंटन करने का प्रस्ताव है, जो कि राज्य योजना के कार्यक्रमों के अतिरिक्त होंगे।

नई दिल्ली बृहत योजना के अन्तर्गत नये होटलों के निर्माण हेतु नियत किये गये स्थल

3709. श्री राम सहाय पाण्डे : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली बृहत योजना के अन्तर्गत अभी हाल ही में नये होटलों के निर्माण के लिये कुछ स्थल नियत किये गये हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रुप-रेखा क्या है ;

(ख) क्या दिल्ली होटल तथा रेस्टरां संघ को ये स्थल पसन्द नहीं आये हैं और उसने अन्य किन्हीं स्थलों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है, यदि हां, तो उसके सुझावों का सारांश क्या है; और

(ग) क्या ये स्थल होटल उद्योग चलाने वालों को आवंटित किये जा चुके हैं, यदि हां तो उनके नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : दिल्ली में बड़े होटलों के निर्माण के लिये निर्धारित किये जाने वाले स्थानों का चयन उन विषयों में से एक है जिसका अध्ययन नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति द्वारा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सरकार द्वारा स्थलों के आवंटन पर निर्णय किया जायगा।

सभी बड़े नगरों में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

3710. श्री राम सहाय पांडे :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली और बम्बई में चल रही अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को सभी बड़े नगरों में आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है जिससे वहां पूरी जनता को लाभ हो सके ;

(ख) क्या इस संबंध में श्री पी० पी० आई० वैद्यनाथ, अपर सचिव, की अध्यक्षता में अध्ययन दल द्वारा कुछ सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन दल ने क्या मुख्य सुझाव दिये हैं तथा क्या सरकार ने उन पर विचार करके कोई निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) फिलहाल, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को प्रमुख नगरों में शुरू कर वहां की सारी आबादी को उसके अन्तर्गत लाने के विषय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे, इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर और कलकत्ता के शहरों में चल रही है। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकारी पेंशन-भोगियों के साथ-साथ अंशदायी भविष्य निधि सुविधा प्राप्त सेवा निवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार आते है जो केन्द्रीय स्वास्थ योजनागत क्षेत्रों में रहते है। सिर्फ दिल्ली में ही यह योजना अध सरकारी/स्वायत्त निकायों और 14 केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के अन्तर्गत आने वाले चुनींदा क्षेत्रों में रहने वाली आम जनता के लिए लागू की गई है। 1972–73 के चालू वर्ष में इस केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को मद्रास और नागपुर में और लागू करने का विचार है।

(ख) और (ग) : शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव श्री पी० पी० आई० वैद्य-नाथन की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल ने निम्नलिखित सुझाव दिए है :

"जिन क्षेत्रों की आबादी एक स्थान पर केन्द्रीभूत है, वहां के लोगों को हर प्रकार की चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिए व्यापक योजनाएं तैयार कर ली जाएं। हमारे पास पहले ही दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में चल रही अंशदायी सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के रूप में एक बढ़िया माडल विद्यमान है। सभी प्रमुख आबादी वाले केन्द्रों में ऐसी योज-नाएं चालू की जाए जिनके अन्तर्गत सभी लोग आ जायें।"

अध्ययन दल की रिपोर्ट अभी-अभी मिली है और उनके सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए कृषि योजना

3711. श्री राम सहाय पांडे :
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) क्या रबी की फसल पर अधिक जोर देने के लिए पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के कृषि-कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण करने का सरकार ने निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो नई योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग): असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों में चावल की ग्रीष्मकालीन फसल का क्षेत्र बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त आगामी रबी के मौसम के दौरान गेहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती का भी विस्तार किया जायेगा, चूंकि गेहूं की इन किस्मों की कृषि के वहां उत्साहवर्द्धक परिणाम रहे हैं। रबी/ग्रीष्म 1972-73 के लिए इन फसलों के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :—

(हजार हैक्टरों में)

राज्य	गेहूं के अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रम का लक्ष्य	ग्रीष्मकालीन चावल का लक्ष्य
असम	50	100
बिहार	1500	400
उड़ीसा	50	400
पश्चिम बंगाल	640	400

बीज, उर्वरक, कीटनाशी औषधियों तथा ऋण जैसे अपेक्षित आदानों की व्यवस्था की जा रही है और लघु सिंचाई के विकास के लिये सुविधाओं का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यक्रमों को क्रियान्विति के उद्देश्य से संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ के विधान का प्रारूप

3712. **श्री झारखण्डे राय** : : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ के विधान के प्रारूप की, जो कार्यकारी परिषद् के पास विचाराधीन है, मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) यह विधान पहले विधान से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) प्रस्तावित विधान के बारे में छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कार्यकारी परिषद विधान के प्रारूप पर कब विचार करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभापटल पर रख दी जाएगी।

चौथी योजना के दौरान भू-संरक्षण के लिए नियत की गई राशि

3713. **श्री झारखंडे राय** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में भू-संरक्षण के कार्यक्रम के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) इसमें से अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) विभिन्न राज्य और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए चौथी योजना के दौरान भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के लिए 158.65 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है ।

(ख) वर्ष 1971-72 तक 92.05 करोड़ रुपये की रकम व्यय की जा चुकी है ।

प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में एकरुपता

3714. श्री झारखण्डे राय : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारे देश में प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में एकरुपता के बारे में योजना का मसौदा राज्य सरकारों को, उनके विचार जानने के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के बारे में किसी राज्य सरकार ने कोई टिप्पणी भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क) से (घ)**: ऐसी कोई योजना परिचालित नहीं की गई है । तथापि, राज्यों का ध्यान राष्ट्रीय नीति संकल्प की ओर दिलाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ स्कूल की दस वर्ष की शिक्षा के बाद 2 वर्ष के उच्चतर माध्यमिक स्तर तथा तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के आधार पर एक समान शैक्षिक पद्धति की सिफारिश की गई है । इस मामले पर शिक्षा सचिव तथा शिक्षा निदेशकों के मई, 1972 में हुए सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था । यह निर्णय किया गया था कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक होने तक यथापूर्व स्थिति ही रहने दी जाए । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक 18 सितम्बर, 1972 को हो रही है । उसमें विचार किए जाने वाले विषयों में से एक देश की शिक्षा प्रणाली पर भी होगा ।

धर्मशाला में सेंट्रल तिब्बतन लायब्रेरी एंड आर्काइवस की स्थापना और रखरखाव

3715. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में सेंट्रल तिब्बतन लायब्रेरी एण्ड आर्काइवस की स्थापना और रखरखाव के लिये वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यह प्रस्ताव लगभग किस तारीख तक स्वीकार कर लिया जायेगा और सहायता दी जाने लगेगी; और

(ग) कितनी सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सहायता की पद्धति सहित इस प्रस्ताव पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

इंजीनियरिंग कालेज रहित राज्यों के लिए इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों का आरक्षण

3716. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग कालेजों में ऐसे राज्यों के विद्यार्थियों के लिये कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं जिनमें इंजीनियरिंग कालेज नहीं है;

(ख) यदि हां, तो भारत के विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों में हिमाचल प्रदेश के लिये कितनी सीटें आरक्षित हैं;

(ग) इन कालेजों में हिमाचल प्रदेश के लिये सीटों की संख्या किस आधार पर निर्धारित की जाती है; और

(घ) क्या ऐसे राज्यों के विद्यार्थियों के लिये भी कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं जिनमें इंजीनियरिंग कालेज हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, हां ।

(ख) 1972-73 के लिये, हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के हेतु 42 स्थान आरक्षित किए गए हैं ।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 42 स्थानों के आरक्षण के लिए अनुरोध किया था और सभी स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं ।

(घ) ऐसे राज्यों के लिए जिनके यहां इंजीनियरिंग कालेज है, केवल उन विशेष विषयों में स्थान आरक्षित किए जाते हैं, जिनमें उनके स्वयं के कालेजों में सुविधाएं नहीं होती है ।

कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त सहायता

3717. डा० कर्णी सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत को कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कुल कितनी राशि की सहायता मिली;

(ख) राजस्थान राज्य को उसमें से कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) राजस्थान में उस सहायता से क्या-क्या कार्य आरम्भ किए गए तथा पूरे किये गये तथा कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3527/72]**

बंगलौर में अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान की स्थापना

3718. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि राजधानी में स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के स्तर का एक अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान दक्षिण (बंगलौर) में स्थापित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा व्यवसाइयों के लिए तीन महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

3719. श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैद्यों, हकीमों, होमियोपैथों और पंजीकृत नीम हकीमों को चिकित्सा व्यवसाय आरम्भ करने हेतु डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र देने के लिए बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज करने में तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

(ख) क्या सरकार का विचार तीन महीने के प्रशिक्षण के स्थान पर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में और देश भर में समरूपी सामान्य चिकित्सा पद्धति का किस हद तक आधुनिकीकरण करके पहले के अल्पावधि और सस्ते डिप्लोमा पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) फिर भी, वैद्यों, हकीमों और होम्योपैथों को गांवों में चिकित्सा कार्य करने के लिये एक अल्पकालीन प्रशिक्षण देने की योजना पर विचार किया जा रहा है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों के उपलब्ध न होने के बारे में शिकायतें

3720. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं अथवा उन क्षेत्रों में ऐसे डाक्टर नियुक्त किये गये हैं जिनके पास डाक्टरी की डिग्रियां तो हैं किन्तु उन्हें डाक्टरी का अनुभव नहीं है;

(ख) क्या ऐसे डाक्टरों ने बहुत से मामलों में गलत औषधियां दी हैं तथा गलत टीके लगाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० बी० चट्टोपाध्याय): (क) गांवों में डाक्टरों की कमी के बारे में आम शिकायत है। किन्तु भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि उन क्षेत्रों में अनुभवहीन डाक्टर लगाये हैं ।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

फसल बीमा

3721. श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री धनशाह प्रधान :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ और सूखे से प्रभावित होने वाली फसलों का बीमा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे):(क) और (ख) मार्गदर्शी आधार पर फसल बीमा आरम्भ करने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है ।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

3722. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) और (ख) :इस सम्बन्ध में केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है । केन्द्रीय सरकार ने देश में चीनी उद्योग के कार्यचालन और उससे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं विशषतया उसके राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में एक विस्तृत जांच करने के लिए एक चीनी उद्योग जांच आयोग स्थापित किया है । केन्द्रीय सरकार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले पर आगे विचार करेगी ।

मादक द्रव्यों के सेवन की बुराई के बारे में विचार गोष्ठी

3723. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जुलाई, 1972 को मादक द्रव्यों के सेवन की बुराई के बारे में आयोजित की गई विचार गोष्ठी में इस बुराई को रोकने के लिए किसी व्यावहारिक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई थी और उस विचार गोष्ठी में क्या-क्या निर्णय किये गये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन ने 28 और 29 जुलाई, 1972 को "ड्रग एब्यूज एण्ड यूथ" के संबंध में द्विदिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया था । भारत सरकार को इस गोष्ठी के सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । ये दिल्ली प्रशासन को मिल गए थे और वे इनकी जांच कर रहे है ।

आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए वन सम्पदा का उपयोग

3724. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वन सम्पदा का उपयोग करने और तेजी से आर्थिक प्रगति तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी हां। स्वयं प्राथमिक वानिकी क्रियाओं का उद्देश्य गतिशील आर्थिक विकास और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करना है ये क्रियाएं बागवानी वन-विज्ञान, सड़क तथा भवन निर्माण, वन उत्पादों के उपयोग तथा उनके परिवहन से सम्बन्धित है ।

पंचवर्षीय योजनाओं में अतिरिक्त क्रियाओं की, विशेषकर वानिकी क्षेत्र में वन पर आश्रित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है। ये सभी क्रियाएं श्रमोन्मुखी हैं और इनमें पूर्ण मौसमी रोज़गार प्रदान करने की व्यवस्था है ।

रोजगार के अवसर के लिए मानव द्वारा उगाए जाने वाले जंगलों की ओर योजनाओं में पूर्ण ध्यान किया गया है। 1951-72 की अवधि के दौरान लगभग 7,360 लाख रुपयों की लागत से लगभग 1,780 लाख हैक्टार बागानों का सृजन ही किया जा चुका है। वन के उत्पादक मूल्यों में वृद्धि के लिये प्राकृतिक पुनर्जनन सम्बन्धी कार्य भी आरंभ किए गए हैं तथा चतुर्थ योजना काल में इसके लिए 9,380.6 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। पूर्ण आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उजड़े बनों को पुनः ठीक-ठाक करने, लघु जंगल उत्पादों को विकसित करने, लकड़ी की क्रियाएं आदि योजनाएं भी कार्यान्वित की गई हैं ।

वन संसाधन सर्वेक्षण तथा वन संसाधनों के निवेषपूर्व सर्वेक्षण जैसी केन्द्र द्वारा प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं में वन के खोज सम्बन्धी कार्यक्षेत्रों की जांच की ओर ध्यान दिया गया है। जिससे कि वन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग हो सके। चतुर्थ योजना काल के दौरान "वन संसाधन सर्वेक्षण" योजना के लिए 139 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है तथा इसके अन्तर्गत अभी तक 8,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/खाद्य तथा कृषि संगठन। भारत सरकार परियोजना के रूप में वर्ष 1965 में आरम्भ की गई "वन संसाधन विषयक निवेषपूर्व सर्वेक्षण" योजना अब केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में चालू है। इस परियोजना का उद्देश्य वन संसाधनों की उपलब्धि का सर्वेक्षण करना तथा लकड़ी पर आधारित विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल का अनुमान लगाना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चुनींदा क्षेत्रों में 85,000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए 160 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

इस प्रकार वानिकी क्रियाओं का और विशेषकर पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत स्कीमों का, मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक विकास की वृद्धि करना तथा रोज़गार के अवसर प्रदान करना है। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य संसाधनों के आर्थिक विकास के लिये अधिकाधिक क्षेत्रों की खोज करना है जिसके द्वारा रोजगार के अतिरिक्ति अवसर और आर्थिक विकास की व्यवस्था की जा सके ।

नई दिल्ली में नारायणा स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

3725. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम समूह में नारायणा में बेचे जाने वाले 125 वर्ग गज के फ्लैटों के विशेष विवरण में रसोई में अनेक शैल्फों की व्यवस्था थी परन्तु प्रत्येक फ्लैट की रसोई में वास्तव में एक ही शैल्फ बनाया गया है;

(ख) क्या अलाटियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रत्येक फ्लैट की रसोई में दो और शैल्फ बनाने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सम्भवतया कब तक वे शैल्फ बना दिये जायेंगे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० बी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) लगभग तीन मास के समय में कार्य के पूरा होने की संभावना है ।

भारतीय स्वतन्त्रता के रजत जयन्ती समारोह के दौरान युवक केन्द्रों के माध्यम से नेताजी की विरासत का निरुपण

3726. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेताजी के क्रियाकलापों और आजाद हिन्द फौज के स्वतन्त्रता संघर्ष के नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार का भारतीय स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती समारोह के दौरान सम्पूर्ण देश में स्थापित किये जाने वाले युवक केन्द्रों के माध्यम से नेताजी की विरासत का निरुपण करने हेतु योजनाएं आरम्भ करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों पर विविध प्रकार के अनौपचारिक पाठ्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है । इनमें वे कार्यक्रम भी शामिल हैं जो युवक को देश की प्राचीन परम्परा, हमारी स्वतंत्रता के मूल्य, वर्तमान कार्यभारों और भावी चुनौतियों से परिचित कराने के लिए तैयार किये गये हैं । इन पाठ्यक्रमों में सुभाष चन्द्र बोस और आई० एन० ए० द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में अदा की गई भूमिका का भी उल्लेख होगा ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जीवनी

3727. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विख्यात विद्वानों की सहायता से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की प्रामाणिक जीवनी लिखने की कोई योजना बनाई है या बनायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : सरकार ने हिन्दी में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जीवनी प्रकाशित की है । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने भी "यंग इंडिया लाइब्रेरी" पुस्तकमाला के अन्तर्गत आई० एन० ए० के इतिहास पर एक पुस्तक प्रकाशित की है जो लगभग नेताजी की जीवनी है । सरकार "बिलडर्स आफ माडर्न इंडिया" पुस्तक माला में नेताजी की जीवनी प्रकाशित कर रही है और साथ में नेताजी अनुसंधान ब्यूरो, कलकत्ता की सहायता से नेताजी के चुनिन्दा पत्रों और लेखों को भी प्रकाशित कर रही है । उपरोक्त प्रकाशन-कार्य के अलावा विख्यात विद्वानों की सहायता से नेताजी की प्रामाणिक जीवनी लिखने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

स्वतन्त्रता के रजत जयन्ती समारोह के दौरान नेताजी के आजाद हिन्द आन्दोलन में राष्ट्रीय एकता की विरासत का निरुपण

3729. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता के रजत जयंती समारोह के दौरान नेताजी के आजाद हिन्द आन्दोलन में राष्ट्रीय एकता की विरासत का भारतीय जनता के समक्ष निरुपण किया जाएगा ;

(ख) क्या इस अवसर पर नेताजी के जीवन, उनके क्रियाकलापों और आदर्शों पर भी पर्याप्त रुप से प्रकाश डाला जायगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा और समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (ग): शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के जरिये अंग्रेजी तथा तमिल में "भारतीय राष्ट्रीय सेना की कहानी" के संबंध में एक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक को सुभाष चन्द्र बोस की जीवनी तथा उनके कार्य कलापों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय सेना के उत्साह तथा बलिदान के विषय में नव-युवकों को अवगत कराने के लिये तैयार किया गया है। इस पुस्तक का अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी अनुवाद किया जायेगा।

ये पुस्तकें राजा राममोहन राय पुस्तकालय संगठन के जरिए जिला पुस्तकालयों को संवितरित की जाएंगी और आखिरकार गांव को पढ़ने वाली जनता तक पहुंच जायेंगी।

भारत की स्वतंत्रता की पच्चीसवीं वर्षगांठ के एक भाग के रुप में यह मंत्रालय आई० एन० ए० का प्रमाणित इतिहास निकालने का विचार कर रहा है। यह पुस्तक भी सभी प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध कराई जायेगी।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की वीथी जिसे इसी समारोह वर्ष के दौरान ही स्थापित करने का प्रस्ताव है, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जीवनी तथा उनके कार्यकलापों और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद हिंद फ़ौज की भूमिका पर प्रकाश डालेगी।

अन्य देशों की तुलना में भारत में चीनी की उत्पादन लागत

3730. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य चीनी उत्पादक प्रमुख देशों की तुलना में देश में चीनी की वर्तमान उत्पादन लागत क्या है तथा अन्य देश की तुलना में भारत में अधिक उत्पादन लागत के क्या कारण हैं; और

(ख) भारत में चीनी की उत्पादन लागत तथा चीनी के औसत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में इस समय कितना अन्तर है तथा वर्ष 1971-72 के दौरान चीनी के निर्यात से चीनी उद्योग को वार्षिक कितनी हानि उठानी पड़ी और वर्तमान वचनबद्धता के अनुसार वर्ष 1972-73 में चीनी के निर्यात से अनुमानत: कितनी हानि होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख) : इस देश तथा अन्य प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में चीनी के उत्पादन की मौजूदा लागत के बारे में कोई तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य तथा मूल्य अनुसूचियों और टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित अन्य वृद्धि जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पूंजी पर लाभ के रूप में 10.50 रुपये प्रति क्विंटल की गुंजाइश शामिल है, के आधार पर चीनी के उत्पादन की मौजूदा लागत को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3528/72]**

अन्य देशों की तुलना में भारत में चीनी के उत्पादन की ऊंची औसत लागत होने के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) गन्ने की खेती के लिए छोटी जोत का होना और उसके फलस्वरूप गन्ने के उत्पादन की अधिक लागत होना।

(2) गन्ने की प्रति हैक्टर कम पैदावार।

(3) गन्ने की घटिया किस्म।

(4) गन्ने की उपलब्धता का मौसमी स्वरूप।

(5) अधिकांश चीनी मिलों में पुराने संयंत्र और मशीनरी का होना।

(6) प्रति यूनिट कुल मिलाकर अपेक्षाकृत कम क्षमता।

जनवरी, 1972 से जुलाई, 1972 तक की अवधि के लिए लंदन डेली प्राइसेस जो कि चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के सूचकांक के रूप में है, की औसत 69.37 पौंड (1,334 रुपये) प्रति मी० टन लागत भाड़ा सहित ब्रिटेन, बैठती है ।

चीनी का निर्यात पंचांग वर्ष के आधार पर किया जाता है। 1971 में किए गये निर्यात से 9.5 करोड़ रुपये की हानि हुई थी जिसे भारत सरकार ने वहन किया था। 1972 के निर्यात से अनुमानित हानि लगभग 3 करोड़ रुपये के आस-पास हो सकती है जिसे चीनी उद्योग वहन करेगा।

वर्ष 1971-72 और 1972-73 में चीनी उद्योग को हुई हानि और लाभ

3731. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग को चीनी के नियंत्रित कोटे से कितनी वार्षिक हानि होती है और इसमें से कितनी हानि को चीनी को खुले बाजार में बिक्री से पूरा किया जाता है और वर्ष 1971-72 के दौरान उद्योग को कितना शुद्ध लाभ हुआ और 1972-73 में इस उद्योग को कितना लाभ होने की सम्भावना है; और

(ख) गत तीन वर्षों में नियंत्रित चीनी के मूल्य में और खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस पूर्वानुमान के आधार पर कि गन्ने का अधिसूचित न्यूनतम मूल्य दिया जाता है, लेवी चीनी के लिए निर्धारित मूल्य से उद्योग को कोई हानि नही होनी चाहिये। वस्तुत: इस में पूंजी पर 10.50 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ भी शामिल होता है। मुक्त बिक्री की चीनी से होने वाली अतिरिक्त प्राप्ति से उत्पादक जो कोई अतिरिक्त खर्च करता है जिसमें गन्ने के लिए अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करना शामिल है, पूरा हो जाने की आशा है। 1971-72 के मौसम में समूची उत्पादित चीनी के बिक जाने के बाद ही उद्योग को हुए निवल लाभ का हिसाब लगाया जा सकता है। 1972-73 के दौरान उद्योग की सम्भावी कमाई का हिसाब लगाना जल्द-बाजी होगी क्योंकि इस वर्ष की चीनी नीति अभी भी विचाराधीन है।

(ख) छ: प्रमुख केन्द्रों पर 1968-69 (अक्तूबर-सितम्बर) से आगे चीनी के महीने के अन्त में (शुक्रवार) थोक मूल्य (नियन्त्रित तथा मुक्त चीनी) बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3529/72]**

कृषि-आय पर कराधान हेतु कृषि उत्पादों की उत्पादन-लागत का अध्ययन

3732. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-कृषि आय के समान कृषि आय पर कराधान हेतु कृषकों द्वारा अर्जित वास्तविक आय को ठीक से निर्धारित करने के लिये विभिन्न कृषि उत्पादों की उत्पादन-लागत हाल में मालूम की गई है ;

(ख) विभिन्न कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में इस प्रकार मालूम की गयी प्रति क्विंटल उत्पादन-लागत क्या है ; और

(ग) इस समय प्रत्येक कृषि उत्पाद पर किसानों को अनुमानत: कितना लाभ होता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) से (ग): आय-कर अधिनियम, 1961 में कृषि आय पर कर लगाने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अत: जहां तक वर्तमान आय-कर अधिनियम का सम्बन्ध में, कृषि आय पर गैर-कृषि आय के समान कर लगाने की दृष्टि से कृषकों द्वारा अर्जित वास्तविक आय के ठीक ठीक निर्धारण का प्रश्न ही नहीं होता।

फिर भी, मूल्य नीति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न राज्यों में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों की उत्पादन लागत के आंकड़े एक योजना के अधीन एकत्र किये जा रहे हैं। ये आंकड़े उपलब्ध होने पर अन्य कार्यों के लिये भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं।

विदेशी सरकारों/एजेंसियों द्वारा उपहारस्वरूप दिये गये ढोर

3733. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी सरकारों/विदेशी एजेंसियों द्वारा राज्यवार उपहार स्वरूप दिये गये ढोरों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) गत तीन वर्षों में आयात किये गये अथवा विदेशों से उपहारस्वरूप प्राप्त हुए ढोरों में से कितने बीमारी के कारण बाद में मर गये ; और

(घ) इस मामले में शीघ्र कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों से भेंट में प्राप्त 1,241 विदेशी पशु संलग्न विवरण के अनुसार विभिन्न राज्यों में वितरित किए गए। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3530/72]**

(ख) आस्ट्रेलिया और डेनमार्क,सरकारों द्वारा भारतीय हवाई अड्डे/पत्तन पर रेलपर्यन्त निःशुल्क भेंट स्वरूप 739 पशु सप्लाई किए गए थे। ब्रिटेन और अमरीका के विदेशी अभिकरणों से भेंट के रूप में प्राप्त हुये 410 पशुओं के परिवहन प्रभार को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय हुये 12,40,500.00 रुपये की राशि देने और आस्ट्रेलिया की विदेशी अभिकरण से प्राप्त हुये 92 पशुओं के परिवहन प्रभार के लिए भारतीय मुद्रा में 2,50,136.65 रुपये दिए गये थे।

(ग) और (घ): राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और पूरा उत्तर प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश में कृषि के विकास की योजना

3734. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तेलंगाना (आन्ध्र प्रदेश) में कृषि के विकास के लिए किसी व्यापक योजना पर विचार किया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार पिछड़े क्षेत्रों के लिए ऐसी योजनायें क्यों नहीं बनाती ; और

(ग) क्या ऐसी योजनाओं को पांचवीं योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के रूप में शामिल की जाएंगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे):(क) राज्य योजना के रूप में तेलंगाना में कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस क्षेत्र के लिये केन्द्र की कोई अलग योजना नहीं है।

(ख) तथा (ग): इस समय कृषि, सिंचाई तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के स्टीरिंग ग्रुप तथा कई कार्यकारी दल/उप दल पंचम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों तथा नीति सम्बन्धी मामलों, जिन पर विचार किया

जाना है, के निरूपण में लगे हुए हैं। पिछड़े क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिये अपनाई जाने वाली नीति पर पर्याप्त ध्यान दिया जायगा। अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि पंचम योजना में इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना होगी।

आन्ध्र प्रदेश में गन्ने की उपज तथा उसके उत्पाद

3735. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की अपेक्षा आन्ध्र प्रदेश में गन्ने की उपज तथा उसके उत्पाद की मात्रा अधिक होती है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में और अधिक चीनी के कारखाने खोलने के उपाय न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य में बाजारों में गुड़ के बहुतायत को ध्यान में रखते हुए 'गुड़' के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) उत्तर प्रदेश के मुकाबले में आन्ध्र प्रदेश में गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार अधिक होती है लेकिन उत्तर प्रदेश के मुकाबले में आन्ध्र प्रदेश में गन्ने का कुल उत्पादन कम होता है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में 9 नये चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए आशय पत्र/लाइसेन्स जारी कर दिए गए हैं और 4 अन्य आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(ग) जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक डाक्टरों को प्रोत्साहन

3736. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :**
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार 5,000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक डाक्टरों को प्रोत्साहन देती है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों ने ऐसा अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग): केन्द्रीय सरकार दूरवर्ती, पिछड़े और दुर्गम समझे जाने वाले 400 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता देती है जिस से वे उन्हें 150 रुपये प्रति मास भत्ता दे सकें।

गांवों में काम करने की ओर डाक्टरों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें निम्नलिखित कदम उठा रही हैं :—

(1) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में काम करनेवाले डाक्टरों का एक ही काडर बनाना;

(2) ग्राम भत्ता, परिवहन सुविधाएं, मुफ्त सुसज्जित मकान, सुरक्षित जलपूर्ति, बिजली आदि सभी प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना ;

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भौतिक सुविधाओं, विशेषकर इमारतों, रिहायशी मकानों आदि में सुधार करना;

(4) देहातों में काम करने के इच्छुक सेवा-निवृत डाक्टरों को दुबारा नौकरी पर लगाना;

(5) अग्रिम वेतन-वृद्धियों की स्वीकृति देना;

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बड़ी मात्रा में दवाइयों और दूसरे सामान की व्यवस्था करना। कुछ राज्यों ने चिकित्सा छात्रों को कुछेक वर्षों तक ग्राम क्षेत्रों में सेवा हेतु बाध्य करनेके लिए छात्रवृत्तियां/वज़ीफा देने की पेशकश की है।

(7) विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग कर ग्राम क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य देख-रेख सम्बन्धी सुविधाओं को सुदृढ करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

पांचवी योजना के दौरान तीन हजार की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था

3737. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के दौरान 3,000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षत्रों में पीने के पानी, सफाई, स्वास्थ्य क्लिनिकों और परिवार नियोजन केन्द्रों की न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी;

(ख) क्या राज्यों को इस आशय के आदेश जारी किये जायेंगे; और

(ग) क्या ऐसे केन्द्रों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष सहायता दी जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० बी० चट्टोपाध्याय): (क) पांचवी योजना के अन्तर्गत गांवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं देने के विचार से प्रति 30,000 की आबादी वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रति 5,000 की आबादी वाले क्षेत्र में एक उप केन्द्र खोलने की योजना का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत पेय जल पूर्ति, सफाई एवं मलनिष्कासन, चिकित्सा सहायता तथा परिवार नियोजन सेवाओं आदि की व्यवस्था होगी।

(ख) और (ग): पांचवी योजना को अन्तिम रुप दिये जाने के बाद राज्य सरकारों को यथोचित रुप से सूचित कर दिया जायेगा।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुछ फर्मों के साथ रियायत

3738. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरसों के तेल की खरीद के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की कुछ फर्मों के साथ अनुचित रियायत की थी;

(ख) क्या इस प्रकार की शिकायतें भी की गयी हैं कि भारतीय खाद्य निगम प्राइवेट पार्टियों से चीनी ऊंची दरों पर खरीदता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख): सरकार को उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए सरसों के तेल और चीनी के बारे में कुछेक शिकायतें मिली है ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो या अन्य कोई व्यक्ति इन आरोपों की जांच कर रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौथी योजना में शामिल वन-संसाधनों सम्बन्धी प्रस्तावों को कार्य रूप देना

3739. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में शामिल देश के वन-संसाधनों सम्बन्धी प्रस्तावों को कार्य रूप देने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ख) इन पर अब तक कितना व्यय किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख): चतुर्थ योजना के दौरान वनों पर आधारित मुख्य उद्योगों के विकास के लिये कच्चे माल की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए, दो योजनायें (1) वन संसाधनों के निवश-पूर्व सर्वेक्षण और (2) वन संसाधन सर्वेक्षण जारी हैं। तीसरी योजना के दौरान वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/खाद्य और कृषि संगठन/भारत सरकार परियोजना के रूप में 'वन संसाधनों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण' विषयक एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरम्भ की गई और अक्तूबर, 1968 में पूरी हो गई । चतुर्थ योजना के दौरान इस योजना को 160 लाख रुपये के परिव्यय सहित भारत सरकार की परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है । वर्ष 1969-70 से 1971-72 के दौरान 81.65 लाख रुपये खर्च किये गये । वर्ष 1972-73 के लिए 32.80 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

इस परियोजना के अन्तर्गत, देश में जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह और उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों के वनों में कच्चे माल की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत हवाई सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में तेजी से सूचियां बनाने का कार्य भी आरम्भ किया जायगा ।

"वन संसाधनों सर्वेक्षण" एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और वर्ष 1968-69 से जारी है । चतुर्थ योजना अवधि के दौरान इसके लिए 139 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तर्गत, वनों पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए वनों में कच्चे माल की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए, विभिन्न राज्यों द्वारा क्षेत्र नमूना सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक 57.03 लाख रुपये खर्च किये गये और वर्ष 1972-73 में इस योजना के लिये 20.00 लाख रुपये रखे गये हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनुसचिवीय पद

3740. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अनुसन्धान पक्ष के अनुसचिवीय पदों पर सरकारी पक्ष के कितने कर्मचारी नियुक्त हैं और प्रत्येक मामले में ऐसी नियुक्ति की तारीख क्या क्या है; और

(ख) परिषद् के अनुसन्धान पक्ष के कर्मचारी कितने सरकारी पक्ष के पदों पर नियुक्त हैं; और यदि नहीं तो (i) केवल एक वर्ग के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के मामले में भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं; और

(ii) स्वायत्तशासी भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से सरकारी कर्मचारियों/प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को अपने स्वयं के संवर्गों/विभागों को वापस भेजने/स्थानान्तरित करने के लिए और खाली होने वाले पदों पर परिषद् के अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तेइस । प्रत्येक को नियुक्ति तिथि नीचे दी गई है :

(1) 17-10-69, (2) 27-1-70, (3) 27-2-70, (4) 6-3-70, (5) 12-3-70, (6) 25-3-70, (7) 22-7-70, (8) 14-8-70, (9) 14-4-71, (10) 4-6-71 (अप्राहन); (11) 24-6-71, (12) 1-10-71, (13) 1-11-71, (14) 6-11-71, (15) 24-11-71, (16) 6-12-71, (17) 25-1-72, (18) 1-3-72, (19) 5-4-72, (20) 5-5-72, (21) 17-5-72, (22) 26-5-72, (23) 1-7-72 ।

(ख) कोई नहीं ।

(i) और (ii) ऊपर दिए गए तेइस पद लेखा-परीक्षा और लेखा के सम्बन्ध में हैं तथा संबन्धित कार्य विशेष प्रकार का है । अतः इन पदों पर भर्ती भारतीय सेवा परीक्षा तथा लेखा विभाग के उपयुक्त व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है । इस प्रकार भेद भाव का कोई मामला नहीं है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिये फोरम

3741. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिये संयुक्त सलाहकार मशीनरी आदि जैसा कोई सरकारी फोरम नहीं है जिसकी भारत के संविधान और सरकारी नियमों में व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, यह स्थिति कब से है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई अन्य व्यवस्था है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग): केन्द्रीय सरकार की संयुक्त सलाहकार मशीनरी तथा अनिवार्य पंच निर्णय योजना के सूत्रपात से पहले लागू स्टाफ कौंसिलों की योजना मुख्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विभिन्न संस्थानों में अपनाई गयी थी ।

पर्याप्त संख्या में नामांकन पत्र न आने से सन 1970 में मुख्यालय में स्टाफ कौंसिल गठित करने के लिये चुनाव नहीं कराया जा सके, और तब यह निश्चय किया गया कि स्टाफ कौंसिल का गठन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन पूर्ण होने के उपरान्त ही किया जाये ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय में सरकारी कर्मचारियों के विकल्पों की अन्तिम स्वीकृति है उपरान्त, 1-2-1972 से, मुख्यालय में पुनः स्टाफाकौंसिल प्रारम्भ करने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । 24 संस्थानों/स्टशनों/केन्द्रों में स्टाफ कौंसिलो की स्थापना कर दी गई है । शेष सात संस्थानों में स्टाफ कौंसिलों की स्थापना के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

मुख्यालय के सरकारी पक्ष के कर्मचारी कृषि विभाग के अन्तर्गत संयुक्त सलाहकार मशीनरी तथा अनिवार्य पंच निर्णय योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

इम्पीरियल (अब भारतीय) कृषि अनुसन्धान परिषद् की स्थापना सम्बन्धी केन्द्रीय विधान मण्डल का अधिनियम

3742. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पीरियल (अब भारतीय) कृषि अनुसन्धान परिषद् की स्थापना की व्यवस्था करने वाला अधिनियम केन्द्रीय विधान मण्डल द्वारा बनाया गया था जिसका उल्लेख 'भारत में कृषि अनुसंधान, संस्थान तथा संगठन' नामक पुस्तक की प्रस्तावना में किया गया है जो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिष द्वारा 1958 में प्रकाशित की गई थी; और

(ख) यदि हां, उस अधिनियम का नाम और उसके अधिनियमन का वर्ष कौनसा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के अन्तर्गत वर्ष 1929 में की गई थी और इसे सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत एक सोसायटी के रूप में रजिस्टर किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय स्थापित करना

3743. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय स्थापित करने का केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो के कार्यालय की शाखा खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। केरल सरकार ने भी भारत सरकार से शाखा खोलने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया है।

(ख) शाखा कार्यालय कोचीन पत्तन में नौवहन स्थान, भाड़ा दर, जलयात्राओं की बारम्बारता के बारे में व्यापारियों की समस्याओं को हाथ में लेगा।

(ग) मामला विचाराधीन है।

दो राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिये बिहार सरकार की सहायता

3744. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे की :

(क) क्या बिहार सरकार ने एक राष्ट्रीय राजपथ रांची से गुमला होते हुये भोपाल तक और दूसरा बोकारों से रांची चाईबासा होते हुये भुवनेश्वर तक बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है।

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार ने कितनी सहायता का अनुरोध किया है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतया केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिये किसी सहायता के मांगने या देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हाल ही में, बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है कि भारत सरकार कुछ राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करें, जिनमें अन्य सड़कों के साथ साथ गुमला होकर रांची-भोपाल सड़क और रांची-चौबासा-भुवनेश्वर सड़क शामिल हैं।

बोकारों पहले ही से रांची और भुवनेश्वर के साथ मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है।

राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि मौजूदा राष्ट्रीय राज मार्ग पद्धति में और सड़कों को शामिल करने के लिए चतुर्थ योजना में की गई व्यवस्था में से 4,819 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें पहले ही से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की जा चुकी हैं जिनमें लगभग 250 किलोमीटर लम्बी सड़क बिहार की भी शामिल है। अतः बिहार सरकार के उपर्युक्त प्रस्तावों सहित ऐसे सभी अतिरिक्त प्रस्तावों को तब तक विचारार्थ स्थगित रखना होगा जब तक कि पांचवीं योजना के लिए प्रस्ताव तयार नहीं किये जाते।

बिहार विश्वविद्यालय में आर्थिक संकट

3745. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विश्वविद्यालय में ऐसी आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो चुकी हैं कि उसकी समुचित मांगों की पूर्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बिना विशिष्ट सहायता के नहीं हो सकती हैं;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछले दो विशेष वर्षों में इस विश्वविद्यालय को कितनी राशि की सहायता दी गई;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति पर कभी प्रतिवेदन मांगे हैं अथवा इस संबंध में उन्हें किसी की ओर से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय की मालो हालत ऐसी नहीं है, जिससे वह अपनी न्याय संगत जरूरतों पूरा कर सके। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केवल विकास संबंधी अनुदानों की व्यवस्था करता है और उनके अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की है।

(ख) 1970-71 . . . . 11,13,667 रु०

1971-72 . . . . 16,54,500 रु०

(ग) और (घ) : राज्य सरकारने, बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में, सांविधिक अनुदानों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने विश्वविद्यालय की मालो हालत के बारे में रिपोर्ट प्राप्त कर ली है, और वह इस प्रश्न पर ब्यौरेवार विचार कर रही है।

पांचवी योजना के लिए शिक्षा मंत्रालय की योजनाएं

3746. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कार्यक्रम और प्रस्ताव तैयार किए हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रुपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : पांचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का 18-19 सितम्बर, 1972 को होने वाली अपनी बैठक में व्यापक रूप-रेखाओं पर विचार करने की संभावना है। उसके बाद राज्य/संघ शासित क्षेत्रों और योजना-आयोग के परामर्श से विस्तृत योजनाएं तैयार की जाएंगी ।

Installation of Khas-ki-Tattis in Central Government Offices in Madhya Pradesh

3747. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the amount of annual expenditure incurred on installation of 'Khas-ki-tattis' in Central Government offices in Madhya Pradesh during the last three years;

(b) whether these are prepared departmentally or on contract basis; and

(c) whether the said expenditure is borne by the respective offices or by Government?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) to (c) : Khas-ki-Tatties are installed in the Central Government offices according to individual needs. The Khas-ki-Tatties, are generally got installed on contract basis. The expenditure which varies from year to year is met by the respective Department/ office out of its own contingency and consequently the figures of actual expenditure incurred by them are not made available to the Ministry of Works and Housing.

Lesser Supply of Fertilizer to Madhya Pradesh

3748. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh has been supplied lesser quantity of fertilisers during the year 1970-71 and upto 30th April, 1972 as compared to other States; and

(b) if so, whether Government propose to distribute fertilisers to States on the basis of their population ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) No, Sir. The supplies of fertiliser made by the Govt. of India from the Central Fertiliser Pool to Madhya Pradesh State during the period in question compared favourably with the supplies made to various States in the country as a whole.

(b) No, Sir. It will not be correct to distribute fertiliser on the basis of population. While assessing the allotment of fertiliser to be made to various State Governments etc. from the Central Fertiliser Pool, the estimated consumption of the States is determined in the light of past trends and future programme. From this, the supplies anticipated to be made by domestic manufacturers located in different areas is deducted, in order to assess the residual requirements from the Central Fertiliser Pool. Other factors like variations in the seasons, transportation and distribution logistics, etc., are also taken into account.

Funds allocated for Welfare of Tribal Areas of Chhatisgarh(Madhya Pradesh)

3749. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make use of the funds allocated for the welfare of tribal areas of Chhatisgarh (Madhya Pradesh) under the direction of Central Government; and

(b) if so, the main points thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D. P. Yadav) : (a) & (b) : Government of India allocates Plan funds for welfare of Scheduled Tribes to the State Governments Statewise and not region-wise, in accordance with the general directions laid down for the Centrally sponsored schemes. No directions have, therefore, been given by the Government of India for implementation of these schemes in the Chhatisgarh region of Madhya Pradesh.

Central Grant to M. P. for mechanised farming

3750. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount provided by the Central Government to the Government of Madhya Pradesh for 1972-73 for mechanised farming by small and marginal farmers; and

(b) the amount provided during the last year and the amount spent and the names of districts benefited thereby?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) No separate provision has been made by Government for mechanised farming for small and Marignal Farmers in Madhya Pradesh. However, under the two Central Sector Schemes, for the developement of small and marginal farmers in the districts of Bilaspur, Chhindwara, Ratlam, Ujjain, Durg and Raisen-Sehore in M.P., subsidies are provided for custom service facilities at concessional rates on the fields of small/marginal farmers for preparation of land for cultivation, tractorisation, harvesting, threshing, etc. as also for plant protection measures with power sprayers etc. The rates ate subsidised to the extent of 25% in the case of small Farmers and 33-1/3% in the case of Marginal Farmers, provided such custom service operations are done through State Departments or the Agro-Industries Corporation or other approved agencies.

In order to encourage the Panchayats/Cooperatives to set up custom service centres on a community basis with assistance from the SFDA/ MFAL projects, the Government has recently decided that these agencies may subsidise the cost of equipment etc. up to 50% provided the selected institutions who run the custom centres charge concessional rates from the Small and Marginal Farmers for hiring the equipement and service for the project period. The total subsidy from each Agency in such a case will be imited to Rs. 2.00 lakhs, for the project period.

(b) No specific provision was made by the Government of India during the last year for mechanised farming for Small and Marginal Farmers in M.P.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों को अलाट करने में और उनकी रजिस्ट्री करने में विलम्ब

3751. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तुरन्त अदायगी के आधार पर बेचे गये फ्लैटों को अलाट करने और उनकी रजिस्ट्री करने में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत विलम्ब किया जा रहा है और इससे अलाटियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, क्या फ्लैट खरीदने के लिए सरकार से ऋण लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की नियमों के अनुसार तीन महीने के अन्दर फ्लैट का कब्जा लेना होता है तथा उसे गिरवी रखना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अलाटियों पर कुछ भी बकाया न रहने पर फ्लैटों को अलाट करने और उनकी रजिस्ट्री करने में शीघ्रता करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को परामर्श देने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) आबंटियों के हक में हस्तान्तरण-पत्र के निष्पादन में दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से देरी तथा परिणामस्वरूप बने बनाए फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन में देरी की सूचना सरकार को मिली थी। इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए रेहननामे का एक विशेष फार्म जुलाई 1971 में बनाया गया, जो ऐसे फ्लैटों के आबंटियों द्वारा ऋण की अदायगी के जमानत के रूप में राष्ट्रपति के नाम सम्पत्ति रेहन रखने के लिए प्रयोग में लाया जाना है।

(ख) जी, हाँ। तथापि विभागाध्यक्ष सुपात्र मामलों में इस अवधि को बढ़ाने में सक्षम हैं।

(ग) शिकायतें प्राप्त होने पर मामले पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को लिखा गया, जिन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे निलम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में बच्चों के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य देख-रेख प्रायोगिक परियोजना

3752. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण तथा उनके स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए राजधानी में आरम्भ की गयी प्रायोगिक परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्य पर वार्षिक कितनी राशि खर्च की जायेगी;

(ग) अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) इस कार्य के लिए कितने 'स्टाल' बनाये गये हैं तथा प्रत्येक की निर्माण-लागत कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने 29 जुलाई 1972 से स्कूल-पूर्व-आयु के बच्चो को पौष्टिक और संतुलित आहार देने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ कर दी है ताकि 300 रुपये प्रतिमास और उससे कम वेतन पाने वाले निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों के एक से पांच वर्ष की आयु वाले बच्चे इसके अन्तर्गत आ सकें। पंचकुई मार्ग, मंदिर मार्ग, पेशवा मार्ग और बेड़ मार्ग से घिरे इलाके में, जिसके अन्तर्गत 41,388 परिवार हैं, इस योजना के उपयुक्त बच्चों और धाय/गर्भवती स्त्रियों का एक सर्वेक्षण किया गया। इस योजना के अन्तर्गत उपयुक्त पाए गए 1,587 बच्चों और 367 धाय/गर्भवती स्त्रियों को टोकन जारी किए गए। दूध और डबल रोटी की सप्लाई करने के लिए क्रमशः दिल्ली दुग्ध योजना और मॉडर्न बेकरीज के साथ प्रबन्ध कर लिया गया है।

(ख) इस समिति ने इस परियोजना के अन्तर्गत पौष्टिक आहार की सप्लाई के लिए 7.50 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

(ग) यह परियोजना सुचारु रूप से चल रही है और इसके कुछ महीनों तक कार्य करने के बाद ही केवल उल्लेखनीय उपलब्धियों का पता चलेगा।

(घ) इस कार्य के लिए छः वितरण केन्द्रों का निर्माण कर दिया गया है और इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका के केन्द्रीय रसोईघर में दो मौजूदा कमरे इस कार्य के लिए मांग लिए गए हैं। नव निर्मित स्टालों/केन्द्रों की लागत लगभग 4,500 रुपये प्रति केन्द्र है।

पटना नगरके लिए गन्दी बस्ती हटाओ योजना

3753. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि;

(क) क्या पटना नगर बिहार की राजधानी होने के बावजूद सब से गन्दा शहर है;

(ख) क्या सम्पूर्ण शहर गन्दी बस्ती के रूप में परिणत हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने गन्दी बस्ती हटाओ योजना के अन्तर्गत पटना नगर की सफाई के लिए उन्हें कोई योजना भेजी है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां

(ख) से (घ) : नगरीय क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों का बनना सीधा जनसंख्या में वृद्धि से सम्बन्धित है। शहरों में, जिसमें पटना नगर शामिल हैं, नगरीय जनसंख्या के तेज़ी से बढ़ने के परिणामस्वरूप अपर्याप्त शहरी मकानों की तथा गन्दी बस्तियों में वृद्धि की समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना से गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना राज्य-क्षेत्र में हैं। ऐसी योजनाओ के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य की योजनाओं के लिये खण्ड ऋणों और अनुदानों में सम्मिलित की जाती है। गन्दी-बस्ती उन्मूलन योजना के लिये पृथक रूप से कोई केन्द्रीय सहायता निर्धारित नहीं की जाती। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार गन्दी बस्ती उन्मूलन के अपने कार्यक्रमों के लिये निधियां निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं। इसलिये पटना तथा बिहार के दूसरे शहरों में गन्दी-बस्ती-उन्मूलन की योजनाओं को उनको इस सलाह के साथ वापिस कर दिया गया है कि राज्य योजना के लिए किए गए नियतन में से उन्हें उनकी अर्थ-व्यवस्था करनी चाहिए।

Post of Director and Joint Director of N.C.E.R.T.

3754. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) Whether Government have prescribed some qualifications for the posts of Director and Joint Director of N.C.E.R.T.; if so the nature there of;

(b) Whether the present Director is fully eligible in regard to the qualifications prescribed for the post; and

(c) The reasoms for the post of Joint Director lying vacant for such a long time and he time by which Government propose to fill it up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a), tc (c): Director N.C.E.R.T., is of the status of a Vice-Chancellor of Central University and for such posts qualifications as such are not prescribed. The Selection Committee appointed for recommending suitable names usually obtain names of eminent educationists and scientists from State Governments, Government Departments, Universities etc. The present Director was recommended by a Selection Committee appointed by the President of the Council after considering 21 names suggested for the post.

As regards the Joint Director, N. C. E. R. T., applications were invited by advertisement from educationists and/or educational administrators. The Selection Committee for the Joint Director's post recommended the name of Dr. S. K. Mitra on 25-11-69. Before he could accept the offer, Dr. S. K. Mitra had to proceed on extra-ordinary leave to work as Professor of Psychology, Calcutta University. He is expected to join the post on 1st September, 1972.

Irregularities in Appointments in N. C. E. R. T.

3755. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Enquiry Committee set up to go into the irregularities appointments in the National Council of Educational Research and Training has submitted its recommendations to Government, if so, the main recommendations made therein;

(b) whether the Committee has expressed apprehensions in regard to the acitivities of the Director of the said Institution; and

(c) whether Government propose to lay a copy of the said report on the Table of the House?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (c) : Yes, Sir. The Committee has submitted its report, which is under the consideration of the Government. Until orders are issued on the recommendations, the report is being treated as confidential. Copies of the report will be placed in the Parliament Library in due course in accordance with the practice followed in such cases.

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन में अधिकारियों के पदनाम

3756. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन (एन० सी० ई० आर० टी०) विश्वविद्यालय अथवा कालेज की भांति एक अध्ययन और अनुसंधान संस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके अधिकारियों को प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर के पदनाम देने का क्या औचित्य है ;

(ग) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इस मामले में असंगतियां हैं और यदि हां, तो असंगतियों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, जैसा इसके नाम से स्पष्ट ही है, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण दोनों कार्यकलापों करती है। इस उद्देश्य के लिये, यह राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, प्रादेशिक शिक्षा कालेज, बहुद्देश्यीय-तथा-निदर्शन-स्कूलों आदि जैसे कुछ शक्षणिक संस्थानों को चलाती है। शैक्षणिक कर्मचारी इन्हीं संस्थानों में ही हस्तान्तरणाय है। इस दृष्टि से ही प्रोफेसरों, रीडरों और प्राध्यापकों सें पदनामों को अपनाया गया है। रा० शि० अनु० तथा प्रशि० परिषद् की कार्यकारी समिति ने परिषद् के विभिन्न पदों के पदनामों और वेतनमानों को सरल और कारगर बनाने से संबंधित प्रश्न पर अभी हाल ही में विचार किया है। यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में नियुक्त अधिकारियों के लिए प्रोफेसरों, रीडरों तथा प्राध्यापकों के पदनामों को बनाये रखा जाये। यह भी निर्णय किया गया है कि उनकी योग्यताएं तथा वेतनमान यथासंभव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश की गयी योग्यताओं तथा वेतनमानों पर ही आधारित हों।

Effect of Costly Text Books on Spread of Primary Education

3757. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether all the students in the country are not able to purchase textbooks on account of financial stringency;

(b) whether the publication of costly prescribed text-books on a large scale is hampering the spread of primary education; and

(c) if so, steps taken in this matter by the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (c) : It is true that due to financial reasons many students are not able to purchase textbooks at all levels of education However, many States have schemes for supplying free tex tbooks to poor and deserving school children. Recently, the Govt. of India have sanctioned Rs. 26,99,982 in 1971-72 for the supply of free textbooks to about 9 lakhs children @ Rs. 3 per child and Rs. 44,99,970 in 1972-73 for the supply of free textbooks to the same number of children @Rs. per child at the primary stage. The National Board of School Textbooks has also urged the State Governments to nationalise textbooks so as to mass produce such books on a "no profit no loss" basis. Most of the State Governments have nationalised school level textbooks and the cost of such books is kept to the minimum. Whenever possible gift paper is obtained from foreign countries and international organisations and supplied to State Governments to keep the prices of textbooks as low as possible. At the university stage also arrangements have been made to produce standard textbooks at very low cost. Government have also obtained three gift printing presses from the Federal Republic of Germany to augment the capacity for printing quality textbooks at the lowest cost. One press at Chandigarh has already started working and two others will soon be commissioned at Bhubaneswar and Mysore. It has also been recommended to State Governments that "textbook banks" may be maintained in schools and colleges so that textbooks could be given on loan to students.

Investigation on sale of Fertilisers in Andhra Pradesh

3758. **Shri K. Mallanna:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state.

(a) whether the investigation regarding the sale of fertilisers in Andhra Pradesh has since been completed;

(b) if so, the result thereof; and

(c) the reasons for not completing the investigation so far ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) : Investigation in respect of 33 claims submitted by seven firms has been completed and charge-sheets have been filed against all these firms under section 120-B read with 420 IPC, 420 IPC read with 109, 37 IPC, 467, 468 and 471-IPC read with Section 5(1)(d) of Prevention of Corruption Act, 1947.

It has also been decided to file charge sheets against four public servants for offences under section 5(2) read with 5(1) (d) of Prevention of Corruption Act 1947 and also under section 477-A IPC in the case of two of them. Investigations regarding other parties are still proceeding.

(c) Delay in completing investigation has been due to the following reasons :

(i) Absence of any specific complaint regarding suspicious transportation claims, necessitating initial scrutiny of numerous records to identify road transportation claims of suspect firms. About 3000 transportation claims were involved during the period 1966-69. After scrutiny, 192 claims submitted by 31 firms involving 3368 vehicles were initially selected. 33 claims, involving 7 firms were finally taken up for concentrated and intensive investigation.

(ii) Time taken in procuring records and documents from various agencies, official and non-official, and scrutiny of voluminous records seized.

(iii) Verification of movements of hundreds of vehicles allegedly used. Investigation had to be made as to whether they were genuine transport vehicles. It was also necessary to check movements during the relevant period, study checkposts, Registers en-route, verification of transport receipts produced, interrogation of transport authorities, operators, drivers etc.

(iv) Widespread nature of investigations covering the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Maharashtra.

सरोजिनी नगर के 'आई०' ब्लाक में क्वार्टरों का आगे किराए पर चढ़ा जाना

3759. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि सरोजिनी नगर (भूतपूर्व विनय नगर) में सरकारी कर्मचारियों ने अपने क्वार्टरों को सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त गैर-सरकारी लोगों को आगे किराये पर दे रखा है ;

(ख) 'आई०' ब्लाक में ऐसे कितने अलाटी हैं जिन्होंने अपने क्वार्टर गैर-सरकारी कर्मचारियों को आगे किराये पर दे रखे हैं;

(ग) कितने मामलों में इसके लिए सरकार की अनुमति प्राप्त की गई थी; और

(घ) दोषी अलाटियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) सरोजिनी नगर में आवंटियों द्वारा मकानों को उप-किराए पर देने के बारे में सम्पदा निदेशालय में केवल कुछ ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 1-1-1971 से 21-8-1972 तक की अवधि के दौरान कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई। इन में से 11 शिकायतें गुमनाम/छद्मनाम पाई गई तथा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। एक मामले में उप-किरायेदारी सिद्ध नहीं हुई तथा शेष 4 मामलों पर अभी जांच जारी है।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित अवधि के दौरान 'आई०' ब्लाक में उप-किरायेदारी के किसी मामले की सूचना सम्पदा निदेशालय को नहीं मिली।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Resignation by Dr. K. R. Jagdish from Safdarjang Hospital, New Delhi.

3760. **Shri Jagnnathrao Joshi** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Dr. K. R. Jagdish, an expert in Paediatric Cardiology, resigned fron Safdarjang Hospital, New Delhi, due to frustration; and

(b) if so, the reasons therefor and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) & (b) : Dr. K. R. Jagdish, a regular General Duty Officer, Grade I of the Central Health Service and holding the post of Cardiac Surgeon in Safdarjang Hospital, New Delhi, on an *ad-hoc* basis tendered his resignation from Government service on 2-8-1971. In his letter of resignation, he expressed dissatisfaction in regard to the facilities available

for the development of Cardio-vascular Surgery Unit in the Safdarjang Hospital. No specific inadequacy, grievance or hardship was mentioned. As requested by him, his resignation was accepted with effect from the 14th August, 1971. The post of Cardiac Surgeon in the Safdarjang Hospital vacated by Dr. Jagdish has since been filled.

स्कूलों के बच्चों द्वारा मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली, पार करने के लिए ऊपरी पुल

3762. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मंदिर मार्ग, नई दिल्ली पर बहुत से स्कूल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मार्ग पर लगभग 10,000 स्कूली बच्चों के लिए सड़क पार करने के लिए कोई ऊपरी पुल/भूमिगत मार्ग नहीं हैं; और

(ग) क्या सरकार यह देखते हुए कि अधिकांश स्कूल सड़क के पश्चिमी छोर पर हैं इस सड़क पर, जो नई दिल्ली पालिका के क्षेत्राधिकार में है, कम से कम दो ऊपरी पुल बनाने पर विचार करेगी?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग): संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

1971-72 के दौरान अधिक उपज वाली किस्मों के अनाज के उत्पादन का लक्ष्य

3763. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान अधिक उपज वाली किस्मों के अनाज के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रम का लक्ष्य उत्पादन के आधार पर नहीं बल्कि आवृत किये जाने वाले क्षेत्र के आधार पर निश्चित किया जाता है । वर्ष 1971-72 का लक्ष्य 180 लाख हैक्टार था ।

(ख) 179.5 लाख हैक्टार तक ही लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है ।

तटीय जहाजरानी के लिये आवश्यक छोटे जहाजों का निर्माण

3764. **मौला इसहाक सम्मली :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय जहाजरानी के लिय आवश्यक छोटे जहाजों का इस समय देश में निर्माण नहीं होता है;

(ख) क्या ऐसे जहाजों की कमी के कारण तटीय जहाजरानी का विकास रुक जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में छोटे जहाजों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की सरकार की कोई योजना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम० मेहता) : (क) भारतीय शिपयार्डों की छोटे जहाजों की बनाने की क्षमता है ।

(ग) तटीय नौवहन का विकास इस समय इसलिये नहीं रुक जाता कि छोटे जहाजों की निर्माण क्षमता की कमी है बल्कि मुख्यत: निश्चित माल के अभाव के कारण रुक जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लेडी हार्डिग अस्पताल, नई दिल्ली, के कार्य की दशा

3765. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी हार्डिग अस्पताल, नई दिल्ली, में गर्भावस्था के दौरान जांच के लिए आने वाली महिलाओं को फर्श पर बैठने को कहा जाता है और वहां साधारण बैंचों की भी व्यवस्था नहीं है, स्नान-गृह तथा शौचालय भी बहुत गंदे और पुराने हैं और उन्हें नियमित रूप से साफ नहीं किया जाता;

(ख) क्या वहां सामान्य कार्य प्रणाली व्यवस्थित नहीं है और डाक्टर भोले-भाले ग्रामीण रोगियों से रूक्ष व्यवहार करते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं और उनकी परीक्षा ठीक से नहीं करते; और

(ग) क्या सरकार पूरे मामले की छानबीन करेगी और उपचारात्मक उपाय करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं । किसी भी रोगी को फर्श पर बैठने के लिये नहीं कहा जाता है । बैठने के लिये वहां काफी बैंच हैं—23 बैंच तो मुख्य प्रतीक्षालय में हैं और 18 प्रयोगशाला क्षेत्र में । इसके अतिरिक्त 15 बैंच परीक्षण क्षेत्र में हैं तथा प्रत्येक बैंच पर औसतन 6 रोगी बैठ सकते हैं । स्नानगृहों और शौचालयों को यथासम्भव साफ-सुथरा रखा जाता है ।

(ख) अस्पताल में काम करने का ढंग बड़ा सुव्यवस्थित है । सभी प्रसवपूर्व क्लिनिकों में काम अपराह्न 2.00 से 4.00 बजे तक होता है । डाक्टर लोग अपना अपना कार्य बड़ी कुशलता एवं सहानुभूतिपूर्वक करते हैं ।

(ग) यदि सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट केस लाया जायेगा तो वह उस पर अवश्य ध्यान देकर उसकी छानबीन करेगी ।

बिहार में राष्ट्रीय राजपथों की दशा

3766. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से, विशेषरूप से धनबाद, सासाराम, बुसही, बागोडर के निकट के स्थानों से होकर गुजरने वाली जी० टी० रोड जैसे राष्ट्रीय राजपथ बहुत टूटी और असंतोषजनक हालत में है; और

(ख) क्या सड़क को चौड़ा करने के लिये हाल ही में बहुत बड़ी धनराशि की मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो इस बारे में क्या योजनाएं हैं और उनके पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम० मेहता) : (क) बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इस समय उनमें से बहुत से अपर्याप्त मोटाई की इकहरी पटरियों के हैं और इसके अलावा कमजोर और तंग पुल तथा पुलियां हैं । क्रमिक योजनाओं में इन त्रुटियों को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है । जहां तक जी० टी० रोड का संबंध

है उस पर बिहार में पड़ने वाली कुल 394 किलोमीटर की लम्बाई में से 322 किलोमीटर लम्बाई की इकहरी गली के एक आनमार्ग है। बड़ी लंबाई भाग तक सड़क की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है, जिसमें धनबाद, बोगोदर और बरछी (तथा बुशी नहीं) के निकट के मार्ग शामिल हैं। पटरियों पर कम मिट्टी होने के कारण, सासाराम के निकट सड़क का भाग, जहां कि इकहरी गलीवाला यान मार्ग है, वर्षा ऋतु के दौरान खराब हो जाता है।

(ख) पुलों और पुलियों के पुनर्निर्माण चौड़ा करने सहित इस सड़क के चौड़ा और सुदृढ़ करने के लिये चतुर्थ योजना अवधि के दौरान लगभग 13 करोड़ रुपये के कुल अनुमानों की स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में है और उनके 3 से 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।

Compulsory Education in Bihar

3767. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Bihar State is most backward in respect of education and is unable to impart compulsory education to chidren between 6 to 11 years of age; and

(b) if so, whether Central Government have tried to help Government of Bihar by giving them any fixed amount.

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir. Bihar is one of the six States identified as backward on the basis of the percentages of non-attending children in classes I-VIII to the population in the age-group 6-14.

(b) Under the Central scheme of Providing Employment to the Educated Unemployed—Expansion of Primary Education etc. 4,800 additional school teachers, 40 inspectors, 71 teachers of work experience were sanctioned to Bihar in 1971-72, besides, provision of funds for supply of midday meals and distribution of free textbooks and stationery to needy school children. Apart from funds for continuing teachers & inspectors already appointed last year additional funds have been sanctioned for similar expansion this year.

Drinking Water in States

3768. Shri M. S. Purty: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the names of the States in the country where complete arrangement for drinking water has been made by Government?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya): At the beginning of the Fourth Plan, about 1150 towns and cities out of a total of 2451 were provided with water supply facilities. During the Fourth Plan, the target is to extend or augment water supply in about 500 towns and cities.

Initially there were about 1,52,000 villages in the country without a safe or assured source of drinking water. It is estimated that at the end of the Fourth Plan, about 29,000 of such villages will have been provided with safe drinking water.

No state has so far been able to make complete arrangements of water supply either in urban or in rural areas. According to broad estimates, an amount of Rs. 575 crores would be required after the Fourth Five Year Plan to provide water supply in the urban areas and an amount of Rs. 750 crores to cover the permanently disadvantaged villages.

वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट में अनुसंधान

3769. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वल्लभभाई पटल चैस्ट, इंस्टीट्यूट व्यावहारिक अनुसंधान की अपेक्षा आधारभूत अनुसंधान पर अधिक ध्यान दे रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं। वल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट, व्यावहारिक और आधारभूत दोनों प्रकार के अनुसंधान कार्यों को समान रुचि और निष्ठा से करता है किन्तु यह कार्य इन दोनों क्षेत्रों की समस्याओं तथा इनके अपने अपने वैज्ञानिकों की प्रतिभा और कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर व्यावहारिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के अज्ञात ऐलर्जन्स की जिनसे श्वसनी दमा और एलर्जिक जुकाम हो जाता था, खोज से भारत में लाखों रोगियों का वैज्ञानिक ढंग से इलाज होने लगा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट द्वारा वितरित रसायन

3770. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत अनुसंधान एकक कुछ रसायन स्वयं न बनाकर इनका आयात करता है और वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट के नाम पर इन्हें पुनः पैक करके बांट देता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट में स्थापित किए गए जीव रासायनिक एकक की सूची में उल्लिखित उत्पादों में से अधिकतर स्वदेशी कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं। बहुत ही कम मामलों में जिनमें कच्चा माल देश में नहीं मिलता है, इस एकक को उन्हें विदेशों से मंगाना पड़ता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के वेतनक्रम

3771. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के समान वेतनक्रम दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कायवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

एशियाई विकास बैंक द्वारा नारियल उद्योग का अध्ययन

3772. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने एशिया के अन्य नारियल उत्पादक देशों के साथ भारत के नारियल उद्योग का अध्ययन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो बैंक किस प्रकार का अध्ययन करेगा; और

(ग) अध्ययन पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) एशियाई विकास बैंक द्वारा गठित एक परामर्शदात्री दल ने भारतीय नारियल उद्योग का एक अध्ययन शुरू किया हुआ है ।

(ख) अध्ययन के उद्देश्य ये थे :

(1) एशियाई विकास बैंक क्षेत्र के विकासमान देशों में नारियल के वृक्षों के विभिन्न उत्पादों के अधिकतम वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग की कठिनाइयां का पता लगाना ;

(2) नारियल उद्योग में बैंक के स्वीकार करने योग्य सम्भाव्य परियोजनाओं का पता लगाना; और

(3) नारियल उद्योग में बहु-राष्ट्रीय सहयोग के लिए सम्भाव्य क्षेत्रों का पता लगाना और बैंक के स्वीकार करने योग्य उन सम्भाव्य परियोजनाओं का पता लगाना जिनमें एशियाई समाज और/या अध्ययन के अन्तर्गत आए अन्य देशों के सदस्य संयुक्त रूप से भाग ले सकें ।

(ग) इस दल ने 6 जुलाई, 1972 से 22 जुलाई, 1972 तक की अवधि के दौरान भारत में अध्ययन पूरा कर लिया है । अब यह दल बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति के आधार पर राज्य विधान मंडलों की समितियों का गठन

3773. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण विभाग के भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री से राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सिफारिश करते हुए यह लिखा था कि वे वर्ष 1968 में स्थापित संसदीय समिति के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी स्थायी विधान मंडलीय समितियों का गठन करें;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों से अब तक किस प्रकार का उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या स्वर्गीय श्री मेनन द्वारा भेजे गए परिपत्र की तथा उस पर दिए गए किसी अनुस्मारक की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान, मैसूर और पश्चिम बंगाल सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए केन्द्र में संसदीय समिति के अनुरूप समितियां गठित की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने समिति को गठित करना सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है ।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिल नाडु, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में तथा गोआ, दमन और दीव तथा पांडीचेरी संघ शासित क्षेत्रों में संसदीय समिति के अनुरूप सलाहकार समितियां/सलाहकार परिषदें गठित की गई हैं ।

(ग) परिपत्र की एक प्रतिलिपि सभा के पटल पर रखी जाती है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3531/72]**

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद का कार्यकरण

3774. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को संस्था के ज्ञापन पर अथवा नियमों में कोई त्रुटि होने के कारण न केवल इसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में बल्कि परिषद के कार्यकरण सम्बन्धी किसी कठिनाई के सुलझाने के लिए भी निर्देश दे सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिषद को अब तक कोई ऐसे निर्देश दिए गए हैं अथवा सरकार के सामनें कोई कठिनाई लाई गयी है; और

(ग) उन निर्देशों का मुख्य ब्यौरा क्या है और परिषद के सुचारू रूप से कार्य करने के मामले में क्या कठिनाइयां हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव की सेवा की शर्तें, पारिश्रमिक शक्तियां तथा कार्य

3775. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव की सेवा की शर्तें, पारिश्रमिक शक्तियां तथा कार्यों के बारे में विनियम बनाये गए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) परिषद के प्रथम सदस्य सचिव का नाम, नियुक्ति की तारीख और उसकी वर्तमान आयु क्या है तथा उसे किस अवधि के लिए उस पद पर नियुक्त किया गया है; और

(ग) क्या वह मंत्रालय में साथ साथ दूसरी हैसियत से भी कार्य कर रहे हैं; यदि हां, तो किस हैसियत से और कब से ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां। सुसंगत विनियमों के उद्धरण संलग्न विवरण में दिए गए है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5332/72]**

(ख) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् के नियम 14 में यह व्यवस्था है कि परिषद् का प्रथम सदस्य सचिव भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और तब तक वह पदासीन रहेगा जब तक सरकार की स्वीकृति से परिषद् द्वारा सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। तदनुसार 1 अगस्त, 1969 को श्री जे० पी० नायक परिषद के प्रथम सदस्य सचिव नियुक्त किये गये थे। उनकी जन्म तिथि 5 सितम्बर, 1907 है।

वह पूर्णरूप से अवैतनिक हैसियत में कार्य करते है और उन्होंने, यथा संभव कार्य मुक्त होने की इच्छा प्रकट की है। परिषद ने पद विज्ञापित किया है और चयन समिति नियुक्त की है। इसके प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

(ग) 1-10-1964 से 30-6-1966 की अवधि के अलावा, जब वे शिक्षा आयोग के सदस्य सचिव नियुक्त किए गए थे, श्री जे० पी० नायक जुलाई, 1959 से शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में सलाहकार के रूप में भी कार्य कर रहे है। वह प्रति मास, एक रूपये का नाम मात्र वेतन लेते हैं।

History of "How Freedom was Won"

3776. Shri Ishwar Chaudhury :
Shri Prabodh Chandra:

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Central Government have brought out any history of 'How Freedom Was Won', and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) Yes, Sir. Volume I and Volume II of the "History of Freedom Movement" have already been published. The work will shortly be completed with the publications of Volumes III and IV which are in the Press.

On the occasion of the 25th year of Indian Independence, the Government has also published two books on the History of the Freedom Struggle "A History of the Freedom Struggle in India" for young readers in schools published by the National Book Trust in three languages- Hindi, English and Punjabi. Other regional language editions will be released shortly. Another book entitled "Role of Central Legislature in the Freedom Struggle" was prepared by the Indian Council of Historical Research and published by the National Book Trust. Hindi edition of this book will be published shortly. These two books were released on August 15, 1972.

(b) Question does not arise.

स्वाधीनता संघर्ष सम्बन्धी एक केन्द्रीय संग्रहालय की स्थापना

3777. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में स्वाधीनता संघर्ष के बारे में एक केन्द्रीय संग्रहालय की स्थापना के बारे में विचार कर लिया है जिसमें 1857 के स्वाधीनता संग्राम से लेकर वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन पर पूर्ण विजय प्राप्त करने तक के विभिन्न चरणों का प्रदर्शन होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : सरकार का विचार चालू वर्ष में नई दिल्ली में एक स्थायी वीथी का निर्माण करने का है, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और उस आंदोलन की मुख्य घटनाओं में विभूतियों द्वारा अदा की गई भूमिका का दिग्दर्शन होगा। वीथी में मुख्य रुप से 1857 से 1947 तक की अवधि की घटनाओं के चित्र शामिल होंगे, जिनमें घटनाओं तथा विभूतियों के फोटो तथा चित्र, नमूने, संस्करण, आवाजों के टेप, प्रदेशों चित्र तथा अन्य प्रदर्श्य दृश्य तथा श्रव्य उपकरणों के जरिए, आंदोलन के विभिन्न चरण दिखाए जाएंगे ।

जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में एक सड़क के निर्माण की अनुमति

3778. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में रेलवे फाटक से शमशान भूमि तक रेल मार्ग के समानान्तर एक सड़क के निर्माण की अनुमति के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा बांधों का निर्माण

3779. **चौधरी दलीप सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा 'द्रुत कार्यक्रम' की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कुछ बांध बनाए जा रहे हैं और क्या इस योजना के अधीन असौला और महिपालपुर गांव भी आते हैं;

(ख) क्या असौला बांध इंजीनियरों की बेपरवाही के कारण हाल की वर्षा में टूट गया था, जो 13 जून, 1972 की निश्चित तारीख तक अपना कार्य पूरा नहीं कर सके थे;

(ग) क्या असौला बांध के निकास मार्ग के निर्माण में नाममात्र सीमेंट का उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप यह मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ; और

(घ) क्या इस मामले की जांच करने के लिए किसी जांच का आदेश दिया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत केवल असोला बांध के विस्तार का कार्य आरम्भ किया गया था, जबकि महिपालपुर बांध लगभग एक शताब्दी पुराना है और ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत इस बांध पर कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

(ख) 8 जुलाई, 1972 को असाधारण भारी वर्षा के कारण असोला बांध टूट गया था। इसे पूरा करने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी, परन्तु जून के अन्त तक, जबकि सामान्यतः वर्षा की उम्मीद की जाती है, कार्य पूरा करने के लिए प्रयत्न किए गए थे।

(ग) व (घ) : इस किस्म की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मुख्य अभियन्ता (बाढ़) दिल्ली प्रशासन को नमूनों का परीक्षण कराने के लिए कहा गया था। सेन्ट्रल साइल एण्ड मटिरियल रिसर्च स्टेशन, केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग, नई दिल्ली को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। उन्होंने नमूने एकत्र कर लिए हैं और प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों के परिणामों के शीघ्र ही प्राप्त होने की उम्मीद है।

अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मद्य-निषेध नीति

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं **शिक्षा** तथा **समाज कल्याण** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"भारत के संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिष्ठापित मद्य-निषेध नीति को क्रमबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए किये जा रहे हाल के प्रयास"।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मद्य निषेध राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत है। संविधान के अनुच्छेद 47 में उपबंध किया गया है कि राज्य अपने लोगों के आहार-पुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में से मानेगा तथा विशषतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकर औषधीयों के प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। संघ सरकार मद्य निषेध के इस सिद्धान्त की क्रियान्विति के निदेशक में सकारात्मक कदम उठाने के लिये राज्यों (संघ शासित क्षेत्र भी शामिल) को प्रेरित कर रही है।

संघ सरकार ने किसी भी राज्य को किसी ऐसे अधिनियम का अनुमोदन नहीं दिया है जिससे मद्य निषेध समाप्त होता हो। इसके विपरित, इसने मद्य निषेध के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है और इस नीति की क्रियान्विति के लिये मार्गदर्शन बातों का सुझाव दिया है। मद्य निषेध को बढ़ावा देने के लिये पंच वर्षीय योजनाओं में कार्यक्रम शामिल किये गये हैं। मद्य निषेध कार्यक्रमों की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये एक केन्द्रीय मद्य निषेध समिति स्थापित की गई है। केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय मद्य निषेध परिषद को भी सहायता दे रही है जो मद्य निषेध के पक्ष में प्रचार कर रही है। देश में मद्य निषेध के पक्ष में एक वातावरण बनाने के लिये शैक्षिक कार्यक्रम और जन-समूह माध्यम भी प्रयोग में लाये गये हैं।

फिर भी यह स्मरण किया जाये कि मादक शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय एक राज्य विषय है। स्वतंत्रता के प्रथम दो दशकों में कुछ राज्यों ने मद्य निषध के जो विभिन्न उपाय अपनाये थे, वस्तुस्थिति का पुनर्विलोकन और विभिन्न कारणों से नियमों में ढ़ील देने पर विचार किया है। अवैध शराब का फैलाव बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बनी है और स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक सिद्ध हुई है। राज्यों को अपनी मद्यनिषेध नीति की क्रियान्विति में यह एक मुख्य कारण बनी रही है इसका उद्देश्य एक ऐसा प्रबन्ध करना है जो उनकी राय में निदेशक तत्व के साथ अनुकूल और प्रायोगिक होंगी।

दिल्ली के संघ शासित प्रदेश ने मद्यनिषेध सम्बन्धी मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने केवल आबकारी व्यवस्था को तर्क संगत बनाया है। उन्हें आशा है कि शराब के मूल्य, इसके वितरण और बिक्री पर नियंत्रण करके वे अवैध शराब बनाने तथा इसकी तस्करी को समाप्त कर सकते हैं।

अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद के अध्यक्ष ने सरकार को लिखा था कि जब तक पूरा मद्यनिषेध सम्भव नहीं है तब तक सरकार के लिये यही करना अच्छा होगा कि वह सभी प्रकार की शराब का उत्पादन और वितरण अपने हाथ में ले जिससे अनैतिक व्यापारियों और निहित स्वार्थों को समाप्त किया जा सके। यह भी सुझाव दिया गया था कि यह अवैध मद्यकरण के विरुद्ध एक रोकथाम का काम करेगी क्योंकि अधिक शराब लाइसेंस वालों द्वारा ही बेची जाती है जो अवैध शराब बनाने वालों से इसे सस्ती खरीद सकते हैं। संविधान के अधीन, संघ सरकार इसको नहीं कर सकती। राज्य सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करें जो इस सलाह के अनुसार उचित और प्रायोगिक हों।

इसलिये यह कहना ठीक नहीं होगा कि मद्यनिषेध की नीति मिटाने की कोई व्यवस्थित चेष्टा रही है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : गृह मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में जिस प्रकार इस प्रश्न से निपटा जा रहा है-इससे मुझे बहुत आश्चर्य है। मद्य-निषध संबंधी सेल भी गृह-मंत्रालय में ही बनाया गया है।

माननीय मंत्री ने मद्य-निषेध को समाप्त करने के पक्ष में जो बातें कही हैं, उनसे मुझे न केवल आश्चर्य ही हुआ है बल्कि बहुत शर्म भी महसूस होती है। शराब के फैलाव के बारे में जो समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं, उनसे पता लगता है कि माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल झुठ है। हिन्दुस्तान टाइम्स में एक फोटो छपी है जिसमें पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों को शराब के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाया गया है। राष्ट्रीय प्रेस में ऐसे फोटो का छपना हमारे लिए एक शर्म की बात है। ब्रिटिश सामाज्यवाद के विरुद्ध हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन खादी तथा मद्य-निषेध पर ही आधारित था। महात्मा गांधी ने इसको अपने जीवन का एक मिशन बना रखा था।

स्वतंत्रता के 25 वर्ष पश्चाथ् आज हम देख रहे हैं कि लगभग समुचे देश में शराब पुनः शुरु हो गई है। अब केवल कुल जनसंख्या के 1/20 भाग पर ही मद्य-निषेध लागू है। गुजरात राज्य तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़कर शेष सारे देश में शराब पुनः चालू हो गई है। हम राष्ट्रीय आय का 2.5 से 3 प्रतिशत भाग शराब पर ही व्यय करते हैं। शराब से 60 से 70 प्रतिशत की दर से राजस्व कर प्राप्त हो रहा है। दिल्ली में तो मद्य-निषेध को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। इसपर भी माननीय मंत्री कह रहे हैं कि वह मद्य-निषेध की नीति का पालन करा रहे हैं। 14 से 15 प्रतिशत विद्यार्थी नशीली औषधियों का सेवन करते है तथा शराब पीते हैं। क्या ऐसी स्थिति को जारी रहने की अनुमति दी जायेगी ?

[श्री शामनन्दन मिश्र]

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जिस क्षेत्रों में मद्य-निषेध लागू नहीं है, उनमें गर-काननी तौर पर अधिक शराब बनती है। गुजरात राज्य में गैर-कानूनी तौर पर शराब के बनने की शिकायतें अधिक नहीं है। दिल्ली में शराब की तस्करी के अवसर अब अधिक है क्योंकि दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों में मद्य-निषध को समाप्त कर दिया गया है। शराब की तस्करी की गुंजायश कम नहीं हुई है।

सरकार की ओर से कहा गया है कि संविधान के अन्तर्गत सरकार शराब के उत्पादन तथा वितरण को अपने हाथ में नहीं ले सकती। राज्यपालों द्वारा शराब के आयात पर कोई पाबन्दी नहीं है। सरकार को शराब पर, कुल कितना व्यय करना पड़ता है? ऐसा लगता है कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार गोआ संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए क्या करने जा रही है? समूचे देश में मद्य-निषेध लागू करने के लिए एक सात वर्षीय कार्यक्रम बनाया गया था। सरकार इस बारे में अब क्या करने जा रही है? महाराष्ट्र पहला राज्य था जिस में गोआ संकल्प का उल्लंघन किया था। क्या सरकार प्रक्रिया को ठीक करने तथा मद्य-निषेध के विरूद्ध अपनाई जा रही नीति को रोकने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करेगी? क्या सरकार इस बारे में विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाने पर विचार कर रही है? समूचे देश में यह मांग की जा रही है कि खुले आम शराब पीने पर रोक लगाई जाये। सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है? 1954 में श्रीमन् नारायण समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुलाया था, तो उन्होंने समिति को विश्वास दिलाया था कि वे मद्य निषेध के मामले में पुरा सहयोग देगे। यदि सरकार इस बारे में गम्भीर हो तो कोई भी हाथ ऐसा नहीं जो सरकार को साथ न देना चाहता हो। क्या सरकार इस मामले को पुनः जाच करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगी? बक्शी टेकचन्द अध्यापन दल के प्रतिवेदन को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण है? क्या सरकार इस अध्यापन दल के सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर विचार करेगी? गरीबी हटाओं कार्यक्रम के लिए मद्य-निषेध की नीति को लागू करना आवश्यक है? ऐसा करना हरिजनों, आदिवासी लोगों तथा मजदूरों के हित में है।

श्री डी० पी० यादव : निदेशक सिद्धान्तों को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। शराब के बनाने तथा वितरण का विषय राज्य सूची में दिया गया है। अतः इनसे सम्बन्धित किसी भी नीति को राज्य सरकारों की सहमति से ही क्रियान्वित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्यों को केवल परामर्श ही दे सकती है। उनपर अपने विचार थोप नहीं सकती। हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया था कि वे मद्य-निषेध की नीति का अधिक से अधिक पालन करें। दिल्ली में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों तथा महिलाओं को शराब सप्लाई नहीं की जायेगी। श्री मिश्र ने जिस फोटो का उल्लेख किया है, उसमें कोई महिला नहीं है। जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किये गये है। शराब के बनाने तथा वितरण के कार्य का जहांतक सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने का प्रश्न है, हमे विधि मंत्रालय से इस बारे में परामर्श करना होगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हमने सात वर्षों में मद्य-निषेध लागू करने का संकल्प किया था। इस बारे में स्थिति क्या है? दिल्ली में "ड्राई" दिवस की संख्या को सप्ताह में दो से कम करके एक कर दिया गया है। दिल्ली में और दुकाने भी खोली जा रही है।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया के अनुसार आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन् मेरे पास कुछ समाचार पत्र हैं जिनसे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में प्रेस श्री स्वतंत्रता कम कर दी गई है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आग लगा रहे हैं और श्रमिकों को पीट रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में आपको लिखा भी है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस सम्बन्ध में हमारे पास भी तार आ रहे हैं। आप इस विषय पर एक अल्प-सूचना प्रश्न तो स्वीकार कर ही लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसका अध्ययन कर लिया है। यह राज्य का विषय है। मैं इस की अनुमति नहीं दूंगा (**अन्तर्बाधाएं**) मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि यह प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न है, तो यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। यदि यह प्रेस की स्वतंत्रता का मामला नहीं है, तो आप इस बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सब शान्त हो जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु श्रीमन्,**

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार वहां जो कुछ कर रही है, वह राज्य का मामला है। मैं इस पर स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दूंगा। कोई भी छोटी मोटी घटना होती है, आप स्थगन प्रस्ताव ले आते हैं। आप इससे इतना सामान्य न बनायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस बात पर बल नहीं देता कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाये। किन्तु यह कहां तक उचित है कि किसी मत या विचार से असहमत होने पर उस विचार के समाचार पत्रों और पुस्तकों को आग लगा दी जाये। आप स्थगन प्रस्ताव न स्वीकार करें तो न सही, परन्तु आप किसी अन्य तरीके से हमें यह मामला उठाने दें।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : श्रीमन्, स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिए भी कुछ नियम हैं। आपको हरबार स्थगन प्रस्ताव को इस प्रकार से अस्वीकार नहीं करना चाहिए। आप कम से कम इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में सदस्यों के विचार तो सुन लीजिए और फिर अपना निर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जहां ग्राह्यता के सम्बन्ध में मुझे शंका होती है, वहां मैं माननीय सदस्यों के विचार अवश्य सुनता हूं। लेकिन यहां मुझे शंका नहीं है। मेरे विचार से यह ग्राह्य नहीं है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : यद्यपि हमें इस विषय पर चर्चा से कोई डर नहीं है, किन्तु इस विषय को स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं उठाया जा सकता।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है, वैसे ही मैंने उक्त घटना का सभा में उल्लेख करने की अनुमति के लिए लिखा था। अतः कुछ निवेदन करने के लिए मुझे अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आपके स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी गई है। हां, आप एक-दो मिनट में अपनी बात कह ले।

श्री राजबहादुर : श्रीमन्, आप किस नियम के अन्तर्गत उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे रहे हैं।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : श्रीमन्, सभा के समक्ष इस समय कोई भी कार्य नहीं है। अतः वह किस नियम के अन्तर्गत अपना निवेदन करेंगे। **[अन्तर्बाधाएं]**

अध्यक्ष महोदय : चूंकि सभा में सदस्य गण एक दूसरे की ओर चिल्ला रहे थे और सभा का कार्य नहीं चल पा रहा था। इसलिए मैंने श्री बसु को एक-दो मिनट में अपनी बात कहने के लिए कहा है ताकि उसके बाद सभा का कार्य यथावत् चले। क्योंकि अब इस पर भी आपत्ति की जा रही है, इसलिए श्री बसु लिखकर मुझे यह बतायें कि वह किस विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अब आप दबाव के समक्ष झुक रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुबत्तुपजा) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। **[अन्तर्बाधाएं]**

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इसमें व्यवस्था का तो कोई प्रश्न है ही नहीं।

श्री राजबहादुर : आपने श्री बसु को जो अवसर दिया है उस पर हम आपत्ती नहीं कर रहें हैं। प्रश्न यह है कि यदि श्री बसु तार या कोई दस्तावेज पढते हैं, तो यह एक पूर्व-उदाहरण बन जायेगा और भविष्य में सदस्य इसका दुरुपयोग करेंगे।

Shri S. M. Banerjee : Sir, it should not be made compulsory to quote the rule under which an hon. Member wants to make a submission. If it is done, it will be impossible for every Member to raise any matter in the House.

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने इस बीच समाचार पत्रों की एक गठरी आपकी ओर फेंक दी है। यदि इस तथ्य की उपेक्षा की गई तो सभा का अवमान होगा। क्या ऐसा करके श्री बसु ने सभा का अवमान नहीं किया है?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका अध्ययन करूंगा और यह देखूंगा कि क्या इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। इस मामले को मैं अलग से लूंगा।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस संदर्भ मेरा यह निवेदन है कि यदि श्री बसु को 2 मिनट दे दिये जाते और उन्हें तार पढने की इजाजत दे दी गई होती तो सभा का इतना समय बर्बाद न होता और सदस्यों में कटुता न पैदा होती। मेरे विचार से किसी सदस्य को अपनी बात कहने के लिए ठीक समय पर दो मिनट का समय दिया जाना उचित है, बजाय इसके कि ऐसी बेकार की बहस पर 25 मिनट खर्च किये जायें।

Mr. Speaker : Some healthy traditions should be laid down. But I am sorry to observe that it is not being done here. An hon. Member brings something here. If the Speaker disallows that, a number of Members stand up to protest against it. If you go on following such a procedure, the House will not be in a position to transact any business.

Shri Shyamnandan Mishra : Are we not entitled to know the subject matter of the adjournment motion under reference ?

अध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि जब कोई बात उचित होती है तो मैं उसे सभा को बता देता हूं। इस मामले में मैं श्री ज्योतर्मय बसु को दो मिनट का समय देता हूं जिसमें वह अपनी बात कह ले।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 389 के अन्तर्गत आपको यह शक्ति प्राप्त है कि आप किसी भी ऐसे मामले को सभा में लिए जाने का निदेश दे सकते हैं, जिसका स्पष्ट रुप से नियमों में उल्लेख नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं किन्तु स्थगन प्रस्ताव के सन्दर्भ में नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अच्छा। तो क्या आप मुझे तार पढने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं। वह जो कहना चाहते हैं, दो मिनट में कह लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिम बंगाल के जो समाचार-पत्र और पत्रिकाएं श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध लिख रहे थे, युवा कांग्रेस तथा छात्र परिषद संगठनों के कार्यकर्ता उनकी प्रतियों को जबरदस्ती जला रहे हैं और उक्त पत्रों से सम्बन्धित कर्मचारियों को पीट रहे है। मुझे दुख है कि केन्द्रीय सरकार यह सब मूक दर्शक बनकर देख रही है। शासक दल गुंडों के साथ मिलकर यह सब कर रहा है। वह देश में इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और फासिज्म को बढावा दे रहा है।

श्री राजबहादुर : माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये है, मैं उनका खंडन करता हूं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान के प्रतिवेदन और लेखे

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं श्री उमाशंकर दीक्षित की ओर से,

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3509/72]**

नौवहन विकास निधि समिति के प्रतिवेदन और लेखे

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रतिवेदन और प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3510/72]**

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिघोषणाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) फल उत्पाद (संशोधन) आदेश, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1971 (अंग्रेजी संस्करण) तथा दिनांक 17 जून, 1972 (हिन्दी संस्करण) में अधिसूचना संख्या का० आ० 5593 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) फल उत्पाद (दूसरा संशोधन) आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या का० आ० 621 में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपयुक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3511/72]

पशुओं पर परीक्षण का नियंत्रण और पर्यवेक्षण सम्बन्धी समिति के लेखे

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं पशुओं पर परिक्षण का नियंत्रण और पर्यवेक्षण सबन्धी समिति (प्रशासन) नियम, 1965 के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत पशुओं पर परीक्षण का नियंत्रण और पर्यवेक्षण सम्बन्धी समिति, बम्बई के वर्ष 1968-69 सम्बन्धी लेखा परीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3512/72]**

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने सातवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित समय के लिए सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये :

(1) श्री डी० पी० जदेजा

(2) श्री एम० एस० संजीवी राव

(3) श्री चन्दूलाल चन्द्राकर

मैं मानता हूं कि समिति की सिफारिश से सभा सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुरुप सूचित कर दिया जायेगा।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति
JOINT COMMITTEE ON OFFICE OF PROFIT

तीसरा प्रतिवेदन

श्री डी० बासुमतारी (कोकराझार) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE SIXTEENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से, जो 26 अगस्त, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन, से जो 26 अगस्त, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

इंडियन कापर कारपोरेशन (उपक्रमों का अर्जन) विधेयक
INDIAN COPPER CORPORATION (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS) BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्र के सर्वाधिक लाभ के उद्देश्य से बिहार राज्य के सिंहभूम क्षेत्र में तांबे के निक्षेपों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित संरक्षण और विदोहन करने के लिए और देश में तांबे की आवश्यकताओं को देखते हुए जन कल्याण की दृष्टि से तांबे के निक्षेपों का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिये और उससे सम्बद्ध या आनुषंगी मामलों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र के सर्वाधिक लाभ के उद्देश्य से बिहार राज्य के सिंहभूम क्षेत्र में तांबे के निक्षेपों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित संरक्षण और विदोहन करने के लिए और देश में तांबे की आवश्यकताओं को देखते हुए जन कल्याण की दृष्टि से तांबे के निक्षेपों का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिए और उससे सम्बन्ध या आनुषंगी मामलों के लिये उपबंद्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted:

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक
GENERAL INSURANCE BUSNESS (NATIGNALIZATION) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जनसमुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिश्चित करके वित्तीय आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, कि अर्थ व्यवस्था के प्रचलन के, परिणामस्वरूप धन का ऐसा संकेन्द्रण न हो, जो सर्वसामान्य के अहित में हो, भारतीय बीमा कम्पनियों तथा अन्य विद्यमान बीमाकर्ताओं के उपक्रमों के अंशों के अर्जन तथा अन्तरण का, ऐसे कारबार के विनियमन और नियंत्रण का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये" ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : बोलनेके लिये उठते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलने के लिये इतने उत्सुक क्यों हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं विधेयक का विरोध करना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सदन को विदित है कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972 29 मई, 1972 को सदन में पुरःस्थापित किया गया था और बाद में 30 मई, 1972 को इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया था। समिति का प्रतिवेदन 21 अगस्त, 1972 को प्रस्तुत किया गया था।

समिति ने विधेयक में अनेक परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। मैं विधेयक के महत्वपूर्ण उपबन्धों के बारे में ही उल्लेख करूंगा।

जीवनबीमा कारबार का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था और साधारण बीमा कारबार का राष्ट्रीयकरण करके यह वर्तमान विधेयक बीमा कारबार के सभी वर्गों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को पूरा करता हैं।

विधेयक में भारतीय साधारण बिमा निगम नामक सरकारी कम्पनी तथा उसकी चार सहायक कम्पनियों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई हैं। निगम के कार्य में साधारण बीमा कारबार करने के अतिरिक्त व्यापक रूप से अपनी कम्पनियों की सहायता करना और सलाह देना भी शामिल है और जब कभी आवश्यक हो, उन्हें निदेश जारी करना और उन पर नियंत्रण करना शामिल है। निदेश जारी करते समय यह आशा की जाती है कि वह इन कम्पनियों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करने की ओर ध्यान देगा।

इस विधेयक के अन्तर्गत स्वामित्व प्राप्त करते हुए बीमाकर्त्ताओं के विभिन्न मामलों में दो विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। प्रत्येक भारतीय बीमा कम्पनी के मामलों में शेयर प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

एक निश्चित तिथि को सभी बीमाकर्त्ताओं के उपक्रमों को केन्द्रीय सरकार को स्थानान्तरित किया जायेगा और उसके बाद उसे किसी न किसी भारतीय बीमा कम्पनी के अधीन लाया

जायगा। केन्द्रीय सरकार एसी एक या दो योजनाएं बना सकती है जिससे अन्त में केवल चार कम्पनियां (साधारण बीमा निगम के अतिरिक्त) रह जायें और वे देश के सभी भागों की सेवा एक जुट हो कर कर सकें।

वर्तमान बिमाकर्त्ताओं के, जिनके शेयर अथवा उपक्रमों को ले लिया गया है, सभी कर्मचारियों को कम्पनियों के नये ढांचे के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया जायगा और उनके वेतनमानों, सेवाशर्तों आदि के सम्बन्ध में वही नियम और शर्तें तब तक लागू रहेंगी, जब तक उनमें परिवर्तन न कर दिया जाये। सरकार ने बीमाकर्त्ताओं के वर्तमान संस्थागत और प्रशासनिक ढांचे पर विचार करने और भविष्य में संमेकित और युक्तिसंगत ढांचा स्थापित करने के लिये श्री के० पी० मथरानी की अध्यक्षता में पहले ही एक समिति स्थापित की है।

संयुक्त समिति ने दो नये खंड 22 और 23 जोडे हैं। खंड 22 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को निगम से कर्मचारियों को अधिग्रहीत कम्पनियों अथवा उपक्रमों में स्थानांतरित करने का अधिकार दिया गया है। यह शंका व्यक्त की गई है कि केन्द्रीय सरकार इन अधिकारों का दुरुपयोग करेगी लेकिन यह शंका निर्मूल है।

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए कुछ गवाहों ने यह विचार व्यक्त किये है कि इस व्यापार को अपने अधिकार में लेने के लिये कुछ भी भुगतान नहीं किया जाना चाहिये। यह विचार भी व्यक्त किय गये हैं कि शेयर होल्डरों के पूरे कानूनी स्वामित्व का सम्मान किया जाना चाहिये और आरक्षित धनराशि से अतिरिक्त सभी परिसम्पतियों की शेष धनराशि शेयर होल्डरों को वापिस की जानी चाहिये। यदि भूतपूर्व स्वामियों को सारी आरक्षित धनराशि दे दी जाये, तो जो कुछ धन बचेगा, अर्थात न्यूनतम पालिसी देयतर, उससे यह उपक्रम सही ढंग से कार्य नहीं कर पायेगा।

प्रवर समिति में यह तर्क दिया गया है कि भारतीय बीमाकर्त्ताओं के बीच आपस में और भारतीय और विदेशी बीमा कर्त्ताओं के बीच भेदभाव किया गया है। लेकिन उनके बीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

यह सुझाव दिया गया है कि केवल एक स्वायत्त निगम होना चाहिये 4 या 5 एकक नहीं। इस बारे में, सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। लेकिन सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वर्तमान परिस्थितियों में समस्त भारत में प्रतिस्पर्धा करने वाले 4 एकक होने सर्वोत्तम रहेंगे।

विमति टिप्पण में यह सुझाव दिया गया है कि निरन्तर प्रबन्ध पूंजी के भुगतान को बन्द करने के लिये 'निश्चित दिन' समुचित रूप से बढा दिया जाना चाहिये। सरकार प्रबन्ध सम्बन्धी मुआवजे को बचाने के लिये 'निश्चित दिन' निर्धारित करने की आवश्यकता को समझती हैं। स्वभावतया यह निश्चित दिन सब बातों को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जायेगा।

विमति टिप्पण में यह भी सुझाव दिया गया है कि किश्त पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत से बढाकर 12 प्रतिशत की जानी चाहिये। जब सरकार 5½ या 5¾ प्रतिशत की दर से दीर्घावधि के लिये ऋण ले सकती है तो मैं यह उचित नहीं समझता कि किश्तों पर 12 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाये।

कुछ गवाहों ने सुझाव दिये हैं कि इस विधेयक में कलकत्ता दावा ब्यूरों और इसी प्रकार के अन्य संगठनों के कर्मचारियों को नौकरी में खपाय रखने का उपबन्ध किया जाना चाहिये। मैंने समिति को यह आश्वासन दिया है कि इस ब्यूरो तथा इस प्रकार के अन्य संगठनों के कर्मचारियों को साधारण बीमा निगम के नये ढांचे में खपा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जनसमुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिश्चित करके वित्तीय आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने दृष्टि की से, कि अर्थ व्यवस्था के प्रचलन के, परिणामस्वरूप धन का ऐसा संकेन्द्रण न हो, जो सर्वसामान्य के अहित में हो, भारतीय बीमा कम्पनियों तथा अन्य विद्यमान बीमाकर्त्ताओं के उपक्रमों के अंशों के अर्जन तथा अन्तरण का, ऐसे कारबार के विनियमन और नियंत्रण का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये"।

श्री एस० एम० बनर्जी : कार्य मंत्रालय समिति ने विधेयक पर चर्चा करने के लिये चार घंटे का समय निर्धारित किया था यह कभी निर्णय नहीं किया गया था कि इस विधेयक पर आज चर्चा की जायेगी। इस कारण हम अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सके। अत: मेरा यह सुझाव है कि आज इस विधेयक पर सामान्य चर्चा करें और कल अथवा परसों खंडवार चर्चा करें जिससे हम अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : कठिनाई यह है कि हमें इस विधेयक को राज्य सभा से पारित करवाना है। संशोधन प्रस्तुत करने सम्बन्धी नियम में छूट दी जा सकती है और संशोधन अभी भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने के लिये आधे घंटे का समय और देता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : संशोधन प्रस्तुत करने के लिये समय कम दिये जाने के कारण हम अपने संशोधन विस्तार से प्रस्तुत नहीं कर सके। मुझे आशा है उन्हें परिचालित किया जायेगा और उन पर विचार किया जायगा।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, मैं राष्ट्रीयकरण के उपबन्ध का समर्थन करता हूं। लेकिन विधेयक इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि सत्तारूढ़ दल की कथनी और करनी में अन्तर है। सरकार क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिये उपबन्ध का समाजवाद नहीं ला सकती। यह बड़े एकाधिपतियों और बड़े व्यापारियों के प्रति स्नेह प्रदर्शन है। बड़े एकाधिकारियों और व्यापारियों को बड़ी भागों में धनराशि का भुगतान किया जा रहा है जबकि देश को संसाधनों की कमी अनुभव हो रही है और देश के विभिन्न भागों में अकाल पड़ने की अशंका है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मेरे विचार से यह बड़े व्यापारियों के हितों के प्रति समर्पण है, और कुछ नहीं है। इस विधेयक में मुआवजा देने सम्बन्धी जो उपबन्ध है, उसका हम पूर्णरूपेण विरोध करते हैं। जब सभा में साधारण बीमा (अर्जन) विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब मैंने सुझाव दिया था कि यदि संविधान के अनुच्छेद 31 क (2) के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिए प्रबन्ध को हाथ में लिया जाय तो कोई भी मुआवजा नहीं दिया जायगा। तब यह उत्तर दिया गया था कि चूंकि सामान्य बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का आशय है, अत: हमें इसे सीमित अवधि तक हाथ में नहीं लेना चाहिए वरन् हमें चाहिए कि उन्हें मुआवजा दें। 20 महीने अर्थात् 2 जनवरी

तक जब राष्ट्रीयकरण प्रभावी होगा तब तक 6.60 करोड़ रुपये बीमा कम्पनियो को दिये जायेंगे। इनको अपने नियंत्रणाधीन लेने के लिये जो राशि दी जा रही है वह 38·23 करोड है और इसमें 6·60 करोड़ और जोड़ने से यह राशी लगभग 45 करोड़ रुपये हो जायेगी। इस संगणना का आधार क्या है।

जहां तक इन कम्पनियों को नियंत्रण में लिये जाने का सम्बन्ध है, वह शेयरों के बारे में है। अंशधारियों को भुगतान किया जायेगा परन्तु किस आधार पर? इस बारे में कोई संदेह नहीं दिया गया है कि उनको कितना भुगतान किया जायेगा। हमें यह मालूम नहीं है कि विभिन्न कम्पनियों के पास कुल कितनी राशि के शेयर हैं। यदि उन्हें पूरी राशि नहीं दी गई, तो कमी पूरी कैसे की जायगी। कुछ छोटे तथा मध्यम वर्ग के अंशधारी हैं, जिन्होंने अपनी बचत की राशि निवेश कर रखी है। हम यह नहीं चाहते, कि उन्हें हानि उठानी पड़े। परन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। सभी अंशधारियों को उनका अंश वापस मिलेगा, जो अंश उन्होंने दिया है।

हमने यह जानना चाहा था कि ऐसे कितने अंशधारी हैं जिनके शयर 25,000 रुपय से कम है और बड़े बड़े व्यापारियों तथा एकाधिकार गृहों के कितने शेयर हैं, जिनको उनकी धन राशि वापस मिल गयी है। ये कम्पनियों लाभांश दे रही हैं।

हम जानना चाहते हैं कि ये बड़े व्यापार-गृह अथवा एकाधिकारी उस राशि का कहां तक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिस राशि का उन्हें भुगतान किया जा रहा है।

अब संविधान के अनुच्छेद 31 (ग) तथा 31, जिसने 25 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन कर दिया गया है, ये मामले अब वाद योग्य नहीं है। अत: अनुच्छेद 14 तथा 31 के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब सरकार को शक्ति प्राप्त है। संसद को एसी शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसी राशि के लिये विधान बना सकती है जिसके बारे में संगणना के स्वरुप को बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब कुछ व्यापारियों से जो कुछ लिया जा रहा है वह उन्हें वापस किया जा रहा है। उन्हें नये व्यापार के लिये लाइसेंस मिल रहे हैं। यद्यपि हमें यह शक्ति तो प्राप्त हो गई है परन्तु इसका विधान बनाने के लिये उपयोग नहीं किया गया है। हमें पता चला है कि संयुक्त समिति के स्तर पर तथा अन्तिम अवस्था में अनुसूची में अचानक संशोधन किया गया और हमें ज्ञात हुआ है कि तीन कम्पनियो को सबसे अधिक लाभ हुआ है, जिनमें सबी जनरल इन्शोरेंस कम्पनी को मुआवजे की राशि में 58 लाख रुपये, जे० के० संगठन की नेशनल इंशोरेंस कम्पनी की मुआवजे की राशि में 25 लाख रुपये तथा इंडियन ट्रेड के थापर संस्थान की मुआवजे की राशि में 27 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि पहले किस आधार पर संगणना की गई थी और किस प्रकार अचानक अन्तिम अवस्था में ये धनराशियां अपर्याप्त हो गई हैं इन तीन कम्पनियों पर नियंत्रण रखने वाले बड़े व्यापार गृहों के सम्बन्ध में अचानक ये वृद्धियां क्यों की गई? इसका किस प्रकार हिसाब लगाया गया था?

यह ज्ञात हुआ है कि ये विदेशी बीमा कम्पनियां निधि आरक्षण नहीं कर रही है। ये कम्पनियां सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये अपनी लाभ की राशि देश से बाहर भेज रही हैं और उसे विदेशों में लगा रही है। इस विधेयक के अन्तर्गत इस विदेशी कम्पनियों को इतनी बड़ी धनराशि क्यों दी गई है। मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें।

खंड 9 में यह व्यवस्था है कि एक भारतीय साधारण बीमा निगम होगा। इस योजना का आशय एक निगम तथा चार भिन्न-भिन्न कम्पनियां बनाना है। इनके लिये यह तर्क दिया गया है कि ये स्वस्थ

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

प्रतियोगिता स्थापित करेंगी। इन पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। वह इन्हें निदेश दे सकती है और कम्पनियां इन निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होंगी। अतः इस स्वस्थ प्रतियोगिता का सरकार के भिन्न-भिन्न निकायों में होने का प्रश्न कहां रहा?

एक निगम और चार कम्पनियों के बनाये जाने से स्वस्थ प्रतियोगिता स्थापित नहीं होगी। कई आशंकायें हैं कि इसमें श्रमिकों में फूट डालने तथा उनमें यह भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है कि वे अलग अलग पूंजीवादियों द्वारा नियंत्रित संगठनों के कर्मचारी हैं। अन्यथा इन कम्पनियों के बनाने का कोई मुक्तिसंगत आधार नहीं है।

अब मैं खंड 22 के बारे में बोलता हूं। इस खंड के अतर्गत केन्द्रीय सरकार किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी का एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में स्थानान्तरण करने के लिये शक्ति प्राप्त करना चाहती है। कर्मचारियों में भारी आशंका व्याप्त है कि इसका उपयोग किसी ईमानदारी के प्रयोजन से नहीं किया जायेगा बल्कि श्रमिकों को सताने के लिये किया जायेगा।

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि खंड 16 के अतर्गत ऐसी योजना नहीं बनाई जानी चाहिये जिससे कोई कर्मचारी फालतू हो जायें अथवा उनकी सेवा शर्तें उनके अहित में हो जाएं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल): बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सामान्य बीमा का गैर सरकारी क्षेत्र में होने के कारण उसमें विभिन्न प्रकार की घोरणाघड़ी आदि होती है। परन्तु इस बात की आलोचना की जा रही है कि जबकि सरकार का इतना विस्तृत क्षेत्र है तो सामान्य बीमा के इस छोटे से क्षेत्र में वह क्यों प्रवेश कर रही है?

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल): सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य अब भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे: मैं यह कह रहा था कि और भी कई कारण हैं जिनके कारण सरकार सामान्य बीमा को हाथ में ले रही है।

दूसरी आलोचना यह की गई है कि ओरिएन्टल जनरल इंश्योरेंस यूनिट में जीवन बीमा-निगम सामान्य बीमा के अन्तर्गत था तो उसके बाद सरकार ने इसके क्षेत्र को विस्तृत कर एकाधिकार क्यों उत्पन्न किया? इसका उत्तर यह है कि सामान्य बीमा हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत शिला है और यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़, स्थिर बनाना चाहते हैं तो सामान्य बीमा को सरकारी नियंत्रण से अलग रखना संभव नहीं होगा।

इस विधान में सबसे अधिक विवादपूर्ण उपबन्ध मुआवजे के बारे में है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह या तो बहुत उदारतापूर्वक दिया गया है या बहुत थोड़ा है परन्तु यह बात विषय को अत्याधिक सरल बनाने वाली है। यदि वे यह कार्य अपनी राजनीतिक दर्शविकता के कारण कर रहे हैं तो वित्त मंत्री ने किस दार्शनिक नीति का पालन किया है? सामान्य बीमा पुंजी-प्रधान उद्योग नहीं है। पालिसी धारियों को बार-बार दबाया गया है। सामान्य बीमाकर्ता एक दूसरे की जेब काट रहे हैं तथा तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, आरक्षित राशि की बात बिल्कुल बतुकी है।

निश्चय ही हम यह नहीं चाहते कि सरकारी निगम बीमा कम्पनियों की अपेक्षा कमजोर हो, परन्तु क्या मैं जान सकता हूं की लाभांश से सम्बद्ध मुआवजा देने का क्या औचित्य है? अदायगी करने का यह अत्याधिक असंगत एवं अनुचित तरीका है। मुआवजे की 33 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करने का क्या कारण है? पालिसी धारियों को राहत नहीं दी जा रही है बल्कि पसे वाले लोक अंशधारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मंत्री महोदय को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि इस असंगत मुआवजे के कारण एक कम्पनी को कुल आस्तियों का सात प्रतिशत मिलता है जब कि दूसरी कम्पनी को 88 प्रतिशत इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है।

जहां तक विदेशी कम्पनियों का प्रश्न है इस प्रकार के भुगतान का कहां तक औचित्य है? क्या सरकार को मालूम हो गया है कि प्रति वर्ष विदेशी कम्पनियों के लाभ-हानि के लेखों तथा तुलना-पत्र में अनुभाज्य व्यय के रूप में एक धनराशी जमा की जाती है जो वास्तव में खर्च की हुई नहीं होतीं हैं तथा इसे दायित्व के रुप में माना जाता है। इन सबके बारे में जांच नहीं की गई है। इतना कहना पड़ेगा कि चाहे भूल से भी क्यों न हो, विदेशी कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी गई है।

इस निगम विशेष में अकार्यकुशलता और भ्रष्टाचार, में दो बातें ऐसी है जिनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा तथा मुझे आशा है कि मुआवजे के सम्बद्ध में इस उपबन्ध का उचित ढंग से युक्ति-संगत बनाया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (आलिपुर) : यदि हम देश में बहुत बड़े जन समुदाय को अधिकतम लाभ पहुंचाना चाहते है तो हमें संसाधन पैदा करने और जुटाने होंगे जब तक राष्ट्रीयकरण न हो तब तक ऐसा करना असंभव है। आज जब हम देखते है कि सामान्य बीमा को हाथ में लेने के लिये मुआवजे के रुप में 38.23 करोड़ रुपय देने की बात कही जा रही है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि सरकार ने 25वें संशोधन तथा अनुच्छेद 31 के संशोधन के पीछे जो भावना थी, उसे समाप्त कर दिया है।

वर्ष 1956 में जब जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया और जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई तो 256 कम्पनियों को 5 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया गया था। परन्तु अब सामान्य बीमा कारबार सम्बन्धी 107 विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों को 38.23 करोड़ रुपया दिया जायेगा। इन कम्पनियों को 13 मई, 1971 से, जब से इनके प्रबन्ध को नियंत्रण में लिया गया, केवल प्रबन्ध अर्जन के लिये 33 लाख रुपया प्रति मास दिया जा रहा है और यह राशि और भी बढ़ सकती है। कुल धनराशि तथा इस विधेयक के अन्तर्गत दी जाने वाली धन-राशी लगभग 45 करोड़ रुपये बनती है।

इन सामान्य बीमा कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी 12 से 13 करोड़ रुपये है जिसमें वे बोनस अंश भी सम्मिलित हैं जो समय समय पर इन कम्पनियों द्वारा दिये गए हैं। उनकी कुल आस्तियां 240 करोड़ रुपये है जिन्हें वे प्रीमियम से अलग रखने के लिये बाध्य हैं। इस प्रकार अब उन्हें बहुत बड़ी धनराशि देने का प्रस्ताव है, जिसका भार इस देश के जन-साधारण पर पड़ेगा। प्रवर समिति के सदस्य तथा चयरमैन यह नहीं बता सके कि यह राशि इतनी अधिक कैसे हो गई जो पहले 5 करोड़ रुपये थी।

प्रवर समिति के चैयर मैन ने हमें बताया कि वह प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने में तीन सप्ताह की अवधि बढ़ाना चाहत है। उन तीन सप्ताहों में अचानक ही सुनने में आया कि भारतीय कम्पनियों को दिये जाने वाले मआवजे की राशि में वृद्धि की जा रही है क्योंकि उन्होंने शिकायत

[श्री इंद्रजीत गुप्त]

की थी कि उनम तथा विदेशी कम्पनियों के बीच भेदभाव बरता जा रहा है। उनके अनुसार भेदभाव का आधार यह है कि विदेशी कम्पनियों का मुआवजा उनके द्वारा अर्जित लाभ के आधार पर मांका गया जबकि भारतीय कम्पनियों का मुआवजा उनके द्वारा घोषित लाभांश पर आंका गया।

यदि सरकार का यह तर्क है कि इसकी न्यायालय द्वारा विभेद के आधार पर रद्द कर दिया जायगा तो मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय कम्पनियों के शेयर को लगभग पांच करोड़ रुपये बढ़ाकर इस विभेद को किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

इन कम्पनियों की 45 करोड़ रुपये का मुआवजा देने में कोई औचित्य नहीं है। इन बीमा कम्पनियों में बड़े बड़े व्यापार गृहों के भी शेयर है। साधारण व्यक्तियों के इनमें शेयर नहीं है। अतः मुआवजे का लाभ बड़े बड़े व्यापार गृहों को ही होगा। सरकार को यह उपबन्ध इस प्रकार बर्तना चाहिए था जिससे थोड़े थोड़े शेयर रखने वालों को मुआवजे की अधिक प्रतिशतता प्राप्त हो और जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास शेयरों की संख्या बढ़ती जाय, यह प्रतिशतता कम होती जाए और इस बारे में मुआवजे की राशि की अधिकतम सीमा भी नियोजित की जानी चाहिए थी। मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार की क्या योजना है यदि मुआवजे की राशि का बोध लोगोंपर इसी प्रकार डाला जाना है, तो मैं जानना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन करने के क्या कारण थे। क्या देश की अर्थव्यवस्था इतना बोझ सहन कर सकती है। इससे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयकरण से जो कुछ हमें मिलने वाला है उससे अधिक हम मुआवजे के रुप में देने जा रहे हैं।

दक्षता के नाम पर सरकार जो निगम तथा उसके अन्तर्गत चार कम्पनिया बनी जा रही है उससे सरकारी क्षेत्र की साख को धक्का लगेगा। सरकार का वर्तमान योजना से सामान्य बीमा के मामले में केवल बड़े बड़े व्यापार गृहों को ही लाभ होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रीमियम की दरें भी अलग अलग होंगी? मेरे विचार में ऐसा नहीं होगा। यदि दरें समान होंगी तो इसमें प्रतियोगिता का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है। दूसरे इसमें फील्ड में कार्य करने वालों में कदाचार बढ़ेंगे। इस कारपोरेशन तथा चार कम्पनियों के प्रबन्ध के लिए अलग अलग कार्यकारी अधिकारी रखे जायेंगे। इससे व्यय बढ़गा। इसके अतिरिक्त विज्ञापनो तथा प्रचार पर भी भारी धनराशि व्यय होगी। वे एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करेंगे और इस प्रकार इनमें आपस में प्रतियोगिता होगी। अतः मेरे विचार में इस समूचे ढांचे से जो सरकार बनाने जा रही है, लोगों को कष्ट ही होगा। सक्रीय अधिकारियों में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण और कर्मचारियो को प्रबन्ध से सम्बध करने से निगम के कार्य को सुदृढ़ किया जा सकता था।

मुझे प्रसन्नता है कि माननिय मंत्री ने कलकत्ता दावा ब्यूरो के कर्मचारियों को खपाने का आश्वासन दिया है। मुझे आशा है कि ऐसे ही अन्य संगठनों के व्यक्तियों को भी खपाया जायेगा।

इस विधेयक में कहा गया है कि यदि आवश्यक हुआ, तो सरकार समय समय पर सेवा शर्तों वेतन तथा उपदान आदि में परिवर्तन करेगी। मेरे विचार में सरकार को इन सभी बातों का एक ही स्टैंडर्ड रखना चाहिए अर्थात निगम तथा चारों कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा वेतन आदि समान ही होने चाहिए।

हमने सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण का सदा समर्थन किया है परन्तु जिस ढंग में यह किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते है।

अन्तमें मैं इतना ही कहना चाहता है कि इसमे सरकारी क्षेत्र के शत्रुओं को ही लाभ होगा।

श्री सी०एम० स्टीफन (मुवतु पुजा) : मैं बीमा तथा बैंकिंग के राष्ट्रीकरण का समर्थक हूं परन्तु इस विधेयक से जो तस्वीर सामने आई है, उससे मुझे निराशा हुई है।

मुआवजे का प्रश्न एक मूल महत्व का प्रश्न है। इसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि मुआवजा निर्धारित करने के लिए क्या कसौटी अपनाई जानी है। दूसरे सामान्य बीमा जैसी कम्पनियां के राष्ट्रीयकरण के लिए मुआवजे को कितनी राशि को पर्याप्त समझा जाना है। पहले यह कार्य न्यायालयों पर छोड़ा गया था। इस कार्य को अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। अतः इस कार्य को अब हमें युक्तिसंगत ढंग से करना चाहिए। प्रवर समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि इस धनराशि विशेष का निर्णय करते समय कोई कारण देने का प्रयास नही किया गया। अतः यह बताया जाना चाहिए कि इस राशि की बारे में निर्णय किस प्रकार किया गया।

भविष्य में हमारे समाज के ढांचे का आधार राष्ट्रीयकरण ही होगा। परन्तु हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बाजार भाव पर मुआवजा दिया जाये। मुआवजे का निर्णय सहि समय किसी बात को अर्थात प्रदत्त पूंजी, अचल प्राप्तियां अथवा कम्पनी विशेष के लाभ को ध्यान में रखा जायेगा।

वित्त मंत्रीने कहा कि अलोचन को रोकने के लिए भारतीय कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों की तुलना में अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। मेरे विचार में विभेद की बात को विदेशी कम्पनियों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि को कम करके भी टाला जा सकता था। यदि 'बुक वल्यु' को ध्यान में रखकर मुआवजे की राशि का निर्णय किया गया है, तो इससे बड़े लोगों को लाभ होगा अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदत्त पूंजी तथा अन्य राशि को मिलाकर इन कम्पनियों की कुल राशि 22 करोड़ रुपये होती है और हम इसको इससे कहीं अधिक राशि देने जा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संसद को इस बारे में अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए कि मुआवजे की राशि का निर्णय किस प्रकार किया गया है।

मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि क्या कारण है कि निगम अकेले ही यह सारा कार्य नहीं कर सकती। चार अतिरिक्त कम्पनियां बनाये जाने के क्या कारण हैं। इनमें प्रतियोगिता का कोई प्रश्न नहीं है।

मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने का अधिकार तथा शक्ति सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। परन्तु योजना के अनुसार निगम के कर्मचारी उसी के कर्मचारी रहेंगे। मेरे विचार में एसी शक्ति केवल नियोक्ता को ही प्राप्त होती है। सरकार ऐस किसी व्यक्ति को जो कि उसका कर्मचारी नहीं है, स्थानान्तरीत करने की शक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकती सरकार ने यह एक बहुत ही असाधारण शक्ति अपने हाथ में ली है।

जब संविधान संशोधन विधेयक यहां पर प्रस्तुत हुआ था, तो न्याय तथा उचित मुआवजे की बात कह रहे थे प्रधान मंत्री ने कहा था कि जिन लोगों का शोषण हुआ है उन लोगों को मुआवजा देने के बारे में क्या होगा? उन्होंने कहा था कि केवल ऐसे लोगों को मुआवजा देने की बात पर विचार किया जाना चाहिए। यदि इस विधेयक को भविष्य के लिए संकेत माना जाता है, तो मैं कहूंगा कि हमें गरीबी हटाओं का नारा नहीं लगाना चाहिए।

श्री पी० ए० सामिनाथन् (गोबीचेट्टिपलयम) : मैं अपने दल की ओर से....

*Shri Shiv Shankar Prasad Yadav (Khagaira) : I use on point of order. There are famine conditions in Bihar. About five hundred persons, have already died.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को इस समय नहीं उठाया जा सकता।

श्री पी० ए० सामीनाथन : मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परंतु मैं इसका पूरी तरह समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि इस विधेयक के अन्य उपबन्ध सरकार के स्वीकृत लक्ष्यों के विरुद्ध है। इस विधेयक के उपबन्धो से देश में समाजवादी समाज की स्थापना में सहायता नहीं मिलेगी। 38.23 करोड़ रुपये के मुआवजे सम्बन्धी उपबन्ध का मैं पूरी तरह विरोध करता हूं। सरकार दल के अनेक सदस्यों ने भी इस उपबन्ध का विरोध किया है। श्री स्टीफन ने भी इस उपबन्ध का विरोध किया हैं।

देश में एकाधिकार तथा पूंजीवाद की प्रवृत्तियों को बढ़ने से रोकने तथा धन के कुछ हातों में जमा होने को रोकने के लिए राष्ट्रीयकरण का मार्ग अपनाया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना है। क्या ऐसे विधेयकों से ऐसा करना संभव होगा।

1956 में 256 कम्पनियों का जो जीवन बीमा के कार्य करती थी, राष्ट्रीयकरण किया गया था। उन्हें उस समय केवल 5 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया था। परन्तु 16 वर्ष पश्चात् सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार ने 107 कम्पनियों को 38.23 करोड़ रुपये मआवजा देने का प्रस्ताव रखा है। जिस प्रकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है इसी प्रकार मुआवजे की राशि भी बढ़ गई है।

अब तक इन कम्पनियों को 6.6 करोड़ रूपये की राशि दी जा चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस राशि की मुआवजे की कुल राशि में शामिल किया जायेगा अथवा नहीं? यदि नहीं तो इस का अर्थ यह हुआ कि इन कम्पनियों को 45 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जायेगा।

इन 107 कम्पनियों में से 43 कम्पनियों विदेशी हैं। इन वर्षों में इन कम्पनियों ने करोड़ों रुपये अपने देशों को भेजे हैं। इस विधेयक में उनसे पक्षपातपूर्ण रवैया बरता गया है, मुआवजे के मामले में भारतीय कम्पनियों के साथ विभेदपूर्ण व्यवहार किया गया है। क्या विदेशी कम्पनियों को, जिन्होंने पालिसी होल्डरों का शोषण किया है मुआवजा देना आवश्यक है? क्या मुआवजे की इतनी बड़ी राशि देकर सरकार अपने निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध नहीं जा रही है। मुआवजे के उपबन्ध में राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। जब मैं मुआवजे के इस उपबन्ध को देखता हूं तो ऐसा महसूस करता हूं कि सरकार का 25 वां संविधान संशोधन विधेयक पास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा यह दृढ विश्वास है कि 25 वें संविधान संशोधन से समाज के कमजोर वर्गों की अपेक्षा सत्तारूढ़ दल के हाथ अधिक मजबूत हुए है।

मेरे दल डी० एम० के० ने एक सम्मेलन में इस आशय का एक संकल्प पास किया था कि 5 लाख रूपये से अधिक पूंजी वाले सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग तथा कपडा उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। परन्तु यदि इस विधेयक को पूर्वोदाहरण बनाया गया तो मुझे डर है कि वह दिन कभी नहीं आयेगा जबकि उत्पादन के महत्वपूर्ण साधन सरकार के नियंत्रण में होंगे।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

*Summarised tranaslated version based on english translation of the speech delivered in Tamil.

लोगों ने प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी में विश्वास प्रकट किया था क्यों कि उनको विश्वास दिलाया गया था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां को बन्द करके जैसे प्रगतिशील कदम उठाये जायेंगे । परन्तु बहुमत प्राप्त करने के पश्चात् सरकार ने वास्तव में क्या किया है। अभी हाल में हमें बताया गया है कि सरकार भूतपूर्व नरेशों को 10.70 करोड़ रुपये देने जा रही है। क्यों कि कोयला खानों के मालिकों को भी मुआवजा दिया जायेगा। क्या इस धन का उपयोग बेरोजगारी खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता। अतः मैं अपने दल की ओर से सामान्य बीमा कम्पनियों को मुआवजा दिये जाने का सख्त विरोध करता हूं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वह इस खण्ड को विधेयक से हटा दे ।

Shri Ramsingh Bhai (Indore) : Sir, I heartily welcome this Bill....

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Kindily listen to him also....**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात रिकार्ड में नही जाएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : **

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। पूर्व सूचना के बिना भी सदस्य कभी-कभी राष्ट्रीय महत्व के मामले उठाते रहते हैं, परन्तु इस समय यह नहीं हो सकता । सभा की कार्यवाही सभा के सभी नियमों का उल्लंघन करके नहीं चलाई जा सकती। अब इस संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी। मैंने आपकी बात सुन कर अपना निर्णय दे दिया है।

Shri Ramsingh Bhai. This Bill can be called revolutionary after the Bill seeking nationalisation of L.I.C. Now it remains to be seek how far the people would be benefited thereby. There are three points of difference *viz.*, compensation, creation of form companies and transfer of employees. We have first to understand the basis on which compensation is being paid....*(Interruption)*

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हम माननीय सदस्य की बात नहीं समझ सकते जबतक कि सभा में व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए आपका सहयोग चाहता हूं।

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमें सदस्य का भाषण सुनने का अधिकार है, अतः सभा में व्यवस्था स्थापित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री शिवशंकत प्रसाद यादव उठकर खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे तो सभा की कार्यवाही में बा । डालने के लिए मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा।

(इसके पश्चात् श्री शिव शंकर प्रसाद यादव सभा से बाहर चले गये)

(Shri Shiv Shankar Prasad Yadav then left the House)

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

Shri Ramsingh Bhai : We would have to examine the basis of compensation to them, thier assets and habilities, because we know that they have increased their share capital by fair or foul means. These Insurance Companies were appropriating as much as 75 percent of the total insured value. Nothing from their own pocket went to increase their share Capital. So much so that at the beginning of 2nd Plan this capital was six Crores of rupees where as it swelled to 70 Crores today. Some improvement was evidenced after the enactment of company law (Amendment) Act. Government should consider all these aspects, otherwise nationalisation would become a liability. The existing malpractices and rackets in prefering and deciding claims have also to be checked.

I, therefore, submit that the basis for payment of compensation shall have to be carefully worked out and the existing mismanagement shall have to be checked. I also feel that instead of proposed four companies, there should be only a single corporation which may have regional units at various places. Class III and Class IV employees should not be put to much inconvenience as a result of transfers etc.

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : यद्यपि राष्ट्रीयकरण हमारी सरकार और पार्टी का एक राष्ट्रीय सिद्धांत है, परन्तु आम जनता को इस पर आस्था नहीं है क्योंकि इससे न तो मूल्य-वृद्धि रोकने में सहायता मिली है और न ही बेकारी कम हो पाई है । कोई भी सरकार चाहे उसके पीछे कितना बड़ा बहुमत क्यों न हो, केवल नारों के बल पर कदापि नहीं चल सकती ।

यद्यपि सरकारी क्षेत्र अब एक स्थायी अस्तित्व रखता है, परन्तु इसे भ्रष्टाचार और अदक्षता का पर्यायवायी समझा जाता है। इसके कुप्रबन्ध के कारण हमें अधिकाधिक पूंजी का होम करना पड़ता है जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ती जा रही है।

कौन नहीं जानता कि 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और ये बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र की मांगपूर्ति नहीं कर पाए हैं। आज हमें सभी राष्ट्रीयकृत उद्योगों के कार्यचालन का मुल्यांकन करके सभी बुराइयों को दूर करना होगा और साथ ही और आगे राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व सभी प्रकार सोचना होगा क्योंकि सोवियत अर्थ शास्त्रियों का मत है कि भारत में अब ऐसा करने का कोई लाभ नहीं होगा।

हमें पता है कि हम कृषि और उद्योग, दोनों क्षेत्रों में, आर्थिक जड़ता की स्थिति को पहुंच चुके ह—इसका कारण सरकारी नीतियां ही तो हैं। अब हम संयुक्त क्षेत्र की बात करने लगे हैं। यदि हम चाहते हैं कि रोजगार के अवसर उत्पन्न हों, तो हमें किसी प्रकार की टैकनोलोजी खोजनी होगी ।

संयुक्त समिति में वित्त मंत्री से जब मुआवजा निर्धारित करने के सिद्धांत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताने से लगभग इन्कार कर दिया। इसीलिए लोगों में यह धारणा है कि विभिन्न कंपनियों को दिए गए मुआवजे उनकी आस्तियों, शेयर-पूंजी आदि के आधार पर निश्चित नहीं किए जाते। इससे पूंजी-निवेश बाजार गडबड़ा जाता है और निवेश कर्ता पूंजी लगाने के लिए आगे नहीं आते । इसलिए मुझे संदेह है कि पूंजी बाजार को फिर जीवित किया जा सकेगा जो मैं समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से सुदृढ़ करने के लिए अत्यावश्यक है। अतः वित्त मंत्री को शेयर धारियों को स्पष्ट बताना चाहिए कि उन्हें वास्तव में किस आधार पर प्रतिकर मिलेगा ।

यदि प्रतिकर के मामल में विभिन्न कम्पनियों में भेदभाव बर्ता गया, तो यह विधेयक उच्चत्तम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा ।

विदेशी कंपनियों को मेरे विचार में आस्तियों में से देनदारियां घटा कर जो रकम बनती है, उससे एक पैसा भी अधिक नहीं मिलना चाहिये जो 7.5 करोड़ रुपये बनता है।

मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित एक कंपनी और चार निगमों के स्थान पर प्रत्येक राज्य के लिए एक स्वायतशाली निगम होना चाहिए, अर्थात कुल 18 निगम हों ताकि विकेंद्रीकरण प्रतिस्पर्धा और उचित लाभ कमाने की क्षमता प्राप्त की जा सके।

सामान्य बीमे को कृषि क्षेत्र में भी न केवल पशुओं, बल्कि फसलों और कृषि उपकरणों आदि का बीमा करके इस समुदाय में व्याप्त अनिश्चितता समाप्त करनी चाहिये। इस से हम कृषि उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं।

अन्त मे मैं यही कहूंगा कि राष्ट्रीयकरण सभी रोगों के लिए रामबाण नहीं है, यद्यपि यदि राष्ट्र-हित में हो, तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिये।

The Shankar Dayal Singh (Chatra) : Sir it is regretable that dreams cherished by us at the dawn of freedom have not been realised despite best efferts of Government. Although we have taken many revolutionary and historic steps in this direction such as abolition of Zamidari, Bank nationalisation etc. Yet there is no trace of optimism in the eyes of the common man.

Regarding payment of compensation in respect of industries and insurance companies nationalised it is not understandable why is one case it is paid in the shape of bonds while in the other it is paid in cash. We should know that this compensation goes to the capitalist and not to masses. I am sure the hon. Finance Minister is fully aware of that. I therefore, want that those who have already derived full benefit of their investment do not deserve any compensation now. The bureaucrats who act as stoops of capitalists should also be removed by payment of compensation, if necessary.

Today where in L.I.C., and nationalised banks business and furnover has increased, their ad ministrative efficiency has deteriorated. We want bureaucracy dedicated to the principle of nationalisation, only there we can achieve any tangible results.

I would request the hon. Minister to consider once again the question of compensation to all those, the amount of which exceeds Rs. 10 lakhs and there are, I think, 64 such companies. No such compensation should be paid in cash.

The provision of having one holding company and four regional Corporation should be amended to create only one Corporation.

To conclude I would again urge that whatever we do, it should be directed to usher in real socialism in the country and for that the amendments suggested by me should be accepted.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : श्रीमन, यह विधेयक संतोषजनक नहीं है और इसका वह भाग विशेष रुप से, जिसमें मुआवजे के लिए केवल 'राशि' लिखा गया है और मुआवजा तय करने का आधार नहीं दिया गया है। वस्तुत: सभा का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि मुआवजे की निर्धारित की गई राशि उचित है अथवा नहीं। जब तक मुआवजे को निर्धारित करने का आधार या मुआवजे को राशि न बताई जाये तब तक हम इस प्रश्न पर कैसे विचार कर सकते हैं कि निर्धारित मुआवजा उचित है अथवा नहीं। विदेशी कम्पनियों के मामले में यह व्यवस्था करना कि पहले एक आधार तय किया जायेगा और फिर उसके अनुसार उन्हें मुआवजा दिया जायगा, उनका पक्षपात करना है। अपने देश की कम्पनियों के विरूद्ध यह भेदभाव क्यों किया गया। भारतीय कम्पनियों को अतिरिक्त राशि देने मात्र से भी यह भेदभाव दूर नहीं होता। जिस आधार पर 5 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त राशि के रुप में दी गई उसके प्रति भी संदेह होता है।

[श्री एच० एम० पटेल]

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि सामान्य बीमा निगम और चार अन्य कम्पनियां बनाई जायेंगी। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा बढाने के उद्देश्य से य कम्पनियां बनाई जा रही है। किन्तु कम्पनियां बनाने मात्र से प्रतिस्पर्धा का तत्व नही आयगा। कर्मचारियों की दक्षता बढ़ जाने से यह सम्भव होगा। हां, चार कम्पनियां बनाने का एक प्रकार से लाभ हो सकता है। यदि इन कम्पनियों में से प्रत्येक पृथक-पृथक क्षेत्र में कार्य करें तो उनसे लाभ हो सकता है। उदाहरणार्थ एक कम्पनी फसल बीमा, दूसरी पशु-बीमा आदि का कार्य करे। किन्तु ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है। अतः चार कम्पनियों की स्थापना के सम्बद्ध में पुनः विचार किया जाना चाहिए। यदि जीवन बीमा निगम अकेला ही काम कर सकता है तो सामान्य बीमा निगम भी अकेला ही सफलतापूवक कार्य कर सकता है। मेरे विचार से इसके साथ चार अन्य कम्पनियां जोड़ना गलत है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : सभापति महोदय, एक नियंत्रक कम्पनी और चार अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में मंत्री महोदयने कहा था कि इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। किन्तु मेरी समझ में यह नही आता कि सामान्य बीमा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कैसे हो सकती है जबकि उसके प्रीमियम की दरें निश्चित हैं। बीमा कोई उत्पादन उद्योग तो है नही, जिसमें ग्राहकों को विभिन्न दर से छूट दी जा सकेगी। प्रतिस्पर्धा तभी बढेगी जबकि विभिन्न कम्पनियां ग्राहकों को विभिन्न दर से से छूट देंगी। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था से कर्मचारियों में ईर्ष्या द्वेष की भावना पैदा होगी। जिस कम्पनी का व्यापार अधिक होगा उसके कर्मचारी अधिक वेतन और बोनस की मांग करेंगे। यदि एक कम्पमी में एक बार वेतन आदि बड़ा दिया गया तो आपको दूसरी कम्पनियों में भी बढाना होगा। यदि आप नहीं बढायेंगे तो उनमें रोष फैलेगा। इस व्यवस्था से कर्मचारियों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि होगी और भ्रष्टाचार भी फैलेगा।

जहां तक मुआवजे का सिद्धान्त तय करने का सम्बन्ध है, मैं इसके पक्ष में नही हूं कि मुआवजे का सिद्धान्त तय किया जाये या मुआवजे की राशि का उल्लेख विधेयक में किया जाये। यदि ऐसा किया गया तो कुछ प्रभावित लोग इसे लेकर उच्चत्तम न्यायालय में जायेंगे, जहां पर इस कानून को रद्द कर दिया जायगा। अतः विधेयक में सिद्धान्त का उल्लेख न किया जाना ही ठीक है।

यह प्रश्न भी विचारणीय है कि मुआवजा किसे दिया जाता है। आजकल अधिकांश पूंजी-निवेश पूंजीपतियों ने किया हुआ है। यदि मुआवजा उन व्यक्तियों को जाता है जो 5000 रुपये के मूल्य के शेयरधारी हैं, तो सामाजिक न्याय का प्रश्न उठता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बड़े व्यक्तियों और छोटे तथा मध्यम स्तर के कितने-कितने अंशधारी हैं, जो मुआवजे के हकदार है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमान्, मैं यह नही मानता कि सभी आर्थिक समस्याएं राष्ट्रीयकरण से हल हो सकती हैं। किन्तु विकासशील देश में राष्ट्रीयकरण इन समस्याओं को हल करने में बहुत हद तक सहायक होता है। इस दृष्टि से मैं सामान्य बीमेके राष्ट्रीयकरण का स्वागत करता हूं। मैं विकेन्द्रीकरण का समर्थक हूं। विकेन्द्रीकरण से कार्यकुशलता बढ़ती है और धन-संग्रह की प्रवृत्ति को रोकने में भी यह सहायक होता है। किन्तु यहां पर चार इकाइयों के उपयोग के बारे में मुझे संदेह है। चूंकि सभी इकाइयों में टेरिफ और प्रीमियम की दर एक ही रहेगी, इसलिए स्वस्थ स्पर्धा की गुंजाइश ही नही है। इस व्यवस्था में तो कदाचार और भ्रष्टाचार बढेगा। नकली एजन्टों की व्यवस्था का भी अन्त इस व्यवस्था में मुझे दिखाई नही देता। चार इकाई होनेसे कर्मचारियों की संख्या और तत्सम्बद्ध खर्च बढ़ेगा और इससे लाभ का अनुपात और कम होगा। इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और बोनस आदि की दर में सम्बद्ध इकाई की तुलना में थोड़ा बहुत अन्तर हो जाना स्वाभाविक है और उससे दूसरी इकाइयों की कार्यकुशलता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इन बातों की ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

मैं श्री साठे के इस मत से सहमत नहीं हूं कि यदि मुआवजे के लिए आपने कोई सिद्धान्त निर्धारित कर दिया तो प्रशासन बंध जायेगा और ठीक से काम नहीं कर सकेगा। मेरे विचार से चाहे आप 'राशि' कहें अथवा 'मुआवजा' इसके लिए कोई सिद्धान्त तो होना ही चाहिए जिसके आधार पर वह तय किया जा सके। इससे सामाजिक न्याय का तकाजा भी पूरा हो जाता है और और जिनकी सम्पत्ति अधीगृहीत की जाती है, उन्हें कुछ मिल भी जाता है। यह दुःख की बात है कि प्रवर समिति को जो सिद्धान्त सुझाये गये थे, उसने उनमें से एक भी नहीं माना। मेरे विचार से जो भी प्रदत्त पूंजी हो, उसे राशि अथवा मुआवजे के भुगतान का आधार बनाया जाना चाहिए। यह सिद्धान्त सर्वोत्तम है।

कर्मचारियों के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि प्रस्तावित चार यूनिटों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों और बोनस और सेवा की सुरक्षा आदि से सम्बधित इस विधेयक में कुछ उपबन्धों में संशोधन किये जाने चाहिए। अन्त में मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह हमारे द्वारा दिये गये संशोधन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जो संशोधन विधेयक के दोषों को दूर करने वाले और विधेयक को सशक्त बनाने वाले हों, उन्हें वह स्वीकार कर लें।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : श्रीमन्, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक भारत की जनता के हितार्थ लाया गया है और इस सम्बन्ध में जो विवाद उठाया जा रहा है वह व्यर्थ है। विधेयक में मुआवजे की राशि तय करने की जो रीति बताई गई है वह ठीक है। आज से 20 से 30 वर्ष पूर्व जो राशि लगाई गई थी उसका $2\frac{1}{2}$ गुना दे देना आज की स्थिति में पर्याप्त है। शेयर धारियों ने जो लाभांश कमाया है अथवा रक्षित पूंजी बनाई है, वह सरकार के कानूनों के अनुसार बनाई है, इस लिए मुआवजा देने में इनको नहीं गिना जाना चाहिए। लाभांश को मुआवजे के निर्धारण का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

क्योंकि बीमा उद्योग सेवा पर आधारित उद्योग है, इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि राज्यों को भी इसमें अपना योगदान करने दें। जिन क्षेत्रों में राज्यों की ओर से बीमे की व्यवस्था है, वहां पर राज्यों को ही अधिकार दिये जायें। सेवा-अश्रित उद्योग होने के नाते यदि सामान्य बीमे के लिए चार इकाइयां बच दी गई है, तो उसमे भी मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। इस व्यवस्था से न तो संस्थापन-खर्च बढ़ेगा और न ही कदाचार। हां, इन इकाइयों के कर्मचारियों के लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। जो अच्छा काम करे उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए और काम न करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। साथ ही मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि इन इकाइयों का राजस्व या व्यापार तभी बढ़ेगा जबकि इसके कर्मचारी ग्राहकों को 'भिक्षुक' न समझकर 'बादशाह' समझेंगे? तभी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : श्रीमन्, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। ऐसे ही विधेयकों से देश में आर्थिक-सामाजिक लक्ष्य पूरा होगा। किन्तु यह विचित्र बात है कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुझावों को नहीं माना है। आज लगभग सभी सदस्यों ने चार कम्पनियां बनाये जाने का विरोध किया है। इसका कारण यह है कि सामान्य बीमा कारोबार में जो दोष अब विद्यमान हैं, वे प्रस्तावित व्यवस्था में ज्यों के त्यों बने रहेंगे। । मुआवजा तय करने के सिद्धान्त का उल्लेख न करके भी सरकार ने यह दर्शाया है कि वह बड़े पूंजीपतियों के सामने झुक गई है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने मुआवजे की राशि के सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों का पक्षपात किया है। ऐसा करने के कारणों पर वित्त मंत्री प्रकाश डालें। विधेयक द्वारा सरकार ने उक्त चारों कम्पनियों के कर्मचारियों का एक से दूसरे में स्थानान्तरण करने का अधिकार भी अपने हाथ में लिया है। इससे लोगों को परेशान किया जायेगा और इससे कारोबार प्रभावित होगा। साथ ही विधेयक में ऐसा उपबन्ध भी होना चाहिए जिससे नकली एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार समाप्त हो। सरकार इन बातों की ओर ध्यान देगी, मैं यह आशा करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यह चर्चा बड़ी ही रोचक तथा उपयोगी रही। जो बात तर्क संगत होती है उसे स्वीकार भी किया जाता है और जो स्वीकार करने योग्य था वह हम पहले ही स्वीकार कर चुके है। और आगे भी संशोधनों पर विचार के समय यदि हमें कोई बात स्वीकार करने योग्य मिली तो हम उसे भी स्वीकार करेंगे परन्तु जो बात इस विधेयक की मूल भावना को बदलना चाहेगी उसे स्वीकार करने की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं।

यह चर्चा सामान्यतः तीन या चार महत्वपूर्ण बातों पर केन्द्रित रही जिन में एक प्रश्न मुआवज के बारे में था। प्रवर समिति में मैंने इस संबंध में अपने तर्क पेश किये थे। संविधान के अनुसार जो हम दे रहे हैं वह 'मुआवजा' नहीं बल्कि एक राशि है। परन्तु कुछ भी न देने की बात सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी।

इसमें 107 सामान्य बीमा कम्पनियों का प्रश्न है तथा इन की तुलना जीवन बीमा कंपनियों के साथ करना अनुचित है। दोनों प्रकार को कंपनियों में मूलभूत अंतर है। जीवन बीमा कंपनियों का लाभ पोलीसी-धारियों को मिलता है जब कि सामान्य बीमा कंपनियों का लाभ शेयर-धारी लेते हैं तथा उनका स्वामित्व वस्तुतः इन शेयर धारियों के दामों में ही होता है। इसलिये स्वाभाविक है कि मुआवजा शेयर धारियों को ही मिलेगा। अतः जो राशि हम दे रहे हैं वह बड़ी ही होगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

मेरे पास सभी बीमा कंपनियों के अंश धारियों के नाम या संख्या तो नहीं है फिर भी मैं कुछ विशिष्ट कंपनियों के अंश धारियों की संख्या बता सकता हूं। इन कंपनियों में अंश धारियों की संख्या तथा प्रत्येक की शेयर राशि के यह निश्चय ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके अंश धारी मध्य-श्रेणी के लोग हैं और इसी लिये हम उन्हें कोई न्यायोचित धनराशि दे रहे हैं। याद रहे मैं "मुआवजा" शब्द नहीं कह रहा हूं बल्कि कोई "न्यायोचित राशि" की बात कह रहा हूं। इन शेयर धारियों की शेष राशि लगभग 5000 रुपये है। मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने किसी अन्य कंपनी के भी शेयर खरीद रखे है अतः इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। जिनकी शेयर राशि 5000 रुपये तक है उन्हें पूरी राशि नहीं दी जायेगी बल्कि उसके अनुपात से ही धनराशि उन्हें मिलेगी। कोई राशि देने के संबंध में पहले लाभों, दायित्वों को घटा कर परिसम्पतियों आदि सभी पहलुओं को भी ध्यान में रख कर ही निश्चित की जायेगी। यही बात संयुक्त समिति के समक्ष रखी गई थी और उसने भी सारी समस्या पर पूरी तरह विचार करके इसे स्वीकार कर लिया था। यद्यपि कई सदस्यों ने इसका अनुमोदन नहीं किया था तो भी क्योंकि यह एक संसदीय समिति है अतः यह कहना गलत होगा कि इस विषय में संसद ने विचार नहीं किया। संयुक्त समिति ने ही यह निर्णय किया है तथा कुछ संशोधन भी उसने स्वीकार किये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह संशोधनों को देखने के पश्चात् ही उसके बारे में कुछ कहेंगे? अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 3 बजे या इसके कुछ देर बाद तक भी संशोधन पेश किये जा सकते हैं। मेरे सभी संशोधन 3-15 बजे तक पहुंच गये थे। अब उनका यह कहना उचित नहीं कि उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष पीठ द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से संशोधन पेश हुए हैं परन्तु अनेक ऐसे भी हैं जिनकी लिखावट बड़ी कठिन है और उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। अतः वे यहां परिचालित भी नहीं किये जा सके है। फिर भी संशोधनों पर विचार करते समय उन्हें यहां सभा में पढ़ दिया जाये। उन पर भी विचार किया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा था कि हम संशोधन पर अवश्य विचार करेंगे परन्तु साथ ही मैंने यह भी कहा था कि जिस संशोधन द्वारा इस विधेयक का स्वरूप ही बदल जाता है उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे ।

अगला प्रश्न चार कंपनियां बनाने का था इसमें सिद्धान्त रूप से कोई मतभेद की बात नहीं है। इसका उद्देश्य वस्तुत: इस समस्या को नई दृष्टि से देखना है। एक समाजवादी अर्थ व्यवस्था के अन्तगत या एक समाजवादी समाज में उत्तमतर सेवा उपलब्ध कराने में परस्पर प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है। इस बारे में किसी प्रकार का भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। लोग तो केवल प्रीमियम के कम होने, भ्रष्टाचार क्या सच बातों को ही सोचते हैं। यहां प्रीमियम कम करने की तो कोई बात ही नहीं है। यहां प्रश्न है एक निगम द्वारा अधिक उत्तम सेवा प्रदान करने का है। फिर राष्ट्रीयकरण करने से ही तो सेवा बहत्तर नहीं हो जाती। आज भी हमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं क्योंकि ग्राहकों को सेवा का स्तर ठीक नहीं है। अत: यह प्रतिस्पर्धा अधिक उत्तम सेवा देने के लिये है। फिर हम केवल इसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे जितने में कि वर्तमान सामान्य बीमा कंपनियां कार्य करती रही है। हम नई दिशायें खोजेंगे, सेवा का मार्ग अपनायेंगे। कृषि क्षेत्र में भी यद्यपि एक दम तो नहीं परन्तु आगे भविष्य में कुछ करना होगा। सारांश यह कि प्रतियोगिता की भावना के साथ बेहतर सेवा प्रदान की जायगी तथा सामान्य बीमा की समस्या को नये ढंग से नई दृष्टि से तथा नये तौर-तरीकों से हल करने का प्रयास किया जायगा ।

किसी भी उद्योग को राष्ट्रीयकृत करते समय उसमें कुछ सैद्धान्तिक परिवर्तन किये जाते हैं और फलस्वरूप उसमें कोई नई गतिविधि भी तथा नया स्तर भी बनाया जाता है। और इन सभी प्रयासों का सभी ग्राहकों को आकर्षित करने तथा उन्हें बेहतर सेवा तथा सुविधायें देने का होता है। हमारी प्रतियोगिता की भावना इसी संदर्भ में होगी ।

फिर यदि संसद यह समझे कि यह निगम वैसा कार्य नहीं कर पा रहा है जैसाकि इसे करना चाहिये, तो संसद इस पर पुनर्विचार कर सकती है। हमने इसे कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया है, हां हम स्तर की सेवा तथा सुविधायें प्रदान करने को कृतसंकल्प जरूर हैं ।

माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं। एक सुझाव यह था कि कर्मचारियों को एक कंपनी या निगम से किसी दूसरी कंपनी या निगम में स्थानान्तरित कर दिया जाये। हमने उक्त आशय के एक संशोधन को स्वीकार भी किया है परन्तु इसका उद्देश्य यह था कि प्रारंभ में निगम के गठन के समय, उच्च स्तर पर विभिन्न कंपनियों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वितरित कर दिया जाये। मैंने स्वयं यह संशोधन पेश किया है और हमें केन्द्र सरकार के स्थान पर निगम का रूप दिया है। इस संबंध में किसी ने कोई संशोधन पेश नहीं किया था इस लिये स्वयं मैंने इस आशय का संशोधन पेश किया। श्री पी० एम० मेहता खण्ड 22 को पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे परन्तु मैंने केन्द्र सरकार के स्थान पर निगम का समावेश किया है।

अब जो चार कंपनियां बनाई जा रही हैं उनमें परिलब्धियों, मजूरी आदि संबंधी तो कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। श्री वसन्त साठे एक मजदूर नेता हैं वह मुझे इसका आश्वासन दे सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप कम मजूरी देंगे तो हम अधिक मजूरी की मांग करेंगे (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जनसमुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिश्चित करके वित्तीय आवश्यकताओं को अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, कि अर्थ-व्यवस्था के प्रचलन के परिणामस्वरूप धन का ऐसा

[उपाध्यक्ष महोदय]

संकेन्द्रण न हो, जो सर्व सामान्य के अहित में हों, भारतीय बीमा कम्पनियों तथा अन्य विद्यमान बीमाकर्ताओं के उपक्रमों के अंशों के अर्जन तथा अन्तरण का, ऐसे कारबार के विनियमन और नियंत्रण का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 से 6 पर कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 6 were added to the Bill

खण्ड 7

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं वे अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूँ जिसमें कहा गया है कि पृष्ठ 5 पर पंक्ति संख्या 31 से 36 निकाल दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डवते का संशोधन मेरे पास नहीं पहुंचा है। वह न जाने क्यों उसे यहां नहीं ला रहे हैं। उस एक संशोधन के कारण सभा की कार्यवाही रूकी हुई है। क्या मैं कुछ देर के लिये सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूं ताकि वह अपना संशोधन ला सकें? सदस्यगण उचित समय पर अपना संशोधन पेश नहीं करते है। इससे बड़ी कठिनाई पैदा होती है। मुझे श्री दण्डवते के संशोधन की संख्या भी ज्ञात नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस खण्ड के अधीन सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों को अदालत से न्याय प्राप्त करने से वंचित किया गया है यह उचित नहीं है। इसी लिये मैं ने अपना संशोधन संख्या 8 पेश किया है। मंत्री महोदय इस संबंध में पुनः विचार करें तथा अपने लिये कानूनी सलाह प्राप्त करें कि कहीं इस मूलभूत अधिकार का अतिक्रमण तो नहीं होता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं ने अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत किया है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण पर उसकी सेवा शर्तों तथा वेतन आदि में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिय जो उसे अलाभकर हों, संभव है कुछ उच्च वेतन प्राप्त अधिकारियों को जारी रखने की आवश्यकता अनुभव न हो। जो ऐसी सूरत में तो उसमें यह व्यवस्था है कि उनका अनुबन्ध समाप्त करके उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। परन्तु सामान्य कर्मचारियों को इस संबंध में सांविधिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये। मंत्री महोदय कमसे कम यह आश्वासन तो दें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करता हूं जिसका आशय है कि खण्ड 7(3) का लोप कर दिया जाये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस खण्ड का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हमें 107 कंपनियों को एक निगम तथा 4 कंपनियों में ढालना है अत: लोगों का स्थानान्तरित किया जाना स्वाभाविक है। इस लिये हमने व्यवस्था रखी है कि लोग न्यायालय का सहारा लेकर सारे पुनर्गठन में रुकावट पदा न कर सकें। हां अनुच्छेद 226 के अधीन प्राप्त इस अधिकार हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। वह एक अलग बात है।

दूसरे प्रश्न के बारे में प्रवर समिति स्तर भी विचार किया गया था और मैंने यह आश्वासन दिया था कि श्रेणी III तथा IV के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य हितों की रक्षा की जायगी। अत: मैं उक्त संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1, 8 तथा 36 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 1, 8 and 36 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 8 to 10 were added to the Bill.

खण्ड 11

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 2, 3 तथा 4 प्रस्तुत करता हूँ ।

खण्ड 11 अंशों अथवा उपक्रमों के स्थानान्तरित करने अथवा रखने पर धनराशि देने के बारे में है। इस में एक उप-खण्ड भारतीय कंपनियों तथा दूसरा उप-खण्ड विदेशी कंपनियों सहकारी संस्थाओं आदि के बारे में है। मंत्री महोदय ने कतिपय श्रेणियों के अंश धारियों को धनराशि देने का उपबन्ध किया है। मंत्री महोदय ने शायद यह नहीं बताया है कि अनुसूची 'ख' में वर्णित राशि विदेशी कंपनियों पर किस आधार पर दी गई है। अपने उत्तर में उन्होंने अंश धारियों के अधिकारों का अधिग्रहण करने की बात कही है परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है इन विदेशी कंपनियों ने क्या अधिग्रहीत किया है उनके दायित्व का मूदल क्या था, हमने उनसे पहले क्या कुछ वसूल किया था तथा उन्होंने अपने अपने देशों को कितनी राशि प्रेषित की। क्यों कि ये आंकड़े उपलब्ध नहीं है इस लिये हमने संशोधन की तीसरी मद में विदेशी कंपनियों के लिये 1000 रुपये की नाममात्र की राशि की व्यवस्था की है।

मद संख्या 4 में मैंने एक पारिणामिक संशोधन का सुझाव दिया है जिसका आशय सामान्य बीमा कार्य सहकारी संस्थाओं तथा अनुसूची के भाग III में वर्णित अन्य संस्थाओं के संबंध में जीवन बीमा निगम के अधिकार को सुरक्षित रखना है। हम अपने इस संशोधन पर इस लिये ज़ोर दे रहे हैं क्योंकि मंत्री महोदय ने मुआवज़े का कोई राष्ट्रीय आधार नहीं बताया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्योंकि ये संशोधन उन उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिनके लिये हम लड़ रहे हैं इसलिये हमने इनका समर्थन करने का निर्णय किया है। मुआवजे अथवा जिसे आप राशि कहते है उसका आधार प्रवर समिति में विचार के समय भी मेरी समझ में नहीं आया था। उक्त कंपनियों के प्रसिद्ध वकील श्री पालकीवाला ने उन का बाज़ार-मूल्य 138 करोड़ पये आंका था परन्तु उन्होंने 87 करोड़ रुपये की मांग की थी। मगर सरकार ने 33 करोड़ रुपये तय किया और फिर न जाने किस कारण से इसमें 5 करोड़ रुपया और जोड़ दिया।

मंत्री महोदय ने हमें बताया था कि कुछ कंपनियों में 94 या 95 प्रतिशत के पास 5000 या उससे कम मूल्य के शेयर हैं। मगर प्रवर समिति में हमने जब इन शेयर धारियों के नामों आदि का विवरण मांगा तो वह हमें नहीं दिया गया।

दूसरे मैं यह नहीं मानता कि 4000 या 5000 रु० के शेयर वाले लोग मध्य श्रेणी के लोग हैं। संभव है वह पहले सभी मध्य श्रेणी के लोग रहे है। उदाहारणार्थ 38 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मध्य श्रेणी के लोग है यदि इन में से शायद 100 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जिन्होंने बीमा कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं। तो स्पष्ट है जिन लोगों के एक कंपनी में 5000 के शेयर हैं उनके अन्य कंपनियों में भी शेयर होंगे और फिर भी वे इन पर ही आश्रित नहीं होंगे।

हम इस खण्ड का विरोध करते हैं तथा चाहते कि मुआवजे की राशि न बढ़ाई जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2, 3, 4 हमारी अपनी नीति के विरुद्ध हैं अत: इन को हम स्वीकार नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 3 तथा 4 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 2, 3 and 4 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 113; विपक्ष में 24

Ayes 113; *Noes* 24

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 11 was added to the Bill

खण्ड 12

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 और 6 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendment Nos. 5 and 6 were put and Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 7 और 10 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 और 10 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
The Amendment Nos. 7 and 10 were put and Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 13, 14 और 15 एक साथ सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13, 14 और 15 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 13, 14 और 15 विधेयक में जोड दिये गये
Clauses 13, 14 and 15 were added to the Bill.

खण्ड 16

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 11 से 15, और 18 से 22 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 16 और 17 प्रस्तुत करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपने संशोधन संख्या 37, 38, 39 और 40 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : सामान्य बीमा व्यापार के पुनर्गठन सम्बन्धी योजना के बारे में अनेक सदस्यों ने इस विचार का समर्थन किया है कि इस व्यापार को एक निगम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। हम केवल इस का इस लिए ही अनुरोध नहीं कर रहे है कि कर्मचारियों के संगठन ने यह सुझाव दिया है कि केवल एक ही स्वशासी निगम की स्थापना की जाए चार कम्पनियों को नहीं, अपितु, इसलिए भी कि हम ऐसा संयुक्त समिति में हुई चर्चा के दौरान की गई टिप्पणियों के कारण भी ऐसा कर रहे हैं। यदि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यदि हम चार कम्पनियां बनाते है तो यह पीछे की ओर जाने वाला कदम होगा। अधिकाधिक केन्द्रीयकरण होना चाहिए। एक निगम और चार कम्पनियों का अर्थ होगा पांच कम्पनियां। इससे नौकरशाही कम होने के बजाए इसे प्रोत्साहन ही मिलेगा। यदि सरकार का विचार बड़े-भारी प्रशासन पर होने वाले ऊपरले खर्च को कम करने का है तो ये चार कम्पनियां नहीं होनी चाहिए। यदि जीवन बीमा निगम सही कार्य संचालन कर रहा है और यदी हम ऊपरले खर्च बड़े भारी प्रशासन और नौकरशाही को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते है तो केवल एकही स्वायत्तशासी निगम होना चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : एक निगम में चार कम्पनियां बनाये जाने के बारे में सरकार द्वारा जो यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उचित नहीं है। पांच विभिन्न उपक्रमों में एक ही प्रकार के कार्य को बहुत-बड़े भारी प्रशासन द्वारा किया जायेगा। जहां तक प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध है प्रतिस्पर्धा केवल मुनाफा कमाने में की जायेगी। चार कम्पनियों की स्थापना करने से कार्यकुशलता घटेगी, ऊपर से नीचे तक नौकरशाही बढ़ेगी। इससे निस्सन्देह ग्राहकों की सेवा अधिक कुशलता से नहीं हो सकेगी। एक ही प्रकार का कार्य करने वाले विभिन्न पांच उपक्रमों में बड़े भारी प्रशासन पर भारी खर्च होगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने एक ही स्वशासी निगम का प्रस्ताव करने वाले संशोधन के अतिरिक्त और भी संशोधन प्रस्तुत किए है जो वेतनमानों की समानता सुनिश्चित करने और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने से सम्बन्धित है। और एक संशोधन खण्ड 16(4) के स्थान पर दूसरा खण्ड रखने के बारे में है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इन सब संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे संशोधन संख्या 16 पर मतदान किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एस० एम० बनर्जी का संशोधन संख्या 16 मतदान के लिए रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 21	**विपक्ष में 136**
Ayes 21	*Noes* 136.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड 16 पर अन्य शेष संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The rest of the amendments to Clause 16 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 23 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 23 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 19 पर कोई संशोधन नहीं है। इस लिए मैं खण्ड 18 और 19 दोनों को एक साथ ही मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा। इसलिए प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 और 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 18 और 19 विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clauses 18 and 19 were added to the Bill.

खण्ड 20

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 24 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 24 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 21 पर कोई संशोधन नहीं है। इस लिए में खण्ड 20 और 21 दोनों को एक साथ मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा। इसलिए प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 और 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 20 और 21 विधेयक में जोड़ दिए गये।

Clauses 20 and 21 were added to the Bill

खण्ड 22

संशोधन प्रस्तुत किया गया : पृष्ठ 11, पंक्ति 38:—

(केन्द्रीय सरकार) "Central Government" शब्दों के स्थान पर (निगम) "Corporation" शब्द रखे जाएं।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 22, संशोधित रूप में विधेयक मे जोड़ दिया गया।

Clause 22, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 23 को लेंगे। क्या श्री सोमनाथ चटर्जी अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : खण्ड 31 पर मैं कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 से 31 तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 23 से 31 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clauses 23 to 31 were added to the Bill.

खण्ड 32 से 40 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clauses 32 to 40 were added to the Bill.

अनुसूची

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अन्य दो संशोधन संख्या 32 और 33 प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं, मैंने केवल संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 34 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
Amendment No. 34 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर अब कोई संशोधन शेष नहीं है। इसलिए प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अनुसूची, खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।
The Schedule Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 93(2) के अनुसार कोई विधेयक, संशोधित रूप में उसी दिन पारित नहीं हो सकता जिस दिन उसे प्रस्तुत किया जाता है जब तक कि अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति नहीं देते। परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार इस विधेयक को इस सदन में शीघ्र ही पारित करना चाहती है। और सरकार का विचार राज्य सभा द्वारा भी इस विधेयक को शीघ्र ही पारित कराने का है किन्तु, मेरा अनुमान है कि इस विधेयक को इस प्रकार से राज्य सभा में भेजना लोकसभा को धोखा देना है। अतः इस विधेयक को कल पारित किया जाए। इसके लिए कल तक प्रतीक्षा की जानी चाहिए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यही है कि इसे आज पारित नहीं किया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा गत सत्र में भी किया गया था। नियम 90(2) को निलम्बित कर इस विधेयक को इस तरह से अव्यवस्थित ढंग से पारित नहीं किया जाना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कोई अन्य प्रस्ताव आपके पास था? यदि था तो क्या आपने नियम 90(3) को निलम्बित किया है?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सदन में अनेक बार ऐसा हुआ है कि जब विधेयक पर संशोधन स्वीकृत किए जाते है तो उसे उसी दिन पारित किया गया है। अतः इस विधेयक को कल तक रखने से कोई लाभ नहीं प्रतीत होता।

श्री एच० एन० मुकर्जी : आप हमें हमारे अधिकार से वंचित रखना चाहते है। इस समय 5.30 बज गये हैं और अभी आधे घण्टे की चर्चा भी की जानी शेष रह गई है। यह सिद्धान्त का मामला है। हमें इस सदन में इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बात है प्रथा की। ऐसी प्रथा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक विधेयकों के सम्बन्ध में इस प्रथा का पालन किया गया है। हम विधेयक का तीसरा पाठन कर रहे है।

श्री आर० वी० बड़े : व्यवहार्यतः किसी माननीय सदस्य कोई आपत्ति नहीं उठाई है। अब श्री मुकर्जी ने आपत्ति उठाई है, तो अध्यक्ष महोदय को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री पीलू मोदी : यदि एक माननीय सदस्य भी इस मामले में चुनौती दें तो हमारे पास जो नियम है हमें उनका पालन करना चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं तो इस बारे में आपका निर्णय जानना चाहता हूं। क्योंकि ऐसे अनेक अवसर आये है जब आपने कई मामले अध्यक्ष महोदय के पास भेजे हैं और उनके निर्णय की प्रतीक्षा की गई है। किन्तु अब अध्यक्ष महोदय यहां नहीं हैं। यह सिद्धान्त की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अध्यक्ष हूं। हम लगभग सब विधेयकों के बारें में इस सिद्धान्त का पालन करते रहे हैं। क्योंकि इस विधेयक के सम्बन्ध में इसे कलतक स्थगित करने में कोई लाभ नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैंने इसको पारित करने की अनुमति दी है। यदि कोई बोलना चाहता है तो उसको अधिकार हैं, किन्तु मैंने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने पूछा है कि क्या सरकार ने नियम 93 को निलम्बित करने के लिए आपके पास कोई प्रस्ताव पेश किया है? आपने कहा है "नहीं"।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप नियम 93 को अवहेलना नहीं कर सकते। इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया है। हम आपसे निष्पक्ष न्याय चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निष्पक्ष न्याय दे रहा हूं। सर्वप्रथम तो यह अब आवश्यक नहीं है क्योंकि मंत्री महोदय ने विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। दूसरे, मैंने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है। इसलिए मैं इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : विधेयक के तीसरे वाचन के समय हम बोलना चाहते है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सदस्यों का अधिकार है। इसपर सदस्यों की क्या सम्मति है। क्योंकि 5.30 पहले ही बज गये हैं।

श्री राज बहादुर : मैं 7 या 8 बजे तक रह सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है कि क्या आज की बैठक का समय और बढाया जाएं जिसस कि इस विधेयक पर तीसरा वाचन समाप्त किया जा सके और फिर अन्य कार्यवाही की जाए अथवा इसे कल तक के लिए स्थगित किया जाए और दूसरी चर्चा आरम्भ की जाए? यह सदन की इच्छा पर निर्भर करता है। सदन की क्या इच्छा है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सभा के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के नियमों की अवहेलना करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : विशेषकर विरोधी पक्ष को तीसरे पाठन के समय चर्चा का अधिकार है। अतः इस प्रकार सभा का मत प्राप्त करना विरोधी पक्ष की दृष्टि से पूर्णतया अनुचित है।

श्री पीलू मोदी : मैं सभापति महोदय से "मतैक्य" का अर्थ जानना चाहता हूं। क्योंकि यदि इसका अभिप्राय बहुसंख्या से है तो विधयक के विरोध में सात दल बोल चुके हैं और इसके पक्ष में केवल एक..... (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री एच० एन० मुकर्जी : यदि सरकार बहुसंख्या के आधार पर जोर डालकर विधेयक पारित करना चाहती है तो मैं इन परिस्थितियों में बोलना नही चाहूंगा। मुझें अनेक बातें कहनी हैं लेकिन यदि सरकार का व्यवहार एसा रहा तो मैं वे बातें नहीं कह पाऊंगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम यहां सुबह से बैठे हैं और आप उस विषय पर चर्चा नहीं करने देते जिसके लिये साढे पांच बजे का समय निर्धारित किया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप निर्धारित समय पर दृढ़ रहे और उसमें परिवर्तन न करें।

श्री एस० एन० बनर्जी : इस विधेयक पर अनेक संशोधन प्रस्तुत किये जाने हैं और राज्य सभा इस विधेयक को पारित करने के लिये नहीं बैठी है अतः हमे इस विधेयक को कल राज्य सभा को भेज देना चाहिये।

श्री जो० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : हमने कार्य यंत्रणा समिति की बैठक में नियम 193 के अन्तर्गत लाइट रेलवे पर चर्चा करने के लिये 7 बजे तक बैठना स्वीकार किया था। यदि हम आधे घन्टे की चर्चा साढे पांच बजे आरम्भ नहीं करेंगें तो अन्य चर्चा के विषयों पर चर्चा नहीं हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : हम देर तक बैठेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Rule 55 says that a new item for discussion cannot be taken up unless the discussion on the item included in the List of Business has been concluded.

श्री पीलू मोदी : यदि सरकार विधेयक पारित करने की इतनी इच्छुक है तो उसे कुछ असुविधा उठानी पड़ेगी। उसे सभा का कार्य पूरा हो जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी। सरकार चर्चा के लिये कम से कम समय देना चाहती है। विरोधी दलों को असुविधा क्यों दी जाये? आपको हमारे कुछ अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये। अत: आधे घंटे की चर्चा 5.30 बजे और अन्य विषय पर चर्चा 6 बजे की जानी चाहिये (**अन्तर्बाधाएं**)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभा का यह मत है कि सर्वप्रथम विधेयक पर चर्चा की जाये और उसके बाद अन्य किसी विषय पर विचार किया जाय (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री राज बहादुर : मैं सभा को इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि हम विरोधी दलों को परेशान करना नहीं चाहते। राज्य सभा और लोक-सभा का सत्र एक विशेष तारीख तक बैठना है और हमें तब तक उक्त विधेयक पास करना है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें इतना जोर देने की आवश्यकता न होती। हमें और भी अनेक विधेयक 2 सितम्बर तक पारित करने हैं।

हमें श्री पीलू मोदी के इस सुझाव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि सभा की कार्यवाही समाप्त कर इस विधेयक पर चर्चा की जायें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यदि हम सभा कार्य देरी से बैठकर भी पूरा नहीं कर पा रहे तो मेरा सुझाव है कि सभा का सत्र एक या दो दिन के लिये और बढ़ा दिया जाये। इस सत्र को एक सप्ताह कम का रखा गया है। गत सत्र को 10 दिन कम का रखा गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कार्य यंत्रणा की पिछली बैठक में हमने 7 बजे से अधिक समय तक बैठने का निर्णय किया था। हम अपना मध्यान्ह भोजन छोड़ने और शनिवार को बैठने के लिये भी तैयार हो गये थे। आप हमारे पर और कितना भार क्यों डालना चाहते हैं ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : यह तर्क नहीं दिया जाना चाहिये कि विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित करना है अथवा इस पर लोक सभा में कम चर्चा की जानी चाहिये। मंत्रियों का दायित्व लोक सभा के प्रति है और किसी के प्रति नहीं। यदि सरकार कोई विधेयक पारित करना चाहती है तो उसे राज्य सभा की बैठक एक दिन के लिये बढ़ानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा उठाया गया प्रश्न वैध है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सदन पर राज्य सभा में चल रही कार्यवाही का प्रभाव डालना पड़ रहा है। क्या माननीय सदस्य विधेयक का तीसरा पठन अभी करना चाहते हैं और इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं अथवा वे अन्य दो विषयों पर पहले चर्चा करना चाहते हैं और इस विधेयक पर बाद में चर्चा करना चाहते हैं। मैं इस बारे में एक प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

सफदरजंग हवाई अड्डे के समीप रेलवे उपरि-पूल का निर्माण*

CONSTRUCTION OF RAILWAY OVER-BRIDGE AT SAFDARJUNG AERODROME*

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

Shri N.K.P. Salve (Betul) : This is an important issue. It is not known when the bridge will be completed and put into use. All those who travel to south Delhi through this point have to wait indefinitely. The hon. Railway Minister should tell us clearly when this bridge will be completed.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): There were some difficulties at the intitial stage in the construction of bridge over level crossing near Safdarjung on the Mehrauli Road. These difficulties related to negotiations with Civil Aviation Department. Secondly the Municipal Committee had to provide approach road. Both these difficulties have now been removed. I want to assure the house that the bridge will be open for traffic by July, 1973. The construction work is progressing according to schedule. It is hoped that the whole work will be completed by July, 1973.

शहादरा से सहारनपुर तक एस० एस० लाइट रेलवे को पुन: चालू करने के बारे में चर्चा

DISCUSSION ON THE RE-OPENING OF S. S. LIGHT RAILWAY FROM SHAHDARA TO SAHARANPUR

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat) : Grave injustice has been done to the people living between Shahdara and Saharanpur by closing this line. It is argued by the Government that this line was running in loss. There are so many railway lines including privately run lines which are running in loss and have not been closed by the Government. Why this type of discrimination with our area. This line earned profit of Rs. 0.31 lacs during 1967-68. Even if there had been loss during the last 2 or 3 years, the reasons for the same should have been investigated which has not been done.

The matter was not considered thoroughly before this line was closed. The Government should follow the same policy with this line as is being done in respect of other railway lines running in loss. The Government should investigate the reasons for the loss on this line. According to the agreement M/s Martin Burn Co. had to run this line till 1976 but it was closed in September, 1970. What are the reasons for which Government could not compel the company to run the line till 1976 as agreed to between the company and the Government. Garibi is not being removed, but it is being perpetuated by closing this line. This railway line should be re-opened in the larger interest of the nation.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : शहादरा-सहारनपुर लाईट रेलवे को मार्टिन बर्न ने 1 सितम्बर, 1970 को बंद किया था। मरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार इस रेलवे को अपने हाथ में क्यों नहीं ले सकती। इस रेलवे लाईन की लम्बाई 172.7 कि० मिटर है जिस पर प्रतिदिन 22 यात्री गाडियां गुजरती थीं और 12,000 यात्री सफर करते थे। काम ठीक तरह से चल रहा था। इस पर 1400 कर्मचारी काम करते थे।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half-an-Hour Discussion.*

रेलवे परिवहन सबसे सस्ती परिवहन व्यवस्था है । मैं हावड़ा ओटा और हावड़ा-शीखला लाईट रेलवे के उदाहरण देता हूं । इस रेलवे में छोटे कर्मचारी अथवा व्यापारी 17 रु० प्रति मास के पास पर नौकरी करने आते थे लेकिन अब उन्हें प्रति मास 65 रु० आने-जाने के लिये व्यय करना पड़ता है क्योंकि यह रेलवे लाईन बन्द हो गयी है । हम इन रेलवे लाईनों को पुनः खोलने के लिये 1970 से प्रयत्न करते आ रहे हैं । ये इस मांग का भी राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं । लाईट रेलवेज़ को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये इसे समाप्त नहीं करना चाहिये ।

सरकार स्पष्ट रूप से यह बतायें कि आपने शहादरा-सहारनपुर लाईट रेलवे तथा अन्य लाईट रेलवेज़ के बारे में क्या निर्णय लिये हैं ।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : This railway line touches so many foodgrain markets and 3 sugar factories. Closure of this line will hit hard the industrialists. Has the hon. Minister investigated the causes of the loss on this line from which 35 to 40 per cent of profit used to sent to the Calcutta office of Martin Burn Company. The Court of law has observed that this line is not running in loss whereas the Hon. Minister says that it is running in loss. Why are you not converting this line into broad gauge line when it is running in loss? I hope that the hon. Minister will try to understand the reality. Necessary steps should be taken to re-open the line.

Mr. Chairman : I request the hon. Members to put one or two questions so that we may be able to finish it by about 7 P.M.

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : I welcome this discussion. This line has been closed because it is running in loss. Government is also running in loss, does that mean the Government will be disbanded? Either the Government of Uttar Pradesh should be provided facilities in running this line or it should be run directly by the Centre.

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun) : We have been saying repeatedly that one reason for the losses on this line was the spending of 45 per cent of the earnings on the office.

The coal was allocated to this line at Rs. 72 .00 per ton whereas the same is given to the railways at Rs. 28 .00 per ton ; Ticketless travelling and this difference in the rate of coal are also the reasons for the losses to the railway. It is the duty of Government to run this Railway line in public interest not withstanding losses.

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : Has the hon. Minister received a memorandum to the effect that about 3½ crore of people have been put to great hard ships as a result of closure of this line. One of the fertile area of the country has been deprived of rail-link. Have the Government decided to accept the challenge given by M/s Martin Burn Company by closing this line ?

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad) : Is it not a fact that people of Western Uttar Pradesh have been put to great difficulties with the closure of this railway line? It is not proper to close this line in the present age of re-construction.

Shri Satish Chandra (Bareilly) : May I know whether decision is being taken to reopen many closed railway lines in Bengal belonging to M/s. Martin Burn Company, if so, the reasons for not reopening this line also? This line should not be closed because crores of people are benefited from this line.

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh) : The prices of milk and vegetables have risen in Delhi after the closure of this line which was the only supply line for these articles. The students and industrial workers have also suffered from the closure of this line. We should bear the loss, if any, in the larger interest of poor working people of the area by reopening this line.

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : No railway line should be closed on the plea that it is running in loss. The Railway Ministry should provide railway facilities keeping in view the basis of backwardness of the area.

Shri Govind Das Richhariya (Jhansi) : This area is one of the fertile areas of the country. I want an assurance for re-opening this line.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafe Kureshi): The hon. members both from opposition and treasury benches have drawn my attention towards this issue. This railway was being run on 7 years contract basis by M/s. Martin Burn Company till 1970 when they closed it on the plea that the line is running in loss. The Government also urged the company not to close this line.

I may make it clear that it is not profit but the welfare of the people which is the guiding principle of our policy. I assure the house that the Government has accepted the demand of reopening this line in principle. We are thinking of setting up a Joint Corporation in collaboration with the Uttar Pradesh Government for running this line. I hope this line will be re-opened very shortly after necessary negotiations with the Uttar Pradesh Government are over.

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 29 अगस्त, 1972/7 भाद्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, the 29th August, 1972/Bhadra 7, 1894 (Saka).

GIPN—SI—17 L.S.S./72—2-12-72—0,000.

P.L.S. 48. XVIII. 20. 72(N)
490

© 1972 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधि नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित ओर प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित

© 1972 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-6.